राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ३] द्वितीय विधान सभा के तृतीय सत्र, १९५८ का ६९वां दिवस [संख्या ३८

बुधवार, १६ अप्रेल, १९५८

विधान सभा की बैठक म. पू. ८ बज कर ११ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

रावराजा श्री सरदारसिंह।

ऑर्म्स एण्ड एम्युनिशन के लाइसेन्स वाले विक्रेता

१४०५. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): क्या गृहमंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में ऑर्म्स एण्ड एम्युनीशन के लाइसेन्स वाले डीलर्स कितने हैं ?

(ख) जिन डीलर्स को लाईसेन्स दिये जाते, वो किस आधार पर दिये जाते हैं ?

(ग) क्या ऑर्म्स एण्ड एम्युनीशन के आमद और खर्च के स्टेटिसटिक्स डीलर्स या सरकार द्वारा रखे जाते हैं ?

(घ) अगर हां, तो सन् १९५५-५६-५७ में डिस्ट्रिक्ट वाइज़ क्या खरीद फरोख्त हुए ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) राजस्थान में ऑर्म्स डीलर्स की कुल संख्या ३२ है।

(२) लाइसेन्स उन्ही को दिया जाता है जिनको ज़िलाधीश और गुप्तचर विभाग के डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरल पुलिस सिफारिश करते हैं।

(३) नहीं।

(४) इस प्रश्न के तृतीय खण्ड के उत्तर से इस खण्ड का उत्तर स्वतः स्पष्ट हो जाता है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने क्या फरमाया कि तीसरे के उत्तर के बाद...

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कहा कि (३) के उत्तर के बाद इसके उत्तर की आवश्यकता नहीं रहती।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह सही है कि जिन आदमियों के खिलाफ स्टेट के समय में खिलाफ रिमार्क्स थे कि उनको लाइसेन्स नहीं दिये जाने चाहिये, मगर दिये गये हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : कलेक्टर जिसको रिकमन्ड करता है, उसको देते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस खराब रिमार्क देती है, उनको मिलते हैं या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने आपको उत्तर दिया है और बताया है कि इसकी इन्क्वायरी सी. आई. डी. विभाग से होती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य यह पूछना चाहते हैं कि जब पुलिस उन व्यक्तियों के खिलाफ लिखती है, तो भी उनको लाइसेंस क्यों दिये जाते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : अगर किसी मामले में ओपीनियन डिफर हो जाती है, तो कलेक्टर अंतिम निर्णय देता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री प्रभुलाल पुरोहित।

अध्यक्ष, नगरपालिका, दौसा

१४०६. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को विदित है कि नगरपालिका दौसा के अध्यक्ष ने शीतलामाता के मन्दिर के कुछ भाग को तोड़ कर अवैधानिक रूप से किसी व्यक्ति विशेष को बरामदे व नाल आदि बना लेने के लिये हुक्म दिया है ?

(ख) क्या अध्यक्ष नगरपालिका दौसा का यह निर्णय जनता दौसा व जनतन्त्र को चुनौती देना नहीं है ?

(ग) क्या राजस्थान सरकार इस पर अपना निर्णय देगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उप मंत्री (श्री भीखाभाई) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : क्या सरकार इन्क्वायरी करा रही है ?

श्री भीखाभाई : जी हां।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : किसके द्वारा ?

श्री भीखाभाई : वहां से कागज़ात मंगाये, जवाब मंगाया, इसलिये मालूम है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री पी. के. चौधरी।

Page No.3

जल उपभोक्ताओं द्वारा देय धन राशि

१४०७. **श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा):** Will the Minister-in-charge, Water Works, be pleased to state :—

What are the amounts of arrears due from Municipality, Government Departments and the private consumers in Jaipur city for the water consumed by them upto the year ending 31st March, 1957 ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :

Outstanding against :–		Amount
1. Municipality Jaipur.		36,22,481-3-0
2. Government departments :–		
(a) Central :–	25,344-0-0	
(b) State :	1,46,872-1-5	
		1,72,216-1-5
3. Private consumers :		11,595-12-3
Total :		38,06,290-0-8

श्री पी. के. चौधरी : उसकी रिकवरी के लिये क्या इन्तज़ाम किया गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सालो साल जो म्युनिसिपेल्टीज़ को ग्रान्ट देते हैं, उसमें से कुछ काट लेते है । गवर्नमेंट का बुक एडजस्टमेंट हो रहा है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : प्राइवेट कन्ज्यूमरों में सरकार का कितना बाकी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसके लिये लिस्ट सरकार के पास तैयार है ।

श्री पी. के. चौधरी : हर साल म्युनिसिपैल्टीज़ से कितना काटते हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : जैसी फाइनेन्शियल स्थिति होती है । थोड़ा कम काटते हैं अगर फाइनेन्शियल स्थिति अच्छी नहीं हो, तो और अच्छी हो, तो जरा ज्यादा काट लेते हैं । इसलिये सारी बातों को ध्यान में रख कर काट लिया जाता है ।

श्री पी. के. चौधरी : आपने अभी तक कितनी रकम काटी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आपको फिगर्स नहीं बता सकता ।

श्री पी. के. चौधरी : यह एरियर कितने साल से जमा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह सारा जयपुर म्युनिसिपैल्टीज़ का है....

प्रश्न संख्या १४०८

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीमानसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर ।

जोधपुर में स्थित आयुर्वेदिक फार्मेसी

१४०९. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

(क) क्या सरकार की जोधपुर में स्थित आयुर्वेदिक फार्मेसी को बन्द करने की योजना है ?

(ख) क्या यह सही है कि उपरोक्त योजना के अन्तर्गत ही पाली तथा सिरोही आदि निकटस्थ स्थानों पर भी जोधपुर फार्मेसी से दवा मंगाना बन्द करवा दिया है ?

(ग) क्या यह सही है कि राजस्थान निर्माण के पश्चात् जोधपुर फार्मेसीज़ में एक भी नई मशीन नहीं मंगाई गई जब कि अन्य फार्मेसियों में लाखों रुपयों की मशीनें मंगाई गई हैं ?

(घ) क्या यह भी सही है कि राजस्थान प्रांतीय वैद्य महा सम्मेलन में अपने कोटा सम्मेलन में यह प्रस्ताव स्वीकृत किया था कि राजस्थान में आयुर्वेदिक फार्मेसीज़ का अगर एकीकरण किया जावे तो उसका केन्द्र जोधपुर ही रखा जावे ?

उप स्वास्थ्य मंत्री (श्री भीखाभाई): (क) जी नहीं।

(ख) पाली तथा सिरोही ज़िले के औषधालय आयुर्वेदिक निरीक्षक अजमेर के अधिकार क्षेत्र में हैं। अजमेर ज़िले के औषधालयों को औषधियां उदयपुर रसायनशाला से दीं जाती है। किन्तु यह आक्षेप निराधार है कि जोधपुर फार्मेसी को निष्क्रिय अथवा बन्द करने की योजना है। राजस्थान की किसी भी फार्मेसी से किसी भी डिवीज़न के औषधालयों से दवाइयां दी जा सकती है।

(ग) राजस्थान के निर्माण के बाद किसी भी रसायनशाला में नयी मशीनें नहीं खरीदी गई। आक्षेप निराधार है।

(घ) फार्मेसियों के एकीकरण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जोधपुर फार्मेसी से कितने जिलों को दवाइयें सप्लाई की जाती हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : यह कोई फिक्स नहीं है। पाबन्दी नहीं कि इसी फार्मेसी से दवाइयें सप्लाई की जावें। जितनी फार्मेसीज़ हैं, उनमें से किसी स्थान से सप्लाई की जा सकती है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): क्या राजकीय फार्मेसीज़ में सब स्थानों पर एक ही योग से दवाइयें तैयार की जाती हैं। क्या उनका एक सा स्टेन्डर्ड होता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यही आशा की जाती है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : दूर के स्थानों से मंगाई जाती है, तो फिर नज़दीक से क्यों नहीं मंगाई जावे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दवा कहीं से मंगा सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि फार्मेसी को बन्द करने की कोई बात नहीं है फिर आपको शंका करने की क्या आवश्यकता है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : सिरोही में खर्चा कम पड़ता है बनिस्बत उदयपुर से दवाइयें मंगाने से ?

Page No.5

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जहां पर स्टेट की फार्मेसीज़ हैं, वहां पर कहीं से मंगा सकते हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जोधपुर से क्यों नहीं मंगाते ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा कि पाली को अजमेर के इन्सपेक्टर के नीचे लगाया गया है और ऐसा नहीं है कि किसी खास जगह से मंगावे। इसलिये कहीं से मंगा सकते हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या ये सब फार्मेसीज़ एक ही ग्रन्थ के अनुसार दवाइयें तैयार करती हैं ?

एक माननीय सदस्य : क्या यह सही है....

श्री अध्यक्ष : अभी जो पहले प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर आने दीजिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपका इससे क्या मतलब है, मैं समझा नहीं।

श्रीअध्यक्ष : एक ही फोरमुले से सब दवाइयें सभी जगह तैयार होती है क्या ?

डॉ० बहादुरसिंह : जैसे मान लें कि लवण भास्कर चूर्ण है, वह अलग अलग ग्रन्थों से तैयार किया जाता है या एक ही ग्रन्थ से तैयार किया जाता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसके लिये फोरमुलाज़ तैयार होते हैं और उसी के अनुसार दवाइयें तैयार की जाती हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : इसके अलग अलग योग होते हैं और अलग अलग फोर्मुलाज़ होते हैं, क्या सरकार ने कोई एक स्टेन्डर्ड फोरमुला सब जगह दवाइयों के लिये कायम किया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अभी तो सब लोग फोमुलाज़ के अनुसार ही दवाइयें तैयार करते है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : सिरोही को अजमेर में क्यों लगाया गया। जोधपुर में क्यों नहीं रखा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह अजमेर इन्सपेक्टर के नीचे काम करते हैं....

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जोधपुर से दवाइयें दूसरे जिलों को क्यों नहीं भेजी जाती ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पांच जिले और हैं। इसके अलावा मैंने आपको जवाब दिया कि वहां से फार्मेसी नहीं हटाई जावेगी, फिर आपको डाउट करने की क्या बात है ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : अभी आपने कहा कि जितनी दवाइयें जोधपुर में है खत्म हो जाने पर....

एक माननीय सदस्य : क्या आप सारी फार्मेसीज़ को खत्म करके एक करना चाहते हैं ?

श्री रामचन्द्र (डग-सु.): क्या यह सही है कि वहां भी जयपुर से सप्लाई की जाती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह मेरे ध्यान में नहीं है।

श्री रामचन्द्र : रद्दी भी जयपुर से भीलवाड़ा जाती है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वहां पर रद्दी नहीं मिलती होगी।

श्री रामचन्द्र : वहां पर मिलती है, लेकिन वहां से रद्दी नहीं खरीदते।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : झालावाड़ में रद्दी की फार्मेसी है क्या ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रामनारायण वर्मा।

कोटा बारां रोड़

१४१०. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपलदा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कोटा बारां रोड़ पर स्थित ग्राम गड़ेपान के पश्चिम में एक पानी का बहाव है तथा रोड़ पर पुल न होने से पानी ग्राम की साइड पर अधिक मात्रा में जमा हो जाता है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यहां के निवासियों के कष्ट निवारणार्थ एक पुल बंधवाने का विचार रखती है ?

(ग) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा करने का विचार है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) सिर्फ बरसात के दिनों में थोड़ा पानी सड़क पर बहता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय

१४११. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर क्षेत्र) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय अतिथियों के स्वागतार्थ शराब का प्रयोग करता है ?

(२) यदि हां, तो सन् ५७ में कुल कितनी शराब खरीदी गई तथा उसका उपयोग किस प्रकार किया गया ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) यह साधारणतः सही नहीं है। बहुत कम अवसर ऐसे भी आये हैं, जब अन्य खाद्य पदार्थों के साथ ऐसी चीजों का उपयोग हुआ है जिनका कि उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है।

(२) इस बात का प्रबन्ध अब तक नहीं है कि हर एक ऐसे ऐसे अवसर पर जो चीजें उपयोग में आयें उनका सविस्तार विवरण रखा जा सके। अतएव सन् १९५७ में इस सिलसिले में किये गये खर्च का ब्योरा देना सम्भव नहीं है। तो भी यह सत्य है कि इस मद पर खर्चा बहुत कम हुआ है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या यह सही है कि ऐसे अवसरों पर जहां कि शराब का उपयोग किया गया था, माननीय मंत्री महोदय भी सम्मिलित थे ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह समझा जाय कि ऐसे अवसरों पर मंत्री महोदय की ओर से कोई और प्रतिनिधि था ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं कह सकता हूँ कि मैं शरीक नहीं था।

श्री भैरोंसिंह : आप नहीं थे, लेकिन राजस्थान का प्रतिनिधि तो कोई वहां शामिल था या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : कौन से अवसरों पर शराब के उपयोग के नियम बना रखे हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : फोरिन लोग आते हैं जब वे खाने के साथ लेते हैं। बाकी पाबन्दी है।

श्री भैरोंसिंह : क्या जब बाहर के पत्रकारों के लिए शराब का प्रयोग किया गया था, तो स्थानीय पत्रकार उसमें सम्मिलित नहीं थे ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने निवेदन किया कि फोरिन के लोग खाने के साथ लेते थे।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : क्या जब गंगानगर में उद्घाटन हुआ, तो उस समय भी शराब का प्रयोग किया गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : ऐसे कौन २ से अवसर आये जहां कि शराब का उपयोग किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : किया जाता है यह कहा, मैंने "किया गया" नहीं कहा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : किन अवसरों पर शराब का प्रयोग किया जाता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने बताया कि खाने के साथ लिया था।

श्री भैरोंसिंह : क्या शराब के प्रयोग के लिए बजट में कोई प्रोविज़न है ?

श्री रामकिशोर व्यास : कोई नहीं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मूलचन्द डागा।

श्रमिकों की स्थायी नियुक्ति

१४१२. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या श्रम मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) पाली शहर में महाराजा उम्मेद मिल्स में इस समय कितने मज़दूर काम करते हैं ?

(ख) क्या इन्टक की तरफ से सरकार के पास श्रमिकों को स्थायी बनाने के बाबत

(श्री मूलचन्द डागा)

में कोई शिकायत आई है और क्या श्रम विभाग से यह आज्ञा हुई थी कि जो श्रमिक तीन महीने से अधिक एक जगह पर काम करते हैं, उन्हें स्थायी किया जावे ?

श्रम मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) महाराजा उम्मेद मिल्स में इस समय २४६६ मज़दूर कार्य कर रहे हैं।

(ख) जी नहीं।

श्री मूलचंद डागा : क्या इन्टक की तरफ से ऐसी दरख्वास्त आयी थी कि जिसमें यह शिकायत की गई थी कि जिन को स्थायी नहीं किया गया तो वे स्ट्राइक कर सकते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो स्थायी स्थान पर काम करता है और अगर उसको अस्थायी किया जाय, तो स्ट्राइक की जा सकती है, लेकिन अस्थायी है और फिर स्ट्राइक करता है, तो उसके लिए ऐसा कोई नियम नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचंद कोठरी।

स्वायत्त संस्थाओं द्वारा संपादित पशु मेले

१४१३. **श्री मानिकचंद कोठारी** (जायल) : क्या कृषि मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे :

(क) कितनी नगरपालिकायें एवं ग्राम पंचायतें अपने २ क्षेत्र में पशु मेले करवाती हैं ?

(ख) सन् १९५६ और ५७ में ऐसी संस्थाओं द्वारा कितने पशु मेले करवाये गये ?

(ग) क्या उन्हें विधिवत् ऐसे पशु मेले भरवाने का अधिकार है ?

(घ) कृषि विभाग द्वारा प्रति वर्ष कहां २ पशु मेले भरवाये जाते हैं ?

(ङ.) इन पशु मेलों द्वारा होने वाली आय सरकारी कोष में जमा होती है या स्थानीय स्वायत्त संस्था को दे दी जाती है ?

(च) पशु मेलों में पशुओं के क्रय विक्रय पर सरकार जो कर वसूल करती है वह किस कानून के अन्तर्गत लिया जाता है ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क), (ख), यह प्रश्न स्वायत्त शासन से सम्बन्धित है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) सरकार के पशु पालन विभाग द्वारा निम्नलिखित मेले प्रति वर्ष भरवाये जाते हैं :

जोधपुर खंड : (१) परबतसर (२) नागौर (३) मेड़ता सिटी (४) तिलवाड़ा (५) सांचौर।

अजमेर खंड : (१) भरतपुर।

(ङ.) पशु पालन विभाग द्वारा भरवाये जाने वाले मेलों द्वारा होने वाली आय की वास्तविक अधिकारी सरकार है।

रावराजा श्री सरदार सिंह : करौली केला माता का मेला किसके द्वारा भरवाया जाता है ?

Page No.9

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : अभी उत्तर बाकी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : (च) मेलों में होने वाले क्रय विक्रय पर कर वसूल पहले की रियासतों की सरकारें करती थीं तथा अब इस विभाग द्वारा वसूल किया जाता है। ऐसा कोई कानून इस विभाग के पास नहीं है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या जब यह टैक्स वसूल किया जाता है, तो संविधान के खिलाफ नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पुराने ज़माने में था।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : पुराने ज़माने में तो लोग–बाग, बैठ–बेगार भी चलती थी ? जो टैक्स वसूल किया जाता है, उसके लिए क्या विधान सभा से स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं है ? This is no justification.

श्री नाथूराम मिर्धा : इसको किसी आदमी ने चेलैन्ज नहीं किया है वे देते आये हैं और सरकार लेती आयी है।

डॉ० चन्द्रकला : वे देते आये हैं और सरकार लेती आयी है, तो क्या सरकार इसको जस्टीफाइड समझती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेला भरवाते हैं, यह जस्टीफाइड था।

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : क्या मंत्री महोदय यह सोचते हैं कि कोई चेलेन्ज करे तब ही विधान सभा की स्वीकृति एसेन्शियल है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने निवेदन किया कि इस सम्बन्ध में एक बिल केटल फेयर्स के लिए आने वाला है।

श्री मानिकचंद कोठरी : स्थानीय संस्थाओं को आमदनी क्यों नहीं दी जाती ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वे उस विभाग से सम्बन्ध नहीं रखतीं।

श्री मानिकचंद कोठारी : मेड़ता नागौर में मेले भरवाये जाते हैं, तो स्वायत्त संस्थाओं को उसकी आमदनी क्यों नहीं दी जाती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उनको क्यों दी जाय। मेले सरकार भरवाती है, इन्तज़ाम खुद सरकार करती है। उनको देने का प्रश्न कहां पैदा होता है।

श्री मानिकचंद कोठारी : जब दूसरी जगह की स्वायत्त संस्थाओं की आमदनी होती है, उनको उससे क्यों वंचित रखा जाता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ये शुरू से मेले भरवाये जाते हैं, सरकार की ओर से, सरकार ने इनको डेवलप किया है, इन्तज़ाम खुद सरकार करवाती है। दूसरी स्वायत्त संस्थाओं ने मेले शुरू किये हैं, वे उनकी आमदनी लेती हैं और खुद ही इन्तज़ाम करती हैं।

श्री मानिकचंद कोठारी : सरकारी व्यवस्था करने के बाद जो नेट आमदनी रहती है, वे ले सकती हैं।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): नागौर में साथ साथ मेला भरवाले तो कोई एतराज़ तो नहीं होगा ?

Page No.10

श्री नाथूराम मिर्धा : उन्हीं तारीखों में भरवायेंगे तो एतराज जरूर होगा।

प्रश्न संख्या १४१४

श्री अध्यक्ष : श्री मुक्तिलाल मोदी।

(अनुपस्थित)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

चिकित्सालय, सीकर

१४१५. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सीकर नगर में स्थित डिस्पेन्सरी में बीमारों की औसत दैनिक संख्या क्या रहती है ?

(२) क्या यह सही है कि यह डिस्पेन्सरी केवल एक कमरे में ही है। तथा बीमारों को रास्ते में धूप में ही खड़ा रहना पड़ता है ?

(३) क्या इस डिस्पेन्सरी के मकान को ठीक कराने की सरकार की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप स्वास्थ्य मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) २७६।

(२) जी हां।

(३) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस डिस्पेन्सरी के भवन के निर्माण हेतु कार्यवाही की जावेगी।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : इसको बनाने की योजना किस स्टेज पर है ?

श्री भीखाभाई : सवाल यह है कि दो साल हुए भवन मिला है। जैसे फाइनेन्स मिलेगा और उसकी उपलब्धि पर ही यह कहा जा सकता है। जब तक बिल्डिंग के लिए प्रोविज़न न हो दुरुस्ती नहीं कराई जा सकती।

प्रश्न संख्या १४१६

श्री भैरवलाल काला बादल।

(अनुपस्थित)

श्री होतीलाल।

सरकार द्वारा बेची जाने वाली बन्दूकों का मूल्य निर्धारण

१४१७. **श्री होतीलाल** (भरतपुर) : Will the home Minister be pleased to State:—

(a) Whether a Committee under the chairmanship of Collector and District Magistrate fixes the prices of the guns to be sold by the Government.

(b) How were the guns of Forest Departments of former Bhartpur State disposed of ?

(c) Whether Shri Vishnu Datt Sharma, Collector Bhartpur, has also purchased a gun from amongst the above mentioned guns ?

Page No.11

(श्री होतीलाल)

(d) If yes, whether the price of the above mentioned gun was fixed by the Committee of which Shri Vishnu Datt Sharma was the Chairman ?

(e) What was the market value of a gun of the make which was purchased by Shri Viahnu Datt Sharma ?

(f) What price did Shri Vishnu Datt Sharma fix for the above mentioned gun which he purchased ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

(a) Yes.

(b) There were 21 guns and they have been sold to His Highness Bharatpur under the orders of the Government

(c) Yes.

(d) The prices were fixed by the Committee of which Shri Vishnu Datt Sharma was not the Chairman but a member ex-officio.

(e) The market value of a 12 bore D. B.B. L. gun is about Rs. 400/-

(f) The Committee fixed the prices of all these guns to be Rs. 200/- each.

श्री होतीलाल : What was the market value of the gun which was purchased by Vishnu Datt Sharma ? कीमत क्या बतायी है ?

श्री रामकिशोर व्यास : ४००)

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): किस कीमत पर खरीदी गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : कीमत बताई आपको ४००) .

श्री पी० के० चौधरी : मार्केट वेल्यु ४००) बतायी, लेकिन कलक्टर साहब ने किस कीमतों में खरीदा ?

श्री रामकिशोर व्यास : २००) मुकर्रर की थी उसमें खरीदा ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): क्या लाइसेन्स होल्डर्स के ओपन ऑक्शन से दी थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी नहीं ।

श्री भैरोंसिंह : ओपन ऑक्शन से नहीं देने में सरकार को क्या आपत्ति थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : पुरानी गन्स थी । पैसा नहीं आ रहा था, इसलिए प्राइस नियत करके दी गई ।

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : इस तरह की बन्दूकें पुलिस को दे दी जाती हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : ऐसी जरूरत नहीं है ।

श्री अनोपसिंह : उनको प्रिफरेन्स दिया जाता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : प्रिफरेन्स की कोई बात नहीं ।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या यह सही है कि

Page No.12

(डॉ० बहादुरसिंह)

१२ बोर की बन्दूकें २०), २०) में बेची गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने जवाब दिया 'नो'।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या इसकी जांच कराई है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने सवाल का जवाब दे दिया है।

श्री अध्यक्ष : नेकस्ट, १४१८।

श्री होतीलाल : मुझे तो पूछने ही नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष : आप बैठे रहें तो इसका क्या इलाज है ? आपको प्रश्न पूछना चाहिये था।

श्री होतीलाल : मुझे मौका नहीं मिला, दूसरों ही ने पूछ लिये।

श्री अध्यक्ष : अब पूछ लीजिये।

श्री होतीलाल : ४००) रु० कीमत इन्डिया मेड की थी, या फोरन की ?

श्री रामकिशोर व्यास : जो चीज़ वह थी, उसकी कीमत बतायी है, अगर फोरिन थी तो फोरिन है और लोकल है तो लोकल।

श्री होतीलाल : क्या यह इन्डिया मेक गन थी या फोरिन मेक गन थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं नहीं कह सकता जो प्राइसेज़ थे वे बता दिये।

श्री होतीलाल : मैंने अपने प्रश्न में निश्चित रूप से पूछा है,

"What was the market value of the gun purchased by Shri Vishnu Datt Sharma.

आपने जो इन्फोर्मेशन दी वह कौन से मेक की थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने बताया था मार्केट वेल्यू....

श्री होतीलाल : जो शख्स कमेटी का मेम्बर हो और उसी के द्वारा प्राइस फिक्स की गई हो, क्या वही व्यक्ति फाइनेन्सियल रूल्स के अन्तर्गत उस चीज को खरीद सकता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : गवर्नमेन्ट की सेंकशन से खरीदी है।

श्री होतीलाल : मेरा प्रश्न तो यह है कि चीज की जो कीमत निर्धारित करें और वही उसी को खरीदे, क्या यह फाइनेन्सियल रूल्स के खिलाफ नहीं है ?

श्री रामकिसोर व्यास : गवर्नमेंट सेंकशन लेने के बाद कोई आपत्ति नहीं।

रसद विभाग द्वारा दिए जाने वाला बकाया कमीशन

१४१८. **श्री तेजाराम गहलोत**(सोजत): क्या नागरिक रसद मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे :

Page No.13

(श्री तेजाराम गहलोत)

(क) पाली जिले में सन् १६४७ से ५३ तक निम्न कामों के लिए किन किन को, कहां कहां पर व किस कमीशन पर एजेन्ट मुकर्रर किया गया था :–

१. लेवी वसूली। २. स्टॉक राशनिंग। ३. जनता में रॉशनिंग सप्लाई करने की।

(ख) उपरोक्त एजेन्ट्स ने कितना कितना धान कलेक्ट व डिस्ट्रिब्यूट किया व कितना कितना कमीशन हुआ ?

(ग) उपरोक्त कमीशन में से जो बकाया है वह अभी तक क्यों नहीं दिया गया ?

उपमंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) उक्त कामों के लिए जहां जहां पर एजेन्ट्स मुकर्रर किये गए उनकी सूची पूरे विवरण सहित सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) इसकी पूर्ण जानकारी के लिए पूछ ताछ जारी है।

(३) जिनके हिसाब सन्तोषजनक नहीं थे केवल उन्हीं का पेमेन्ट होना बकाया है। हिसाबों की जांच हो रही है बाद जांच, उचित क्लेम्स का जल्दी ही भुगतान किया जायेगा। इन क्लेम की सूची सदन की मेज़ पर प्रस्तुत है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री तेजाराम गहलोत : क्या यह बात सही है कि इस तरह का कोई हिसाब कहीं रखा गया जिसमें ये बातें दर्ज हो कि किस एजेन्ट ने कितना धान कलेक्ट किया और किस जगह डिस्ट्रिब्यूट किया गया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसकी पूरी जानकारी कर रहे हैं, पूछ ताछ जारी है, इसलिए जवाब नहीं दे सका।

श्री तेजाराम : मेरा यह प्रश्न है कि क्या इस तरह का कोई हिसाब रखा है या नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इस बारे में पूछताछ जारी है, इसलिए मैं अभी इस स्थिति में नहीं हूँ कि इसका जवाब दे सकूं।

श्री तेजाराम : प्रश्न यह है कि सरकार ने इस प्रकार का रिकॉर्ड रखा है या नहीं सप्लाई डिपार्टमेंट में रिकर्ड मेन्टेन किया जाता है, या नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने बार बार निवेदन किया कि इस बारे में पूछताछ जारी है, इसलिए मैं पूरी तौर से इसका जवाब नहीं दे सकता।

एक माननीय सदस्य : क्या आपने यह सवाल आने के बाद पूछ ताछ की है या पहले से जारी है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : बहुत अर्से पहले से जारी है।

श्री तेजाराम : तो क्या यह माना जाय कि उप-मन्त्री महोदय ने जो कुछ बताया है वह बिना किसी आधार के बताया है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसमें वैगनेस का सवाल नहीं है। आपके प्रश्न के ख भाग का उत्तर के बारे में पूछताछ जारी है कि कहां कितना कलेक्ट किया गया कितना डिस्ट्रिब्यूट किया यह जानकारी जब प्राप्त हो जायगी तो बता दी जायगी।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : क्या रीजन्स थे जिसके कारण दस साल तक भी अकाउन्ट कलेक्ट नहीं किये गये ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अकाउन्ट तो मौजूद हैं किन्तु सारी जगह के एक साथ कलेक्ट करने के बारे में जो इनफोर्मेशन चाही गई है, वह अभी आ नही पाई है।

श्री श्रीभानसिंह : जब अकाउन्ट मौजूद है तो कहां से कलेक्ट कर रहे हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह तो डिस्ट्रिक्ट्स से मंगाये जा रहे हैं।

श्री श्रीभानसिंह : इन चीजों को गवर्नमेंट रिकार्ड नहीं करता क्या ?

श्री तेजाराम : माननीय उप-मन्त्री महोदय ने जो लिस्ट दी है उसके अन्दर (ख) भाग का जो उत्तर दिया, उसमें लिखा है कि उपरोक्त एजेन्ट्स ने १,९७,४०३ मन ६ सेर १ छटाक धान एकत्र किया व वितरित किया और उनका कुल कमीशन १,४५,९५१ रु० ११ आ० ३ पा० हुआ, तो फिर जब आप कहते हैं, आपके पास हिसाब नहीं है, तो यह अकाउन्ट आप श्रीमान ने कहां से दिया है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने कब कहा था कि हिसाब नहीं है, हिसाब था तभी तो आपको यह दिया गया।

श्री तेजाराम : श्रीमान् से जब मैंने प्रश्न किया, तो कहा गया कि रेकर्ड नहीं है इसलिए बताया नहीं जा सकता ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने ऐसा नहीं कहा कि रेकर्ड नहीं है, मैंने कहा कि पूछताछ जारी है।

श्री अध्यक्ष : जितनी जानकारी प्राप्त हो सकी वह आपको दे दी गई है।

बस सर्विस

१४११. **श्री सूरजमल** (फलौदी) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५४ में जोधपुर से शेरगढ़ सेतरावा, पोकरण, आदि रूटों के परमिट के लिए कितनी अर्जियां आई और उनमें से किन किन को कितनी कितनी बसें चलाने का परमिट कितनी अवधि का मिला ?

(ख) क्या यह सही है कि उपरोक्त रूटों पर आज तक उन्हीं ठेकेदारों की बसें चल रही हैं ? यदि हां तो क्यों ?

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा): जोधपुर शेरगढ़ सेतरावा रूट पर कुल ७३ अर्जियां प्राप्त हुई जिनमें नवीनीकरण की अर्जियां भी सम्मिलित हैं। निम्नलिखित २२ परमिटों का नवीनीकरण किया गया:—

Page No.15

(श्री नाथूराम मिर्धा)

नाम	सं० पर्मिट	अवधि
१. बदरी पुत्र बुधजी	१	२१-३-५६
२. रता नारायण	२	
३. मानाराम पुत्र मेगराम	१	
४. वीरदाराम पुत्र जमनादास	२	
५. जयनारायण पुत्र लक्ष्मीनारायण	२	
६. कल्याण सिंह पुत्र विरामसिंह	२	
७. मोहनसिंह	३	
८. सैनिक टी मोटर्स	६	
९. सांगी ब्रदर्स	१	
१०. दौलतराम	१	
११. नरसिंह लादूराम	१	
१२. लूणसिंह	१	

इसके अलावा एक नया पर्मिट नेहरू मोटर ट्रान्सपोर्ट कोआँपरेटिव सोसाइटी को २६-११-५६ तक के लिए दिया गया।

(ख) पर्मिट की शेष अवधि तक वे ही लोग गाड़ियां चलावेंगे।

श्री सूरजमल : क्या यह सही है कि इन लोगों में कितने लोगों की अर्जियां ऐसी थी जो पिछड़ी जाति के लोग थे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कुल ७३ अर्जियां आयी, यह मैंने बता दिया, जाति वगैरह लिखी नहीं जाती।

श्री सूरजमल : क्या यह सही है राजवाल का पिछड़ी जाति का मेघवाल पेमाराम ने इस रूट पर बस चलाने के हेतु प्रार्थना पत्र दिया था ?

श्री नाथूराम मिर्धा: अलग अलग किस किस की अर्जियां आयी,इसकी मुझे जानकारी नहीं है। कुल ७३ प्रार्थना-पत्र आये थे,

पुलिस कर्मचारियों का वेतन

१४२०. श्री प्रभुदयाल पुरोहित : (लालसोट) क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे (क) क्या राजस्थान में सब जगह पुलिस कर्मचारियों की बराबर तनख्वाह है ?

(ख) क्या अजमेर डिवीज़न में सिपाहियों को तनख्वाह ७० महंगाई २० मिलाकर ९० रुपया दिया जाता है।

(ग) क्या जयपुर डिवीज़न में सिपाहियों को ३० रू० तनखा महंगाई २० रू० मिलाकर ५० रुपया दिया जाता है।

(घ) क्या जब कि राजस्थान एक है तो सिपाहियों की तनखा में भेदभाव क्यों रखा है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : विलीनीकरण (मरजर) के पश्चात् के कर्मचारियों का वेतन वही है। किन्तु विलीनीकरण से पहले के उन कर्मचारियों के वेतन में तथा भूतपूर्व अजमेर राज्य के उन कर्मचारियों के वेतन दरों में भेद है जिन्होंने अपनी इकाई (यूनिट) की वेतन दरें (पे स्केल्स) रखने का आप्सन लिया है।

Page No.16

(श्री रामकिशोर व्यास)

जी नहीं। उनकी वेतन दर : पे सकेल्स: ३५ १ ५० व ४० रुपये महंगाई है। जी हां। सभी विलीनीकरण के पश्चात् के कान्सटेबिल एवं विलीनीकरण के पूर्व के उन कान्सटेबिलों को जिन्होंने अपनी इकाई की वेतन दर स्वीकार नहीं की है उन्हें ३० १ ५० की ग्रेड में वेतन एवं २० रुपये महंगाई भत्ता दिया जाता है।

यूनिफाइड पे सकेल्स व यूनिट पे सकेल्स में फर्क होने की वजह से लोगों ने अपने यूनिट की पे सकेल्स आप्ट की है। इसी कारण से तनख्वाह में फर्क है।

एक माननीय सदस्य : क्या यह सही है कि जिन पुलिस सिपाहियों का ट्रान्सफर अजमेर होता है, उनको अजमेर का वेतन नहीं दिया जाता ?

श्री रामकिशोर व्यास : सही है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार इन पुलिस कर्मचारियों के वेतन स्तर को समान लाने का विचार करती है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी नहीं।

जनाना अस्पताल, किशनगढ़

१४२१. **श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** (किशनगढ़) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : (क) क्या यह सच है कि किशनगढ़ के जनाना हॉस्पिटल में प्रसूती स्त्रियों को जिस वार्ड में रखा जाता है उसकी हालत स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है और प्रसूती स्त्रियों को मल मूत्र त्यागने के लिये भी बहुत दूर जाना पड़ता है ?

(ख) अगर हां, तो सरकार इसको दुरूस्त कब तक करा देगी ?

(ग) क्या इस अस्पताल में एक ही हरिजन से २४ घन्टे काम लिया जाता है ?

उप स्वास्थ्य मंत्री (श्री भीखाभाई) : (क) किशनगढ़ सिटी डिस्पेन्सरी में जहां प्रसूति स्त्रियों को रखा जाता है वह वार्ड स्वास्थ्य की दृष्टि से खराब नहीं है। स्त्रियों को मल मूत्र त्यागने के लिये दूर तो नहीं परन्तु वार्ड के पिछले हिस्से में जाना पड़ता है। वार्ड पुराने समय का बना हुआ है। बाहर चबूतरा कमरे का फर्श व मलमूत्र त्यागने का स्थान एक सतह पर नहीं है, तथा वार्ड में जाली के किवाड़ नहीं हैं।

(ख) अर्थ की उपलब्धि पर इसको दुरूस्त कराया जावेगा।

(ग) बजट में केवल एक हरिजन की ही पोस्ट स्वीकृत है, इसलिये एक ही कार्य करता है। चौबीस घन्टे ड्यूटी देने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री पुरुषोत्तमलाल : क्या माननीय उप मंत्री महोदय ने इस वार्ड को देखा है ?

श्री भीखाभाई : हां देखा है, तभी तो जवाब दिया है।

श्री पुरुषोत्तमलाल : शायद आपने नहीं देखा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय सदस्य ने देखा है।

Page No.17

श्री पुरुषोत्तमलाल : क्या माननीय मंत्री महोदय इस वार्ड को देखने की कृपा करेंगे ताकि उनको मालूम हो कि जवाब दिया है, वह ठीक है या क्या ?

श्री भीखाभाई : मैंने कहा ठीक है ।

श्री पुरुषोत्तमलाल : बड़ा अस्पताल देखा होगा ज़नाना अस्पताल नहीं देखा होगा ।

सहकारी समितियां जिला सिरोही

१४२२. **श्री वीराराम** (सिरोही) क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : (क) सिरोही ज़िले में अनुसूचित आदिवासी तथा पिछड़ी जातियों की कताई बुनाई व चमड़ा रंगने की कुल कितनी सहकारी समितियां हैं और वे कहां कहां पर हैं ?

(ख) उपरोक्त समितियों द्वारा आज तक किस किस कार्य पर कितना कितना धन खर्च किया गया है ? तालिका सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें ।

सहकारी मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) ५ चर्म उत्पादक व ६ बुनकर समितियां हैं सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) कृपया सूची का अवलोकन करें ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री वीराराम : सूची मुझे मिली नहीं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आजकल दो तीन रोज पहले ही हम भेज देते है आफिस में दे दी गई है ।

श्री अध्यक्ष : कम से कम यह सूची तो इस आफिस में पहुंच गई है ।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में निश्चित तौर से बताया जाना चाहिये कि सूची यहां दी गई है या नहीं । क्योंकि सूची के बारे में हमेशा एतराज होता है, मंत्री महोदय यह कह करके कि सूची सदन की मेज़ पर रख दी है, जवाब को टाल जाते हैं ।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न से सम्बन्धित सूचि तो आगई है ।

श्री तनसिंह : तो क्या अध्यक्ष महोदय सूची के बारे में प्रत्येक मेम्बर को नोटिस ऑफिस में जाकर पता लगाना पड़ेगा ।

श्री अध्यक्ष : यही व्यवस्था चली आ रही है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सूची आठ बजे के पश्चात् भेजी गई है या पहले ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की कार्यवाही में बाधा उपस्थित करने के लिये नहीं बल्कि मेरा यह अनुभव है कि माननीय मंत्री महोदय बिना सूची सदन की मेज़ पर रखे ही कह देते हैं कि सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है । सूची ऑफिस में तलाश करते है, तो मिलती नहीं । इसलिये मेरा निवेदन है कि अगर सूची भेज दी जाती है, तो कम से कम आठ बजे पहले भेजी जानी चाहिये, ताकि समय

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पर हम ले सकें। यदि बीच में उठकर लेने जाते हैं तो हमारे प्रश्न रह जाते हैं। दूसरी तरफ सूची प्राप्त नहीं होती तो हम क्रोस नहीं कर सकते। यह एक महत्वपूर्ण और गम्भीर विषय है इस विषय में आपका निर्णय हो जाना चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : प्रश्न क्रोस करने के लिये नहीं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I am in possession of the House, sir,

श्री अध्यक्ष : कम से कम यह सूची तो समय पर पहुंच गई थी। आजकल स्थिति में पहले से काफी सुधार हुआ है, माननीय सदस्यों के कहने का काफी असर पड़ा है।

प्रश्न संख्या १४८३

श्री नाथीसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री होतीलाल ।

रामस्वरूप के हाथ की भरतपुर अस्पताल में चिकित्सा

१४८४. श्री होतीलाल (भरतपुर) : Will the Minister for Medical and public Health be pleased to state:—

(a) Whether Shri Ram Swarup S/o Shri Behari Singh was admitted in the Victoria Hospital, Bharatpur on 24 th or 25th of March, 1957.

(b) Was it a case of fracture ?

(c) Whether the fractured arm of Shri Ram Swarup got septic because of the negligence of doctor-in charge and hard plastering ?

(d) Whether the fractured arm of Shri Ram Swarup was amputated ?

उपस्वास्थ्य मंत्री (श्री भीखाभाई) : (क) श्री रामस्वरूप वल्द श्री बिहारीसिंह विक्टोरिया अस्पताल भरतपुर में ता० २६।३।५६ को रात्रि के २॥ बजे भरती किये गये थे।

(ख) उनके हाथ में चोट आई हुई थी जिसके कारण फोर आर्म की हड्डियों में कम्पाउन्ड फ्रेक्चर हो गया था।

(ग) यह आरोप सही नहीं है कि इलाज़ मे बेएहतियाती के कारण ज़ख्म सैप्टिक हुआ। वस्तुतः पूरा पूरा एहतियात बरता गया और जैसा भी सम्भव था डॉक्टरी इलाज़ मरीज़ को आराम देने के लिये किया गया, लेकिन फिर भी ज़ख्म सैप्टिक हो गया।

(घ) तारीख २४।३।५७ को जब कोई इलाज़ सफल नहीं हुआ तो आखिरकार मरीज़ के जीवन की रक्षा के लिए यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि हाथ का अगला हिस्सा शल्य क्रिया से अलग कर दिया जावे। अतः इमर्जेन्सी एम्पूटेशन किया गया।

श्री होतीलाल : क्या मन्त्री महोदय

(श्री होतीलाल)

यह जानकारी करेंगे अपने महकमे से कि आपके ज़माने में पेनिसिलन और स्ट्रेप्टोमाईसिन जैसी चीज़ों के आविष्कार के बाद सेप्टिक होना मुमकिन है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इन्फेक्शन जो हुआ वह पोइज़न्स इन्फेक्शन हुआ था, गैंगलिन हो गया। इसमें कभी ये दवाइयां सफल होती हैं और कभी नहीं भी होतीं।

श्री होतीलाल : यह गैंगलिन भी आपके ज़माने में इतनी दवाइयों के आविष्कार के बाद होना मुमकिन नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: नहीं, ऐसी बात नहीं है। टिटेनस होता है, वह भी इतनी दवाइयों के होते हुए भी कभी काबू में नहीं भी आता।

श्री होतीलाल : क्या यह सही है कि प्लास्टरिंग के बाद मरीज़ बहुत बेचैन रहता था और देखभाल करने वालों ने डॉक्टर से कम्पलेन्ट भी इसकी कि लड़के के नाखून पीले पड़ गये हैं और बेचैन रहता है, दर्द भी होता है। इसके बावजूद भी प्लास्टर नहीं खोला गया और जो एक प्रैस्क्राइब्ड टाइम २०-२५ रोज़ का होता है उसके बाद खोला तो हाथ बिलकुल गल गया था।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह आपकी सूचना बिल्कुल गलत है। प्लास्टर उसी वक्त खोल दिया गया था। प्लास्टर जिस वक्त चढ़ाया गया उस वक्त इन्फेक्शन नहीं था। हड्डी बाहर निकल रही थी। बाद में जब दर्द ज्यादा देखा तो प्लास्टर निकाल दिया गया। पर तब तक हड्डी गल चुकी थी और उसे काटना पड़ा। मैं पर्सनली भरतपुर गया, इन्क्वायरी की और डॉक्टर से काफी बात की थी और ये एलीगेशन्स गलत साबित हुए।

श्री होतीलाल : प्लास्टर कितने दिन बाद खोला गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उसके दूसरे रोज़ ही खोल दिया गया।

श्री होतीलाल : यह कैसे आप कहते हैं ? २४-२५ को एडमिट हुआ तब कब प्लास्टर हुआ, कब खोला गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : १६ तारीख को फैक्चर हुआ, २० को एडमिट हुआ और २१ को प्लास्टर हुआ और २२ को प्लास्टर खोल दिया गया। अब टाइम बीच में रहा कहां ?

श्री जयसिंह राणावत (आसिन्द): विदेशी शासन के कूच करने के बाद भी विक्टोरिया अस्पताल नाम कैसे रक्खा रह गया। कब तक यह रक्खा रहेगा ?

(हंसी)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जब तक आप चाहेंगे।

केनपुरा रांती देसूरी सड़क निर्माण

१५२५ **श्री मोतीबाबा** (बाली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(श्री मोतीबाबा)

(क) क्या यह सही है कि केनपुरा, रांती, देसूरी सड़क की स्वीकृति हो चुकी है ?

(ख) यदि हां, तो कार्य कब तक चालू किये जाने की आशा है ?

सार्वजनिक निर्माणमंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष १९६०–६१ में।

डिस्ट्रिक्ट एण्ड सैशन्स कोर्ट, पाली

१४२६ श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पाली डिस्ट्रिक्ट एण्ड सैशन्स कोर्ट में इस समय कितने दिवानी दावे और कितनी दिवानी अपीलें हैं ?

(ख) इसी कोर्ट में इस समय कितने सैशन्स मुकद्दमे हैं ?

(ग) इसी तरह सिविल एण्ड एडीशनल सैशन्स जज सिरोही में आज कितने दिवानी व फौजदारी मुकदमात हैं और कितनी अपीलें हैं ?

न्यायमन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) डिस्ट्रिक्ट एण्ड सैशन्स जज पाली के न्यायालय में समस्त विचाराधीन दिवानी मुकद्दमों की संख्या दिनांक १ फरवरी, ५८ को निम्नलिखित थी :

दिवानी मुकद्दमे	३३
दिवानी अपीलें	६४

(ख) डिस्ट्रिक्ट एण्ड सैशन्स जज पाली के न्यायालय में समस्त विचाराधीन सैशन्स मुकद्दमों की संख्या दिनांक १ फरवरी, ५८ को ९ थी।

(ग) सिविल एण्ड एडीशनल सैशन्स जज, सिरोही के न्यायालय में समस्त दिवानी और फौजदारी मुकद्दमों तथा अपीलों की संख्या १–२–५८ को निम्न प्रकार थी :

दिवानी मुकद्दमे	८२
सैशन मुकद्दमे	६
दीवानी अपीलें	३२

राजकीय मुद्रणालय के भूतपूर्व सुपरिंटेन्डेट के विरुद्ध शिकायत

१४२७. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या गवर्नमेंट प्रेस जयपुर के भूतपूर्व सुपरिन्टेन्डेन्ट श्री इफ्तिखार अली से दस हज़ार रुपया वसूल करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही संचालक, प्रिन्टिंग एण्ड स्टेशनरी विभाग राजस्थान सरकार द्वारा किये जाने हेतु कागज़ात राज्य सरकार के पास भेजे गये ? यदि हां, तो उन पर क्या हुक्म हुआ ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : जी नहीं।

Page No.21

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या यह सही है कि इम्तिखारअली के खिलाफ मिसएप्रोप्रियेशन का केस है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह अलग सवाल है। मेरी जानकारी में तो नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : १० हज़ार की रकम मिसएप्रोप्रियेशन के केस में इन्वोल्ड है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार के किसी उच्च अधिकारी ने उनके खिलाफ कोई जांच की है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जांच के मामले तो कई आये, पर ऐसा दस हज़ार के गबन का कोई मामला नहीं आया।

श्री भैरोंसिंह : उनके खिलाफ सरकारी रकम वसूल करने के सम्बन्ध में उच्च-अधिकारी ने जांच की है क्या यह सही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया कि गबन का ऐसा कोई मामला नहीं आया।

श्री भैरोंसिंह : गबन का नहीं, रकम का सवाल है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : गबन की रकम का या और किसी रकम का ?

श्री भीमसिंह (बयाना) : लोन पर ली, तो क्या यह रकम वापिस लेने की कार्यवाही सरकार कर रही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कौन सा लोन, कौन सा क्या। यह सवाल ही गलत है।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह माना जावे कि श्री इम्तिखारअली में कोई भी रकम आज बाकी नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरी सूचना के आधार पर तो यही मानना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री भैरोंसिंह : एक बार अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री स्पष्ट रूप से कह दें कि सरकारी रकम कोई भी बाकी नहीं है, इन्फोर्मेशन के आधार पर यही मानना चाहिये यह न कहें, यह स्पष्ट कह दें कि कोई भी रकम बाकी नहीं है। मैं निवेदन कर दूं कि इनमें १० हज़ार की रकम बाकी थी और इनके कागज़ात सेक्रेटरियट में गये थी, पर वहां से कागज़ात दबा दिये गये।

श्री अध्यक्ष : आप जानकारी कर लीजिए।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा कोई जिक्र नहीं है अगर आप कहते हैं, तो दुबारा जांच करेंगे। पर ऐसी बात है नहीं, जैसी आप कहते हैं।

भरतपुर जिले के लिए जमना नदी से नहरें निकालने की योजना

१४०८. **श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जमुना नदी में से भरतपुर

Page No.22

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

ज़िले के लिए कोई नहरें निकाले जाने की योजना है ?

(ख) यदि हां, तो कितनी और कौन कौनसी नहरें निकलेंगी ?

(ग) अब उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही चल रही है व उक्त योजना के कार्यान्वित होने में कितना समय लगेगा ?

(घ) उन नहरों के निकलने पर वहां की किस किस तहसील का कौनसा भाग जल सिंचित हो सकेगा ?

उप-सिचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) : (क) जी हां ।

(ख) भरतपुर फीडर व गुडगांव केनाल ।

(ग) भरतपुर फीडर के लिए लैण्ड एक्वीज़ीशन व केनाल एलॉइनमेन्ट लगाने की कार्यवाही जारी है ।

गुडगांव केनाल की योजना तैयार करने के लिये सर्वेक्षण जारी है । भरतपुर फीडर का कार्य शीघ्र शुरू हो जावेगा और उसके बाद उसकी समाप्ति में करीब बारह महीने लगेंगे ।

(घ) भरतपुर फीडर से भरतपुर व डीग तहसील और गुडगांव नहर से भरतपुर पहाड़ी व डीग तहसीलों के उत्तरी पूर्वी हिस्सों में सिंचाई होगी ।

ग्राम कुजेंड, तहसील अटरू में चिकित्सालय की स्थापना

१४२६. **श्री धन्नालाल हरीत** (छबड़ा): क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) तहसील अटरू के गांव कुन्जेड़ से नज़दीकी डिस्पेन्सरी कितनी दूरी पर है ?

(ख) क्या यह सही है उस गांव में एक डिस्पेन्सरी खोले जाने के लिए लगातार कई प्रार्थनापत्र दिये जा रहे हैं ?

(ग) उक्त स्थान पर डिस्पेन्सरी खोलने का सरकार कब तक विचार कर रही है ?

उप-स्वास्थ्य मन्त्री (श्री भीखाभाई): (क) तहसील अटरू के ग्राम कुन्जेड़ से करीब ६ मील की दूरी पर बापुर में डिस्पेन्सरी स्थित है ।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रिन्सिपल मेडिकल व हैल्थ ऑफिसर कोटा से इस विषय में पूर्ण विवरण किया जावेगा ।

श्री धन्नालाल हरित : कब तक हो जावेगा यह विचार ।

श्री भीखाभाई : रिपोर्ट आने पर ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): क्या विवरण प्राप्त करने के लिए तारीख भी निश्चित की गई है ?

श्री भीखाभाई : जी नहीं ।

श्री दयाकृष्ण विजय : तो क्या सरकार यह महसूस नहीं कर सकती कि इसमें फिर देर हो सकती है ?

श्री भीखाभाई : ऐसा महसूस नहीं करती ।

Page No.23

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि कुन्जेड़ के लिए पी. एम. ओ. कोटा ने यह लिखा है कि वहां आयुर्वेद डिस्पेन्सरी खोली जा सकेगी, कम्पाउन्डर डिस्पेन्सरी नहीं खोली जावेगी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसी बात हमारी जानकारी में नहीं है।

रेन्जर्स, जिला पाली

१४३०. **श्री बेनाराम गहलोत** (खारची): क्या मन्त्री, वन विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

पाली जिले में रेन्जर्स के हैड क्वार्टर्स कहां–कहां पर हैं तथा उनके द्वारा भेड़, बकरी और ऊंट के जंगल में चराई की रेट क्या ली जाती है ?

वनमन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : देसूरी, मैंदड़ा, सादड़ी और खोड़िया। चराई की दरें निम्नलिखित हैं ? :

	देसूरी व सादड़ी	मैंदड़ा व खोड़िया
भेड़	२ आना	१४ आना
बकरी	६ आना	१) रुपया
ऊंट ५)	५)	५)

श्री बेनाराम गहलोत : रेट्स में डिफरेन्स क्यों है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो अलग–अलग एरिया पर डिपेन्ड करता है। पहली बात तो यह है कि खोड़िया वगैरह का इलाका खुला नहीं था क्योंकि काफी डिफकल्ट एरिया था, तो उसके लिये रेट ज्यादा लगेगी और वह खुला है तो बहुत थोड़े टाइम के लिए खुलेगा।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): क्या इन रेटों को इक्वेलाइज़ करने के लिए सरकार ने कोई कमेटी अपॉइन्ट की थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इक्वेलाइजेशन पर विचार करने के लिए नहीं, पर रेशने-लाइज़ करने के लिए की थी।

श्री श्रीभानसिंह : तो उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : गवर्नमेंट को अभी थोड़े अर्से पहले सबमिट हुई।

श्री श्रीभानसिंह : उस रिपोर्ट पर कब तक निर्णय ले लिया जावेगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : कुछ समय लगेगा।

झालावाड़ व पाटन में पीने के पानी की व्यवस्था

१४३१. **श्री भैरवलाल 'कालाबादल'** (अकलेरा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे :–

(क) क्या झालावाड़ और पाटन कस्बों में जनता को पीने के लिए पानी नहीं मिलता ? यदि मिलता है, तो फी घड़े की क्या कीमत जनता को देनी पड़ती है ?

(ख) क्या यहां की जनता को मुख्य मन्त्री ने यह आश्वासन दिया था कि ६ माह में दोनों कस्बों में नल लगा दिये जावेंगे ?

(ग) अब तक नल योजना में कितनी प्रगति की गई ?

उप स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) इन कस्बों में पीने के लिए पानी मिलता है किन्तु ग्रीष्म ऋतु में कठिनाई होती है और जनता को १ घड़े के लिए एक आना से डेढ़ आने तक देना पड़ता है।

(ख) स्वायत्त शासन विभाग को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

(ग) झालावाड़ में रिजर्वायर पम्प हाऊस क्योरिनेशन प्लॉन्ट्स इत्यादि पूर्ण हो चुके हैं। झालरापाटन में टेन्क का कार्य आवश्यक सामान प्राप्त होते ही आरम्भ किया जायेगा।

झालावाड़ व झालरापाटन की स्कीमों पर अभी तक रू० ६,२७,००० व ३.३१,००० क्रमश: व्यय हो चुका है।

श्री रामचन्द्र (डग-सु.): वाटर सप्लाई का क्या प्रबन्ध होगा। पानी कहां से लिया जायेगा ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : कुए से लिया जायेगा। यह इनफार्मेशन नहीं मांगी गई थी। उसकी प्रगति के बारे में पूछा था और उसका जवाब दे दिया।

डॉ० चन्द्रकला : आपने प्रश्न के (ख) भाग का उत्तर दिया है कि जानकारी इस विभाग के पास नहीं है। क्या विभाग ने जानकारी करने की कोशिश की ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री) : जो आश्वासन दिया है उसके बारे में निवेदन किया है कि इस विभाग के पास कोई जानकारी नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या विभाग ने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा कोई रेकार्ड नहीं है, जिससे जानकारी हो सके।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): क्या सरकार आश्वासन का कोई मूल्य समझती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : समझती है, तभी तो कहा है कि कार्यवाही हो रही है।

डॉ० चन्द्रकला : आश्वासन भी दिया गया है या नहीं ? अगर दिया गया है तो किस रूप में दिया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : काम ऑल-रेडी हो रहा है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या मन्त्री महोदय जिस समय आश्वासन देते हैं, तो उसकी सूचना सम्बन्धित विभागों के पास नहीं भेजते ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इस केस में इसलिए सूचना नहीं भेजी कि इन्जीनियर ने कहा था कि जल्दी करा देंगे।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : क्या यह जानकारी है कि जो ८ कुंए खुदाये गये थे वह सारे के सारे फेल कर दिए और दूसरे खुदवाये जा रहे हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अगर उनमें पानी नहीं होगा, तो दूसरे खुदवाये जायेंगे।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या आश्वासनों को टालू मिक्स्चर समझा जाये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नहीं, वाटर वर्क्स लग रहे हैं। यह ६ लाख का काम एक जगह चल रहा है और ३ लाख का काम दूसरी जगह हो रहा है। यह खामख्वां मज़ाक उड़ाने की बात हो, तो दूसरी बात है।

श्री दयाकृष्ण विजय : जो ८ कुए खुदवाये गये उनमें पानी नहीं निकला, क्या सरकार को ऐसी जानकारी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह जानकारी नहीं है ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : यह योजना कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो मुझे नहीं मालूम । सामान मिलने के पश्चात काम आरम्भ हो जावेगा ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) **:** यह सारे सामान के लिए गवर्नमेन्ट ने किस को आॅर्डर्स प्लेस किये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह अलग प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : श्री दलपतसिंह ।

नगरपालिका, आबूरोड

१४३२. **श्री दलपतसिंह** (आबू) **:** क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सत्य है कि माउन्ट आबू में म्युनिसिपल बोर्ड का चुनाव नहीं होता है और सदस्य नोमीनेट किये जाते हैं ? यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

(ख) क्या सरकार वहां पर म्युनिसिपल बोर्ड का चुनाव कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों नहीं ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) **:** (क) जी हां । बाम्बे डिस्ट्रिक्ट एक्ट १९०१ की धारा ५४ के अनुसार माउन्ट आबू हिल स्टेशन होने से चुनी हुई म्युनिसिपैलिटी का होना आवश्यक नहीं है ।

(ख) इस सम्बन्ध में विचार किया जायेगा ।

श्री अनोपसिंह : क्या यहां राजस्थान म्युनिसिपैलिटी एक्ट लागू नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अभी नहीं है ।

श्री अनोपसिंह : जहां म्युनिसिपैलीटीज़ चलती हैं, उनमें जो कायदे हैं वह वहां लागू नहीं किये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वहीं का कायदा लागू है ।

श्री अनोपसिंह : राजस्थान का कानून लागू नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सारे राजस्थान के लिए जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक लागू नहीं होगा ।

खारी नदी (भीलवाड़ा) के बांध से मार्गों का अवरोध

१४३३. **श्री जयसिंह** (आसिन्द) **:** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) तहसील आसीन्द, ज़िला भीलवाड़ा में खारी नदी के बांध से किन-किन गांवों के रास्ते तहसील हैड क्वार्टर पर आने वाली पब्लिक के लिए बन्द हो गये हैं ?

(ख) क्या इनमें ग्राम कटार को शुमार किया गया है ?

Page No.26

(श्री जयसिंह)

(ग) यदि हां, तो पब्लिक की सुविधा के हेतु इस गांव के लिए आसिन्द तहसील तक आने—जाने के लिए मार्ग की सुविधा कब तक प्रदान की जायेगी ?

(घ) क्या इस मार्ग का एस्टीमेट पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा तैयार करा लिया गया है ?

(ङ) यदि हां, तो कितने रुपयों का यह तखमीना है ?

(च) यदि नहीं, तो कब तक तैयार होकर कार्य सम्पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ?

उप–सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई): (क) निम्नलिखित गांव और वहां से आसिन्द जाने वाले रास्ते खारी बांध के सबमरजेन्स में आ गये हैं। डूब में आने वाले गांवों को दूसरी जगह बसा देने के कारण आवागमन में रुकावट का प्रश्न ही नहीं उठता।

१. डनडिया
२. सुनगरी
३. फूलदेह
४. मचान की बारी
५. जावेरा

(ख) नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि कटार से आसिन्द जाने वाले कच्चे रास्ते का कुछ हिस्सा ही डूब में आया है और उस कारण रास्ते की लम्बाई ६ मील से ११ मील हो गई है।

(घ) इसका सम्बन्ध निर्माण विभाग से है।

(ङ) इसका सम्बन्ध निर्माण विभाग से है।

(च) इसका सम्बन्ध निर्माण विभाग से है।

श्री अध्यक्ष : श्री मोतीबाबा चौधरी।

दान्तीवाड़ा व पाचलवाड़ा उगटी बांध का सर्वे

१४३४. **श्री मोतीबाबा चौधरी** (बाली) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि दान्तीवाड़ा और पांचलवाड़ा उगटी के बांध की सर्वे हो चुकी है ?

(२) यदि हां, तो अभी तक निर्माण कार्य आरम्भ न किए जाने के क्या कारण हैं ?

उप–सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई): (१) दान्तीवाड़ा बांध की सर्वे हो चुकी है और पांचलवाड़ा की अभी नहीं हुई।

(२) दान्तीवाड़ा की योजना की स्वीकृति दे दी गई है और काम शीघ्र ही शुरू हो जायेगा। पांचलवाड़ा योजना के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को सर्वे के लिए आदेश दे दिये गये।

श्री वेनाराम गहलोत (खारची) : यह आदेश कब दिये गये ?

श्री भीखाभाई : उसकी तारीख नहीं है। लेकिन जल्दी ही उसके सर्वे का काम शुरू हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री उमेदीलाल।

पंचायतों का पुनर्गठन, सवाई माधोपुर

१४३५. श्री उमेदीलाल (करौली) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार जिला सवाई माधोपुर की पंचायतों का पुनर्गठन करने का इरादा रखती है? अगर हां, तो किस आधार पर?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : इस समय कोई इरादा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

क्रय विक्रय समिति संघ लिमिटेड, अजमेर

१४२६. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) क्या मन्त्री, सहकारी विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि सन् ४८ में अजमेर मेरवाड़ा क्रय विक्रय समिति संघ लिमिटेड नामक संस्था रजिस्टर्ड हुई? यदि हां, तो उस समय उसके कौन से मन्त्री थे?

(२) क्या उपरोक्त संस्था के हिसाब किताब का ऑडिट हुआ और क्या कोई जांच कमेटी बिठाई गई? यदि हां, तो कब और उसने क्या रिपोर्ट की?

(३) क्या यह सही है कि ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त संस्था में रुपये का गोलमाल हुआ है और क्या यही नतीजा जांच कमेटी ने भी निकाला था?

(४) क्या यह सही है कि अजमेर के चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट श्री सर्वाधर ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग अजमेर को २५ मार्च, सन् ५७ को प्रस्तुत कर दी और क्या यह भी सही है कि इस ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त मन्त्री के खिलाफ दो लाख से भी ऊपर का गबन साबित होता है? यदि हां, तो इस विषय में अभी तक क्या कार्यवाही हुई है?

(५) इस सम्बन्ध में कोई शिकायत राज्य सरकार के पास भी आई और यदि हां, तो उस पर क्या कदम उठाया गया?

सहकारी मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) हां। दिनांक १०–४–५८ को पंजीयक से ७–६–४८ तक श्री नारायण दास मेहता एवं दिनांक ८–६—४८ से श्री गणेशमल मन्त्री रहे हैं।

(२) हां समय समय पर इसका अंकेक्षण हुआ है। इस समिति के विधान कार्य प्रणाली एवं आर्थिक स्थिति की जांच करने हेतु कोई जांच कमेटी नहीं बिठाई गई बल्कि श्री जगन्नाथ शर्मा एडवोकेट ब्यावर को सहकारी नियम के अन्तर्गत गत दिनांक ८—१—५३ को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था जिनकी रिपोर्ट में बतलाया गया कि संघ का कार्य संघ के विधानानुसार नहीं किया गया है और न ही मन्त्री ने संविदा पत्र (एग्रीमेंट) के अनुसार अपनी ओर से

Page No.28

(श्री नाथूराम मिर्धा)

धनराशी जमा करवाई। संघ के संचालक मण्डल ने अपने कार्य में रुची नहीं ली तथा संघ के मन्त्री श्री गणेशमल स्वेच्छानुसार कार्य कर रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप अन्य सदस्य संघ के कार्य से अनभिज्ञ रहे। संघ में धनराशी की कमी के कारण व मन्त्री के अनियमानुसार कार्य करने व संविदा पत्र के अनुसार रकम जमा नहीं करवाने के कारण संघ की आर्थिक स्थिति-दिन प्रति दिन गिरती गई। सारांश यह है कि संघ के कार्य को पूर्ण तथा त्रुटियां युक्त बतलाया गया है।

(३) हां श्री सर्वाधर चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट ने उनकी ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार जो दिनांक २५—३—५७ को सहायक पंजीयक सहकारी समितियां अजमेर को पेश की २०-२८६१ रु० ७ आ० ३ पा० का मन्त्री श्री गणेशमल मन्त्री द्वारा गोलमाल किया गया बतलाया गया है जाच अधिकारी इस नतीजे पर नहीं पहुँचे।

(४) हां, उन्होंने अपनी ऑडिट रिपोर्ट दिनांक २५—२—५७ को सहायक पंजीयक सहकारी समितियां अजमेर को प्रस्तुत कर दी थी, जिसमें २०८६१ रु० ७ आ० ३ पा० का गोलमाल श्री गणेशमल द्वारा किया गया बतलाया है। जिसके परिणाम स्वरूप मामला पुलिस अधिकारियों को दिनांक १६—४—५७ को उचित कार्यवाही हेतु दे दिया गया है तथा पंजीयक सहकारी समितियां राजस्थान द्वारा राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट १६५३ की धारा ५७ के अन्तर्गत केस दर्ज कर लिया है और दिनांक ३—२—५८ से कार्यवाही जारी है।

(५) हां इस सम्बन्ध में श्री पी० दयाल ने दिनांक २७—४—५० को अजमेर के मुख्य आयुक्त को एक शिकायत प्रस्तुत की थी जिस पर दिनांक ७—६—५० को पं... सहकारी समितियां अजमेर से समिति के उपनियम तथा हिसाब की सही प्रतिलिपि जब से यह संस्था स्थापित हुई थी न गो गई थी इस पत्र व्यवहार में काफी समय बीत गया जब मामला निर्णय पर नहीं आता पाया गया तो इस मामले को गवर्नमेंट (अजमेर) की आज्ञा दिनांक २०—११—५४ के अनुसार पुलिस अधिकारियों को दिनांक ७—१२—५४ को देदिया गया काफी छानबीन के बाद पुलिस अधिकारियों ने यह रिपोर्ट की कि इस फेडरेशन के हिसाबातों से कोई खास बात ऐसी प्रतीत नहीं होती जिससे कि कोई गबन का मामला निकले, ऐसी सूरत में पुलिस अधिकारियों ने यह दिनांक २८—१—५६ द्वारा यह चाहा कि फेडरेशन के हिसाबात की दुबारा जांच की जाय और जब से संस्था स्थापित हुई तब से आज तक का हिसाब बनवाया जाय तब इस मामले में कार्यवाही की जा सकती है इस पर पंजीयक सहकारी समिति अजमेर के दिनांक १७-३-५६ को श्री सर्वाधर गुप्ता चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट को इनवेस्टीगेटिंग ऑडिट के लिये नियुक्त किया जिसने अपनी रिपोर्ट दिनांक २५-३-५७ को सहायक पंजीयक सहकारी समितियां अजमेर को प्रेषित किया कि सहायक पंजीयक ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अजमेर को लिखा कि इनवेस्टीगेटिंग ऑडिट हो चुका है और यह मामला अब पुलिस अधिकारियों के पास भेज दिया जाय और सेक्रेटरी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के लिये दिनांक १६-४-५७ द्वारा लिखा गया है उसकी प्रतिलिपी पुलिस अधिकारियों के पास भेज दी गई व इस कार्यालय में भी आई जिस पर

Page No.29

(श्री नाथूराम मिर्धा)

श्री गणेशमल को राजस्थान कोआॅपरेटिव सोसाइटी एक्ट की धारा ५७ के अन्तर्गत रोकड़ व स्टॉक का गबन करना बताया जाकर उस रकम की अदायगी के लिए मियाद एक महीने जमा कराने हेतु नोटिस दिया गया है जो कि दिनांक ४–२–५८ को श्री गणेशमल को मिल गया है परन्तु अभी तक न तो उस मन्त्री गणेशमल ने कोई जवाब ही दिया है न कोई तारीख ही इस संबंध में मिलने की मांगी है। अब तक कोई राशी भी इस संबंध में जमा नहीं हुई है अब इस मामले में इस कार्यालय द्वारा राजस्थान कोआॅपरेटिव सोसाइटी एक्ट, १९५३ के अन्तर्गत उचित कार्यवाही की जा रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या गणेशमल की पब्लिक डिमान्ड रिकवरी एक्ट के तहत अटेच की गई है?

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी नोटिस दिया है। अभी जवाब नहीं आया हैं। अगर जवाब नहीं देगें तो आगे की कार्यवाही करनी पड़ेगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जवाब टाइम पर नहीं दिया और एक महीने की मियाद निकल गई और मियाद निकलने के बाद में पोपर्टी को ट्रान्सफर करदे। या सैल कर दे या रिनुएट कर दे उसके लिए क्या किया गया है?

श्री नाथूराम मिर्धा : उसके बारे मे उचित कदम उठाये गये हैं।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) क्या यह सही है कि सहकारी समिति का श्री गणेशमल अबतक मंत्री बना हुआ बैठा है।

श्री नाथूराम मिर्धा वह सहकारी समिति काम नहीं कर रही है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जितनी भी सहकारी समिति के कागज़ात, हिसाब किताब व सारी चीज़ें जो हैं वे गणेशमल के अधिकार में हैं?

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं। बहुत कुछ कागज़ात तो पुलिस में हैं, कुछ डिपार्टमेंट में हैं और सब अलग अलग जगहों पर हैं।

श्री भैरोंसिंह : सहकारी समिति को क्यों बन्द किया गया है?

श्री नाथूराम मिर्धा : पुराने ज़माने में वह सप्लाई का काम करने वालों का संघ बना हुआ था। वह काम खतम हो गया है और अब काम नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सहकारी समिति को सहकारी सहायता दी हुई है?

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं।

श्री भैरोंसिंह : केस के पुलिस में रजिस्टर होने के बाद उसका चालान अब तक क्यों नहीं हुआ? इस संबंध में क्या सरकार के इस विभाग ने पुलिस विभाग से जानकारी प्राप्त की है?

श्री नाथूराम मिर्धा : पुलिस से कोई जानकारी प्राप्त नहीं की।

श्री भैरोंसिंह : क्या कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ विभाग में इस मुकद्दमे का पीछा

(श्री भैरोंसिंह)

करने के लिए किसी अधिकारी को नियुक्त किया गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष :

प्रश्नसंख्या १४३७

श्री महादेव प्रसाद बंका

अनुपस्थित

श्री तनसिंह।

जोधपुर में पीने के पानी की व्यवस्था के लिये जवाई बान्ध से नहर लाने की योजना

१४३८. **श्री तनसिंह :** (बाड़मेर) क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या जोधपुर में पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिये जवाई बान्ध से नहर लाने की कोई योजना बनाई गई थी ?

(२) यदि हां, तो क्या यह योजना क्रियान्वित की गई ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा : सिंचाई मंत्री की ओर से)

(१) जी हां।

(२) योजना क्रियान्वित हो रही है।

सरपंच, ग्राम पंचायत. मांडल।

१४३९. **श्री शिवचरणदास** (मांडल) : क्या स्वायत्तशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि ज़िला भीलवाड़ा तहसील मंडल के ग्राम करेड़ा पंचायत के सरपंच के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास किया गया है ?

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई ?

(ग) क्या यह सही है कि तहसील पंचायत के उप सरपंच ने वहां के क्लार्क से पंचायत ऑफिस की चाबियां हस्तगत कर ली।

(घ) यदि हां, तो क्या यह कार्य वैधानिक है ?

स्वायत्तशासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी हां।

(ख) जांच से अविश्वास का प्रस्ताव राजस्थान पंचायत अधिनियम १९५३ की धारा १९ के अन्तर्गत पास होना नहीं पाया गया।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री शिवचरणदास (माण्डल): क्या बात थी कि जो अन्तर्गत नहीं आया कानून के ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा है कि तीन चौथाई मेम्बर्स की राय होनी चाहिए और उसमें १६ मेंबर्स में से १० की राय से वह तय हुआ था, इसलिए पास होना नहीं माना गया।

Page No.31

श्री शिवचरणदास : तीन चौथाई कुल संख्या के होने चाहिए या जो मेम्बर उस वक्त हैं, उनका तीन चौथाई होना चाहिए उस पंचायत में कुछ पंचों के ऐसे स्थान हैं जिनमें एक, दो पंचों के रिक्त स्थान थे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कुल जितने मेम्बर्स हों पंचायत के उसका तीन चौथाई। वहां पर १६ मेम्बर्स हैं, उसका तीन चौथाई होना आवश्यक है।

श्री शिवचरणदास : अगर स्थान रिक्त हों २, ३, ४, पंचों के उस वक्त क्या कायदा रहता है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तब भी यह नियम लागू रहता है।

श्री अध्यक्ष :

प्रश्न संख्या १४४०।

श्री हजारी लाल बोकोलिया

अनुपस्थित

श्री तेजाराम।

चल पशु चिकित्सालय

१४४१. **श्री तेजाराम गेहलोत** (सोजत): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में चल पशु चिकित्सालय कितने हैं और वे कहां २ पर है?

(ख) हर चल पशु चिकित्सालय पर निम्नलिखित मदों पर सालाना कितना खर्च होता है?

(१) एस्टेब्लिशमेंट का वेतन।

(२) सवारियों का मेन्टीनेन्स।

(३) दवाइयां।

(४) टी. ए.।

(५) डी. ए.।

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा): (क) राजस्थान में ७ चल पशु चिकित्सालय हैं, जो निम्नलिखित ज़िला स्थानों पर हैं:

१) पाली २) जैसलमेर ३) जालौर, ४) भरतपुर ५) सीकर ६) उदयपुर ७) अजमेर।

(ख) इन पांचों मदों पर सालाना होने वाले एक पशु चिकित्सालय के खर्चे का विवरण की सूची इस प्रकार है :

(१) एस्टेब्लिशमेंट का वेतन	४,१४०) रू०
(२) सवारियों के मेन्टीनेन्स	१,०००) रू०
(३) दवाइयों पर	१,०००) रू०
(४) टी. ए.	१,१००) रू०
(५) डी. ए.	१,३८०) रू०
कुल	८,६२०) रू०

श्री तेजाराम : क्या यह पशु चिकित्सालय शिड्यूल्ड प्रोग्राम से गांवों में जाते हैं या अपनी इच्छा के मुताबिक जाते हैं?

श्री नाथूराम मिर्धा : अब यह कर दिया है कि पहले नोटिस दें कि किन २ गांवों से किस किस तारीख को गुजरेंगे ताकि लोग बीमार जानवरों को हाजिर रखें।

श्री सरदारसिंह (उनियारा) : जहां पर २० मील में पशु चिकित्सालय नहीं है, क्या सरकार वहां पर पशु चिकित्सालय गश्ती खोलने के लिए तैयार है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ज्यों ज्यों फन्डस उपलब्ध होते जायेंगें, इस काम को बढ़ाते जायेंगें ।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : क्या जो यह खर्चा ८ चल-पशु चिकित्सालय पर बताया गया है, वह यथेष्ट समझा जाता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं, मैंने केवल ७ नम्बर बताये हैं और एक के लिए ८ हज़ार का खर्चा बताया है ।

श्री तेजाराम : क्या एक पशु चिकित्सालय के सालाना १०००) रू० की जो दवाइयां दी जाती हैं, वे काफी हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : दवाइयों की कोई कमी नहीं है, जितने भी बीमार जानवर मिलते हैं उनका बराबर इलाज़ होता है ।

श्री जयसिंह (आसिन्द) : क्या यह चल पशु चिकित्सालय एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी जाते हैं ?

श्री अध्यक्ष : आपने यह पहले भी पूछा है ।

मातृ सदन, डीग ।

१४४२. **श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) डीग, ज़िला भरतपुर, में मातृ सदन (मेटरनिटी होम) कब से स्थापित है ?

(ख) क्या वहां कोई लेडी डाक्टर भी रखी गई है ?

(ग) यदि हां, तो कब से ?

(घ) यदि नहीं तो क्यों, नहीं तथा लेडी डाक्टर की व्यवस्था कब तक हो सकेगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) डीग, ज़िला भरतपुर, में मेटरनिटी वार्ड बना हुआ है, अलग से कोई मेटरनिटी होम नहीं है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : लेडी डॉक्टर रखने की व्यवस्था कब तक होगी ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : ऑन ए प्वाइन्ट ऑफ इनफॉर्मेशन, सर, The question hour is over.

श्री अध्यक्ष : It will be over, when I say it is over. please take your seat.

(विपक्ष की ओर से थपथपाहट)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : It is not over but your mind is over.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : जब मेटरनिटी वार्ड में लेडी डॉक्टर नहीं है, तो फिर मेटरनिटी वार्ड की क्या उपयोगिता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वार्ड में मिडवाइफ काम करती है ।

श्री अध्यक्ष : श्री वली मोहम्मद ।

सड़क निर्माण, बाड़मेर

१४४३. श्री वली मोहम्मद (चोहटन) क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ।

(क) बाड़मेर ज़िले में सन् १९५७-५८ में सड़कें बनाने हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई थी ?

(ख) कितनी सड़कें बनाने की योजना थी ?

(ग) उपरोक्त सड़कों में से कितनी बन चुकी हैं व कितनी बाकी है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) (१) सड़क बनाने हेतु २,३३,२२०) रु० ।

(ख) पांच सड़कों पर कार्य होना था ।

(ग) चार सड़कों पर कार्य हुआ जिन पर लगभग १,६६,०००) रु० खर्च किया गया ।

प्रश्न संख्या १४४४.

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीनिवास शारदा ।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मीचन्द ।

जल बोर्ड, जालौर द्वारा २२७ बोरी सीमेंट का गबन

१४४५. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–(१) क्या यह सत्य है कि जिला जालोर जल बोर्ड द्वारा २२७ बोरी सीमेंट गबन करने की कोई सूचना ज़िला सेकेट्री द्वारा प्राप्त हुई थी, यदि हां, तो कब और इसके सम्बन्ध में किन किन से दरयाफ्त किया गया ?

(२) क्या सरकार इस प्रकार के सार्वजनिक कार्यों में शीघ्र ही छानबीन करने को तैयार है ।

श्री अध्यक्ष : सप्लीमेन्ट्री नहीं पूछे जायेंगे ।

उप मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : जी हां । ३–५–५७ को ज़िलाधीश ने निम्नलिखित व्यक्तियों से पूछताछ की:—

श्री रिखबदास, रतनलाल, सिरोही, कुन्दनमल, सिरोही, रणछोड़राम, रेवाशंकर, बद्रीशंकर, बकतिया, चेनिया, मीठालाल, छांकलचन्द घीसाराम, मगनराज, सांकलचन्द, जयलाल, उगमसिंह, कुन्दनमल, लक्ष्मीचन्द, देवीचन्द, जगदीश, कायरमल, बद्री नारायण, लछिया, गेता, गीगला, हीमता, कालिया, कृष्ण, भैरूशंकर, अचलिया, बेलिया, रेवता, शान्तीलाल, रतनलाल, धरमदास और गेनाराम ।

(२) जी हां । इस मामले में भी तत्परता में कार्यवाही की जा रही है ।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या इनका चालान हो गया है या यह मामला पुलिस में दिया गया है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : एक का चालान हो चुका है और एक जमानत पर

Page No.34

(श्री पूनचन्द विश्नोई)

छोड़ दिया गया है। रणछोड़राम की गिरफ्तारी का वारन्ट लागू कर दिया गया है।

श्री लक्ष्मीचन्द : सीमेन्ट की रकम क्या जमा हो गई है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : वह रकम बरामद कर ली गई है।

श्री लक्ष्मीचन्द : किस से हुई है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह मुझे निश्चित तौर से मालूम नहीं है, लेकिन रकम बरामद हो चुकी है।

श्री लक्ष्मीचंद : रणछोड़राम के खिलाफ क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : कानूनी वारन्ट हासिल किया गया है और यदि गिरफ्तार नहीं किया गया, तो उसके माल का कुर्क कर लिया जायगा, उसकी खेती को कुर्क कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

६. १२, म० पू०

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री श्रीनिवास शारदा ने दिनांक ११-४-५८ से १६-४-५८ तक अनुपस्थित रहने के लिए प्रार्थना की है। क्या सदन की यह अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की गई।

६. १३. म० पू०

राजस्थान राजधानी जांच समिति के प्रतिवेदन पर अग्रेतर वाद-विवाद

(अनेक माननीय सदस्यों के साथ बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : Shri B. N. Joshi has cought my eye.

श्री बी. एन. जोशी (बांदीकुई) : Mr. Speaker, Sir,...

श्री श्रीभानसिंह : I just rise on a point of information. I had tabled a privilege motion and would like to know if the Chair has taken any decision on it.

श्री अध्यक्ष : It is being examined.

श्री बी. एन. जोशी : Mr. Speaker, Sir,...

बहुत से माननीय सदस्य एक साथ : हिन्दी में बोलिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जिस भाषा में बोलना चाहें उनको उसी भाषा में बोलने दीजिये।

श्री बी. एन. जोशी : Under the rules of procedure I am entitled to speak in any medium.

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य को कृपया बोलने दें। वे जिस भाषा में बोलते हैं, यह उनकी रूचि है। आप उनको बाध्य नहीं कर सकते।

श्री भैरोंसिंह : मैं विरोधी पक्ष के सदस्यों की ओर से बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि सभी सदस्य आपके भाषण से लाभ उठा सकें और आपके विचारों की जानकारी सभी सदस्यों को देने के लिए और कम से कम उन लोगों को जानकारी देने के लिये हिन्दी में बोलें जो अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानते है।

श्री अध्यक्ष : ये सब को लाभ उठाने देना नहीं चाहते ।

श्री बी. एन. जोशी : Sir, I rise to express my views on the findings of the Rajasthan Capital Enquiry Committee. At the outset, Sir, I must submit that this question,

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मैं स्वयं इस बात को पसन्द करता हूं कि हिन्दी में बोला जाय, लेकिन कोई माननीय सदस्य यदि अंग्रेजी में बोलते हैं तो इस प्रकार से उनको रोका जाना उचित बात नहीं है, यहां पर इस प्रकार का सिलसिला चल पड़ा है। टेबल को बजाना और हल्लागुल्ला करके रोकना उचित नहीं हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : उनसे प्रार्थना यह की जा रही है 'कि कितने ही सदस्य अंग्रेजी नहीं जानते....

श्री भानसिंह : कोई प्रार्थना का सवाल नहीं है, यह राइट है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों ने अपना विरोध टेबल थपथपा कर और शोर-गुल करके कर दिया है, लेकिन माननीय सदस्य को हक है कि वे जिस भाषा में बोलना चाहें बोलें।

श्री बी. एन. जोशी (बांदीकुई) : At the outset Sir, I must emphasise that the question which is before this House deserves to be dealt with not in a regional or parochial manner,but in a broad way. We have seen that in other parts of the country, similar questions were attended with most unfortunate consequences. Therefore, it is incumbent upon us to rise above the parochial considerations and territorial interests in our discussions.

Sir, at the outset, I must state that the very composition of the Enquiry Committee was unfortunately defective. We find that out of 3 Members of this Committee, the Chairman happened to be a retired judge and the other two Members were men of services. They were officers of the Government. Now it means that all the three of them were persons of the services and whether one of them was a gentleman belonging to Judicial Service, does not make any difference whatsoever, because basically and essentially, the difference between two persons coming from Judicial services and the Executive is as much as

(श्री वी. एन, जोशी)

between tweedledum and tweedledee and thus the entire report suffers from that defect as I will presently point out.

In coming to their decision, the Hon.Members of this Committee have attached undue importance to the opinions of one person, i-e-the Chief Justice of the Rajasthan High Court and unfortunately they have not given due weight to the opinion of another very important person, i. e. the Chief Minister of Rajasthan State, who had stated before the Committee that any recommendations for the abolition of Jaipur bench are bound to be attended with widespread disturbances and agitation. They have summarily rejected this argument, saying that they were an expert committee and it was not within their province to take into account such factors. I have to submit, Sir, that it was the people's opinion which was represented before the Committee by the Hon. Chief Minister. Some Members have criticized the Chief Minister for having expressed this view. But Sir, I feel that the Chief Minister would have failed in his duty if he had not apprised the Committee of the state of feelings in this province on the issue of the retention of Jaipur bench and the retention of status-quo with regard to the High Court. The responsibility of maintaining law and order in the State, the responsibility of running the Government of the State, rests on the Chief Minister, it does not rest with Justice Rao or those members. Yet, Sir, it was a matter of misfortune that the views of the Chief Minister were not given due weight by the members of the Committee and they summarily rejected and refused to take them into consideration.

Now, Sir, on that very ground, the entire report of this Committee is most unrealistic as it is not related to the realities of the situation, having not taken those factors into consideration which were very important and most relevant. Besides that Sir, I would submit that the Committee had stated that they had borne two cardinal principles in mind in coming to the decision to which they had come. One of them was that the whole thing should be viewed not from any parochial point of view, but from the point of view of whole of Rajasthan. Second principle was that the solutions suggested should effectively dispose of all controversial matters. I have humbly to submit that the Committee itself has failed in both these respects. They have given as a ground for their recommendation that the consolidated High Court should be located at Jodhpur, as the importance of the place deserves to be maintained. If this is not a parochial and regional view, I fail to understand what else is ?

Secondly, this is my firm opinion that if the recommendations of this Committee were to be implemented, it would create more problems than it was intended to solve. It would

(श्री बी. एन. जोशी)

create a great deal of discontentment and it will lead to widespread disturbances as were attended in provinces of Bombay and Madhya Pradesh at the time of implementation of the recommendations of the S. R. C. Some learned Members have said that there is no popular opinion within Jaipur Division regarding High Court, because there has been no meetings on this issue. I have to submit that if the existence of popular opinion and popular discontentment can be measured only by the holding of meetings, then I have to say that the people of Jaipur will not fail to convince them in that particular way. If the Government, if the powers that be, if this House can be convinced by, and if they can understand only the language of threats, strikes, demonstrations and protests, well they would be made to understand in that language also. The people of Jaipur have been confining themselves to most peaceful and constitutional methods. They have not staged demonstrations, they have not held meetings as has been done by their counter parts in Jodhpur, they have not arranged strikes or 'hartals'. They have only taken peaceful deputations; and I may submit for the information of this House that there cannot be a greater victory for the case of Jaipur for the retention of the bench as well as for the capital, than the fact that 102 Members of this House have appended their signatures to a memorandum submitted to the Home Minister and the president of this country, to the effect that the Bench at Jaipur should be retained and, if a decision is ultimately taken for the establishment of a consolidated High Court at one place, then it should be at a central place like Jaipur which is easily accessible to persons living in all the four corners of the State. This shows that the concensus of opinion of the Members of this House is also in favour of the status-quo.

I would like to say a word regarding the capital, Sir. Some people have tried to re-open the issue of capital which in fact, after the recommendations of the Patel Committee, after the recommendations of the present Rao Committee and after the investment of crores of rupees in the form of establishing vasious institutions providing of so many other amenities and construction of building at Jaipur is a closed issue. Some persons have pleaded that Jaipur is not the geographical centre of Rajasthan and Ajmer is better situated geographically. I have to submit, Sir, that there is no country in the world probably where the capital might be located at the geographical centre. It is no where necessary. New Delhi is not the centre of India, London is not the centre of England, Peking is not the centre of China, Washington is not the centre of U. S. A. Berlin was never the centre of Germany and Paris is not the centre of France. So

(श्री बी. एन. जोशी)

this is a most absurd argument which is raised against Jaipur that it is not the geographical centre.

Similarly, we have to remember that we have a province which is situated at the border of the country and we have as our neighbour a country with which we do not have very cordial relations. Only a few months ago, the Prime Minister of this country had sounded a warning that the people should be perpared for every eventuality. In these circumstances the capital must be located at a place farthest from the Indo-Pakisthan border and from that point of view, Jaipur is preferable to Ajmer,

अनेक माननीय सदस्य : There are other qualifications.

श्री बी. एन. जोशी (जारी) : There are other qualifications also, but this is one of the major considerations and in this respect the case of Jaipur is irresistible as compared to Jodhpur and Ajmer-the other places do not stand any comparison with Jaipur and so their question does not arise.

Moreover, Sir, some Members of this House have also suggested that if buildings are lacking at another place, they can now be constructed. It is very easy to say so, Sir, but I have to submit that we have to take into account the investment of over 10 crores of rupees of the Rajasthan taxpayers' money which will have to be made if the capital were to be removed from this place at any time in future. I have to say that in the circumstances when we are short of funds for the Second Five Year plan when we are going to foreign countries with the beggar's bowl when we are asking the local consumer and more taxpayer to give moe and more money in the Small Savings Scheme, in these circumstances is it at all justifiable to say that for satisfying the whims and caprices of certain people, the capital of Rajasthan should be removed. It would be just like following in the footsteps of Mohammad Tuglaq. I would say that in this democratic age, Rajasthan will not allow the ways of Mohammad Tuglaq. Those who go on the way of Mohammed Tuglaq would love to meet the fate of Md. Tuglaq. The Capital at Jaipur is an accomplished fact and the sooner we realise it, it would be better for all concerned. It should be a closed chapter and a sealed book and any efforts to open it would be fruitless and futile.

Then, Sir, regarding the High Court, I would like to submit that the first thing is that it is absolutely necessary that the High Court should be situated at a place which is virtually in the centre, which is easily approachable to all persons of different parts of State. Our State is a backward State and our people are poor. Justice Rao has suggested that the difference in railway fare between Jaipur aud Jodhpur is only Rs. 11.45.

Page No.39

(श्री बी. एन. जोशी)

Now it means about Rs. 12.60 for One journey, and if the case is adjourned for five hearings,then it would come to Rs.60,/--if it is adgorned to hearigs, it would come Rs' 120/-- Rs. 60 olmay not mean much for a person drawing a fat salary, to pesons with high income, but for the average citizen of Rajasthan, who finds it difficult to make two ends meet, I say that this will make all the differnce between the success and failure of his case, between getting justice and failing to get Justice.

About the volume of work, I would say that during the years 1950, to 1957, the instiution at Jaipur has been in excess of the institutions at Jodhpur, even though the other Divisions of Bikaner and Udaipur are attached to Jodhpur. I am constrained to observe, Sir, that the Committee has done less then Justice to Jaipur Bench, because they have chosen to deduct the institution at Ajmer from Jaipur. Ajmer is attached to Jaipur Bench for all practical purposes and taking into account the case work of Ajmer, the total case work at Jaipur far exceeds that of Jodhpur.

The abolition of Jaipur Bench would mean only the transfer of about 90 persons,one Deputy Registrar, four Judges,51 clerks and 34 class IV servants. I don't think the transfer of these 90 persons is going to add to the importance,greatness or glory of Jodhpur. It is only psychological satisfaction and for this psychological satisfaction to the people of one place, we do injustice to the people of entire State by placing justice out of their reach at a place which is not easily accessible. It is denying them their basic right.

Then about another factor, Sir, my learned friends have said that the people of Jaipur who have got the capital, they should be more liberal. I have to submit that we have been not only liberal but extra-liberal. Crores of rupees of the Government treasury are being spent on schemes like Chambal, Bhakara Nagal, Jawai Dem, etc. We never grudge that these schemes are going to benefit only the people of certain regions and not Jaipur Division, which has the highest density of population and contributes a lion's share to the Rajasthan treasury. But we said that it is for the benefit of Rajasthan and we have to share in it. We have to share the misfortune and good fortune alike. No body here has taken any objection for anything that is being done at the expenditure of lakhs and crores of rupees in other parts of Rajasthan. And now in the first test which has come, the gentlemen of Jodhpur Division have unfortunately failed and they insist that for affording them a psychological satisfaction, over one crore of persons inhabiting Jaipur and Kotah divisions should be deprived of the advantages of an easily accessible High Court.

Page No.40

(श्री बी. एन. जोशी)

So the shoe is on the other leg. We have been not only liberal, but we have been extra-liberal and it is now their turn to be, not liberal, but just realistic only. Regarding the other arguments which have been given by the Rao Committee for making out a case in favour of locating the consolidated High Court at Jodhpur, I have to submit, Sir, that the points No. 2, 3, 4, 5 and 8 can be grouped under one head, i. e. judicial efficiency and the points No. 1, 6 and 7 could be taken under another head 'expenditure'. As a matter of fact, all the 8 arguments in a summary from represent two factors, one is expenditure and the other judicial efficiency. Now Sir, I deal with them separately. The first is the choice of the Chief Justice in the constitution of Benches. Now Sir, if the number of judges is going to remain the same, I do not think what difficulty would it make if it is located at one place or at two places. Secondly, the Committee has referred to 'conflicting decisions' at page 34. This is the strangest of all arguments. The same thing could have happened if these two Benches had been located in two different rooms of the same building. This happened in the case of all High Courts because the Judges are not in the habit of consulting the other Judges or the Chief Justice who are not in their Bench, with regard to the merits of a particular case. So it is quite open for one Bench to come to a different conclusion then the other Bench and only way to resolve it is to call for a Full Bench. This has no reference to the location of High Court. It could have happened if the entire High Court had been in one bulding. Then, Sir, they have said that it would weaken the control of the Chief Justice over the administration. Sir, it is very strange argument. If the Chief Minister can control the entire province, if the Prime Minister can control the entire contry, it passes my comprehension as to how it would be difficult for the Chief Justice to control even two Benches located at different places. He is coming here for a week in every month. He can exercise superintendence and every sort of control from there. The third argument was...

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

only four minutes, Sir.

श्री अध्यक्ष : Sorry, Shri Hardeo Joshi.

श्री हरिदेवजोशी (घाटोल) : अध्यक्ष महोदय, कल से राजस्थान राजधानी इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पर विचार विनिमय हो रहा है। इस सदन में इस पर चर्चा होने से पहले जनता में और विभिन्न संस्थानों में काफी विचार विनिमय और वाद विवाद हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि इसमें जो भी व्यक्ति अथवा संस्थाएं इन्वोल्व्ड है, उन सबकी भावनाएं एक प्रकार से सीमाओं पर पहुंची हुई मालूम पड़ती हैं। किन्तु जहां तक मेरा अपना ख्याल है, यह सारी की सारी भावनाएं चाहे इस पक्ष में हो चाहे उस

Page No.41

(श्री हरिदेव जोशी)

पक्ष में हों राजस्थान का अहित कर रही है।

माननीय अध्यक्ष, जहां तक राजधानी का सवाल है और इसके सिलसिले में अजमेर का क्लेम है, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि रेलगाड़ी अब बहुत आगे जा चुकी है और अब इसमें पुनर्विचार की गुंजायश नहीं रही इस लिये केवल इन्हीं शब्दों में मैं इस विषय को खत्म करना चाहता हूं कि राजधानी के प्रश्न को अब फिर से छेड़ना कोई बुद्धिमानी पूर्ण कार्य नहीं होगा।

मुझे बड़ी हैरानी होती है, अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट और हाई कोर्ट की सीटों को लेकर जो विवाद बना हैं उससे जयपुर बार एसोशियेशन ने एक प्रकार का वातावरण बनाने की कोशिश की और उसको लेकर जोधपुर में एक दूसरे प्रकार का वातावरण बना और माननीय अध्यक्ष, कल हमारे सदन की माननीय सदस्या जो जयपुर से आई हैं उन्होंने इस बारे में भाषण दिया। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के निर्माण के साथ में राजस्थान की डेढ़ करोड़ जनता की भावना थी और भावना यह थी कि हम सब लोग मिल कर सामान रूप से सामुहिक रूप से आगे बढ़ेंगे और फलेंगे, फूलेंगे, किसी ने यह कल्पना नहीं की थी कि अभी एक ऐसा भी दिन आयेगा कि लोग इस रूप में सोचेंगे, इस भाषा में सोचेंगे कि मेरा तो मेरा है ही और तुम्हारे में मेरी साझेदारी है, मुझे इस प्रसंग में बागड़ी की एक कहावत याद आ जाती है:

"तारूं सो म्हारो हैज और मारू मारा बापनो, "

अर्थात् तुम्हारी चीज़ में मेरी साझेदारी है और मेरा बाप का है ही। जयपुर राजधानी है, इसलिये राजधानी रहनी चाहिये और चूंकि हाईकोर्ट के बारे में हमारी कुछ असुविधाएं हैं, इसलिये हमारे यहां सीट रहनी चाहिये। मैं कुछ इन सब चीज़ों से परेशानी महसूस करता हूं। आज एक स्थिति है और वह यह है कि आज पूरे राजस्थान की भावनाओं को समझने की आवश्यकता है, इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हमारे कुछ कहने से, हमारे कोई कदम उठाने से, बोलने से आन्दोलन करने से आखिरकार राजस्थान पर क्या असर पड़ता है, कौन लोग इसे किस निगाह से देखते हैं। अध्यक्ष महोदय, बीसियों दलीलें दी जा जाती हैं, यह दलील ज्यादा दी जा रही है कि लोगों को यहां हाई कोर्ट की सीट नहीं रखने से ज्यादा असुविधा होगी, ज्यादा पैसा खर्च होगा और ज्यादा पैसा खर्च होने की दलील उन मित्रों की तरफ से आती है, जो क्लाइन्ट्स का पार्टीज़ का ज्यादा पैसा खर्च कराने में आगे होते हैं, वकील लोग, मुझे क्षमा करें अध्यक्ष महोदय, जहां उनकी फीस का सवाल आता है, वे कभी नहीं देखते कि क्लाइन्ट का कितना खर्चा होता है, पर जहां हाई कोर्ट की सीट एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जयपुर से जोधपुर जाने से, जहां एक दो चार रुपयों का फर्क आता है, उसके लिये यह बड़ी दलील दी जाती है और इस दलील के आधार पर कहा जाता है कि हाई कोर्ट की सीट यहां जयपुर में रहनी चाहिये।

मैं नहीं समझ सका कि जयपुर के मित्र इतने आन्दोलित किन कारणों से हुए। पर राजस्थान की २२ रियासतों ने अपने आपको जयपुर में विलीन किया है, इसलिये इस आशा से विलीन किया कि उनकी न्यायपूर्ण

(श्री हरिदेव जोशी)

मांगें, उनकी कुछ बातें समझी जायेंगी, मानी जायगी और उनकी भावनाओं की कद्र की जायगी। अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान प्रगति के पथ पर है, हम महसूस करते हैं और देखते हैं कि आज जिस प्रकार से हिन्दुस्थान का प्रत्येक गांव कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के जरिये से प्रगति के पथ पर लगा हुआ है और दूसरे जरियों से प्रगति के पथ पर लगा हुआ है, बीकानेर भाखरा बांध और राजस्थान केनाल के कारण और दूसरे जरियों से आगे बढ़ रहा है, कोटा डिविज़न का क्षेत्र चम्बल के कारण से और उससे पैदा होने वाली दूसरी चीजों से प्रगति के पथ पर है, उदयपुर का क्षेत्र उसकी दूसरी विशिष्ट प्रकार की विशेषताओं से आगे बढ़ रहा है और उसका भविष्य काफी उज्वल है, पर मैं महसूस करता हूं और देखता हूं कि हमारे पास जोधपुर और उसके आस पास के क्षेत्र के लिये कोई इस प्रकार की योजना आज के दिन नहीं है और दुर्भाग्य के कारण या और और कारणों से पिछले दिनों पटेल कमेटी की रिपोर्ट थी उसके कारण कुछ महकमें वहां नहीं रह सके, इसके कुछ ठोस कारण थे। आज जो लोग कहते हैं कि जोधपुर के साथ में न्याय होना चाहिये, उनके हाथों में शासन की बागडोर थी तब विश्वविद्यालय का केन्द्र यहां जयपुर में आया और महकमों को को जब उनके हाथ में शासन की बागडोर थी तब से तो उनके हटाने का निर्णय लिया गया था, वे किसी दूसरे व्यक्ति से किये गये हों, ऐसी बात नहीं, प्रशासनिक असुविधाओं के कारण से किये गये। पर हमें यहां देखना है कि परिवार का एक अथवा दो सदस्य अगर असन्तुष्ट हों, तो वह परिवार सुखी नहीं रह सकता। जयपुर के भाइयों के ऊपर, राजनीतिज्ञों के ऊपर यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, वह देखें कि हम राजस्थान में राजनैतिक शान्ति रखना चाहते हैं कि नहीं, राजस्थान के सब लोगों को बताना चाहते हैं कि नहीं कि हम सब लोगों के साथ न्याय करना चाहते हैं।

आज जयपुर और जोधपुर की यह खेंचातान है, इससे हमारे जैसी छोटी छोटी रियासतों के लोग अपने सामने अन्धकारपूर्ण स्थिति देखते हैं कि जहां वोटों के ऊपर न्याय होने लगा, तो जिन क्षेत्रों में दो चार, छः और ८ लाख की आबादी है, वहां के क्षेत्रों के लोगों का भविष्य किस प्रकार का होगा, उनके पास दस्तखतों और वोटों की उतनी ताकत नहीं है। तो राजस्थान में विलीन होने के बाद उन्हें न्याय मिल सकेगा कि नहीं। आज यदि ज्यादा दस्तखतों के ऊपर निर्णय लेना चाहते हैं वोटों के आधार पर और दस्तखत बाजी से, आप यदि कोई निर्णय लेना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं इस प्रकार वोटों के लेने से दस्तखतों से राजस्थान का निर्माण नहीं होने वाला है, हमारी भावनाएं बहुत उग्र मालूम पड़ती हैं, मानो जयपुर का कोई अनर्थ हो जाने वाला है, जैसी कि सिफारिश की गई है, बैंच यहां से जाने वाली है, उससे क्या होने वाला है, सिवाय इसके कि कुछ लोग मुकदमों के लिये, विशेष कर वकील लोग वहां जा कर बसेंगे, ठीक है उनको कुछ असुविधा होगी।

मैं यह भी नहीं समझ सका कि हाई कोर्ट की बैंच जोधपुर चली जाय तो इससे जोधपुर वालों का कितनी सुविधा और कितनी ताकत मिलने वाली है, कोई खास फरक नहीं पड़ता पर आज उनकी भावना और सेंटिमेंट्स काफी

(श्री हरिदेव जोशी)

उग्र हैं, इसलिये कि हमें अपने पास रखने की बात है, जो एक तटस्थ कमेटी ने देने को कहा है, वह नहीं देना चाहते, इसलिये वहां उग्रता मालूम होती है। सदन के बाहर इसी लिये जेल जाने तक की बात करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, आज अगर हम इस प्रकार की छोटी मोटी बातों को ले कर जेल जाने की बातें करेंगे तो, माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करता हूं कि डिस्ट्रिक्ट री-आॅर्गेना-इजेशन के सिलसिले में, तहसीलों के री-आॅर्गेनाइजेशन के सिलसिले में जो अभी होने वाला है, अगर हम लोग पब्लिक को इसी प्रकार उकसाते रहे और कहें कि आन्दोलन करो और जेल जाओ अगर डिस्ट्रिक्ट और तहसील तुम्हारे मुताबिक नहीं बनती है, तो फांसी पर लटक जाओ, तो मैं यह कहूंगा कि यह जनतन्त्र के लिये हानिकारक होगा। अध्यक्ष महोदय, यदि ऐसा हुआ तो जनतन्त्र टिकने वाला नहीं और जनतन्त्र की ऐसा करके आप हत्या करेंगे।

जिन लोगों ने राजस्थान के निर्माण में अग्रगण्य भाग लिया है वे लोग आज राज-स्थान के डिस इन्ट्रीगेशन के बीज बो रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि चाहे राज-स्थान हाईकोर्ट की ब्रांच का स्टेटस कोई रहे चाहे रिपोर्ट एज इट इज स्वीकार करने की भावना हो, लेकिन दिलों में इस प्रकार की बातें होने से ऐसा मालूम होता है कि हम पूरे राजस्थान को बनाने के लिये और उसके सुख और शान्ति के लिये नहीं सोचते हैं, बल्कि इस बात के लिये सोचते हैं कि जो चीज़ हमारे पास आई है उसको एनकेन प्रकारेण उसको अपने ही पास रखें।

मेरी भावनाओं के लिये मेरे मित्र क्षमा करें लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह एक स्थिति है जिसको हमें आज समझना होगा और अगर इसको अभी नहीं समझेंगे तो भविष्य में पछताना पड़ेगा बहुत मुमकिन है राजस्थान की कमजोरी को ठीक करने के लिये हम लोगों को अपने हिस्से की चीज़ को छोड़ कर किसी दूसरे को देना पड़े, देना चाहिये। एक बीमार बच्चे की माता अपने बीमार बच्चे को ज्यादातर गोदी में ले कर घूमती है, यदि उसके चार भाई उससे द्वेष रखें कि उनकी माता उनको गोदी में ले कर नहीं घूमती है, तो इससे अधिक मानसिक परेशानी उस माता को क्या हो सकती है। इसलिए मैं महसूस करता हूं कि आज राजस्थान के राजनीतिज्ञों की इस बात के लिये पूरी जिम्मेदारी है कि राजस्थान एक रहे। राज-स्थान की पब्लिक को न्याय मिले और सेवाओं के बाबत में सब लोगों को विश्वास हो, कि चाहे हम बहुमत में हैं, चाहे अल्पमत में मगर हमारे साथ में न्याय होता है....

(घंटी)

हस्ताक्षरों की बातें हुई हैं। कल इस सदन में न मालूम क्या क्या कहा जा चुका है, मैं तो यह कहूंगा कि वह तो केवल एक प्रकार की भावना को उभार कर रखने की चीज़ है। मगर मैं यह कहूंगा कि आज उन हस्ताक्षरों की उतनी कदर है जितनी कि मैं आप से कुछ नहीं कहना चाहता। हस्ताक्षर मान-नीय सदस्यों ने कराये हैं, लेकिन यह बात साफ जाहिर है और सब महसूस करते है कि उनसे आपने हस्ताक्षर भावनाओं को भड़का-कर कराये हैं। इसलिये मैं ऐसा कहता हूं कि इसकी लंबाई अथवा दूरी क्या है....

श्री बी. एन. जोशी : (अश्रव्य)

श्री हरिदेव जोशी (जारी) : राजस्थान की पब्लिक इस बात को महसूस करें कि सब के साथ न्याय हो रहा है और सब लोगों को समान रूप से विकास करने का मौका मिलता है, इसका उनको विश्वास हो। इसलिये मैं अध्यक्ष महोदय, यह महसूस करता हूं कि हम लोगों को कुछ भी नहीं कह कर हमारे शासन ने निश्चय किया है कि यह मामला श्री गोविन्दवल्लभ पंत को सौंप दिया जावे और मैं इसका समर्थन करता हूं। हमें इसको पंतजी को केवल इसलिये नहीं सौंप देना चाहिये कि वे गृह मन्त्री है, बल्कि इसलिये कि वे एक तीसरे व्यक्ति है और उन्होंने हमारी भावनाओं को समझ लिया है और हमको उनकी न्याय–निष्ठा में विश्वास है। इसलिये हमें इस मामले को उनके पास छोड़ देना चाहिये और फिर इस बात को भूल जावें, उन भावनाओं को न उभारें और यह न कहें कि, यदि यहां से हाई कोर्ट चला जावेगा, तो हम आन्दोलन करेंगे। ये दोनों प्रकार की बातें राजस्थान को नीचे गिरने वाली और कमजोर बनाने वाली है। इसलिये मैं समझता हूं कि हम अपना दिमाग इस तरह का बनावें कि जो कुछ पंडित पंत इस पर सोच कर अपना निर्णय देंगे, हम उसको बिना किसी प्रकार की हिचकिचाहट और आन्दोलन के उसको मान लेंगे। इसलिये आज हमारा यह कहना कि अगर ऐसा हो गया, तो आन्दोलन होगा, अगर ऐसा हो गया तो ऐसा करेंगे, देश को नीचे गिराने-वाला और कमज़ोर बनाने वाली चीज़ होगी। यह तो पंडित गोविन्दवल्लभ पंत के निर्णय करने की चीज़ है। इसलिये माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करता हूं कि बगैर किसी कन्डीशन के हमें इस मामले को गोविन्दवल्लभ पंत को सुपुर्द कर देना चाहिये।

(पुनः अनेक माननीय सदस्य के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : श्री आनन्दसिंह।

(इस पर भी अन्य सदस्यों ने बोलना प्रारम्भ कर दिया।)

मैंने कह दिया श्री आनन्दसिंह बोलेंगे।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा (जोधपुर): उपाध्यक्ष महोदय, कल से यहां राव कमेटी की रिपोर्ट पर विचार हो रहा है यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है इससे अशांति और शांति हो सकती है। हमें सबसे पहले इस पर विचार करने से पहले यह देखना होगा कि राजस्थान बनने से पहले मिल कर क्या क्या सोचते थे सब राज्यों का एकीकरण करके राजस्थान का विकास करेंगे और उसके साथ साथ राजस्थान की पुरानी राजधानियों के महत्व को कम नहीं होने देने का भी ध्यान रखेंगे। जब से राजस्थान बना उस दिन से हम देखते है कि राजस्थान के विकास के लिए काफी कदम उठाया गया। और काफी विकास हुआ, लेकिन जब हम पुरानी राजधानियों की ओर देखते हैं, तो हमें प्रमुख ६ शहरों के विकास के सम्बन्ध में विचार करना होगा कि उनके भविष्य का क्या होने वाला है और क्या हो सकता है और क्या हो चुका है? सबसे पहले हम ज़यपुर को लेते हैं। जब से जयपुर राजस्थान की राजधानी बना है, उस दिन से दिनों दिन तरक्की करता जा रहा है। और पहले इसकी आबादी दो लाख की थी अब ४ लाख की हो गई है और यहां पर यह हाल हो रहा है कि यहां आने

(श्री आनन्दसिंह कछावाह)

वाले लोगों को मकान तक नहीं मिलता । हम कह सकते हैं कि राजस्थान की राजधानी रात दिन बढ़ती जा रही है और राजस्थान बनने के बाद यहां पर राजस्थान सेक्रेटेरियट, ए. जी. ओफिस भी यहां लाया जा रहा है । युनिवर्सिटी, अनेक सरकारी विभाग, रेडियो स्टेशन आदि कायम हुए और अब हाईकोर्ट भी लाये जाने की कोशिश की जा रही है । यहां पर टुरिस्ट सेन्टर भी है । इस तरह इसका भविष्य बहुत उज्वल है ।

इसके साथ साथ जब हम उदयपुर की तरफ देखते हैं तो वहां पर खनिज पदार्थों के भंडार, एक्साइज़ व खनिज विभाग का दफ्तर और रेलवे का भी कार्यालय है । चम्बल से बिजली आएगी उससे काफी उद्योग वगैरा खुलेंगे और बड़े बड़े कारखाने खोले जा रहे हैं इससे हम कह सकते हैं कि इसका भी भविष्य बहुत उज्ज्वल है ।

कोटा की तरफ देखते हैं, तो उसकी भी स्थिति बहुत अच्छी है । चम्बल बांध से बिजली और पानी आने से वह सरसब्ज हो जावेगा और अनेक उद्योग खुलेंगे । सरकारी वन विभाग भी यहीं है इस तरह इसका भी भविष्य उज्वल नज़र आता है ।

जब बीकानेर की तरफ हम देखते हैं, तो वहां पर पहले ही से गगा नहर और अब राजस्थान नहर आ रही है । इसके अलावा नागल से बिजली आने पर यहां काफी औद्योगिक उन्नति होगी । राजस्थान का शिक्षा विभाग भी वहां पर है और फर्टेलाइज़र फैक्ट्री व मेडिकल कालेज भी वहां खोल रहे हैं । इस तरह इसका भविष्य भी उज्वल है ।

अब अजमेर को देखें तो यहां हिन्दुओं और मुसलमानों का बड़ा तीर्थ स्थान जहां पर लाखों यात्री प्रति वर्ष आते हैं । यहां पर रेलवे का बहुत बड़ा कारखाना है । चम्बल से भी बिजली वहां पहुंचेगी इससे कहा जा सकता है कि इसका भी उज्वल भविष्य है । राजस्थान में मिलने के बाद,अजमेर सेन्टर में होने व एतिहासिक नगर होने के कारण राजधानी के काबिल था मगर दुर्भाग्य से वह राजधानी नहीं बन सका इसका बहुत अफसोस है । अब राव कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार उसको दो तीन महकमे मिलने जा रहे हैं अतः यह आशा कर सकते हैं कि उसकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा ।

इसके पश्चात् हम जोधपुर की तरफ देखते हैं, तो जोधपुर यद्यपि राजस्थान का जयपुर के पश्चात् दूसरा बड़ा शहर है । मगर गत दस वर्षों में, जब से राजस्थान बना, जोधपुर के अन्दर कोई विकास कार्य नहीं हुआ । और मैं यह बताना चाहूँगा कि हमारे मिनिस्टरों के पास, हमारे नेताओं के पास, हमारी विधान सभा के मेम्बरों के पास आगे आने वाले १५ वर्षों में भी कोई जोधपुर के लिए विकास योजना नहीं है । आज हम देखते हैं कि बिजली की वहां दुरव्यवस्था है । जहां पहले रेडियो स्टेशन था उसको भी वहां से हटा दिया गया और यहां जयपुर में कायम कर दिया गया । हवाई सर्विस थी वह भी बन्द कर दी गई । और अब यह भी हम देख रहे हैं कि वहां से ए. जी. का आफिस भी हटाया जा रहा है और हाईकोर्ट को हटाने की भी कोशिश की जा रही है । सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि न तो वहां भाखरा से, न चम्बल से बिजली आवेगी, न वहां पानी आवेगा । पिछले इतिहास को

(श्री आनन्दसिंह कछावाह)

देखते हैं, तो आपको मालूम होगा कि पहले पटेल कमेटी बनी, फिर बीच में एक चतुर्वेदी कमेटी का निर्माण हुआ और तत्पश्चात् राव कमेटी भी बनी। ये सब कमेटियां पुराने प्रमुख नगरों के स्टेटस को बनाये रखने के लिए बनीं थी। उन्होंने जो निर्णय लिये थे, उनको अब तक येन केन प्रकारेण कामयाब नही होने दिया गया वह सब चित्र आपके सामने है। जिन्हें मैं दोहराना नही चाहता।

जब राव कमेटी की सिफारिशों को हम देखते हैं, तो हमें यह मालूम होता है कि कमेटी ने केपिटल के लिए यह सिफारिश की कि उसको जयपुर में रहने दिया जाय और इसको वहां से हटाना बेकार है। हालांकि इसमें अजमेर का हक मारा गया है। अजमेर राजस्थान के करीब करीब मध्य में है और इसमे सब को राजधानी की दृष्टि से सुविधा होती। राव कमेटी ने जो बातें अपनी रिपोर्ट में कही है, उनको यदि पार्टली माना जाता है, तो हम यह कहेंगे कि सब मामलों को फिर से ओपन कर दीजिये, केपिटल के मामले को भी ओपन कर दीजिये और इस प्रश्न पर आप रेफरेन्डम करवाते हैं, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यदि राजस्थान की डेढ करोड़ जनता से वोट लिये गये, तो अजमेर के हक में, अजमेर को राजधानी बनाने के हक में, एक करोड़ वोट आवेंगे।

(करतलध्वनि)

हाईकोर्ट के सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि यूनिफाइड हाईकोर्ट होना चाहिये। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा रहता है एवं समान रूप से जजमेन्ट होते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर आपको याद दिलाऊं कि आपने देखा होगा कि जोधपुर में एक केस दायर हुआ था, वैसे का वैसा ही केस यहां जयपुर में भी दायर हुआ था, लेकिन दोनों के जजमेन्ट में विरोध रहा। इससे हाईकोर्ट की प्रतिष्ठा भंग हुई। हाईकोर्ट को दो जगह रखने से इफीसियेन्सी में भी फर्क पड़ता है। तथा ऐडमिनिस्ट्रेशन भी ठीक तरह से नहीं हो पाता। कहा यह जाता है कि जयपुर में १५०० केसेज़ पेन्डिंग हैं, लेकिन मैं बताऊं कि जयपुर में ऐसे केसेज़ को एडमिट कर लिया गया है, जिनको कि एडमिट नहीं किया जाना चाहिए था, इस तरह से केसेज़ की तादाद बढ़ा कर यह बताना कि यहां ज्यादा काम है, बिलकुल गलत है। जोधपुर में हाईकोर्ट की शानदार बिल्डिंग बनी हुई है और यहां नयी बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। यदि हाईकोर्ट के लिए राजस्थान में कोई बेस्ट बिल्डिंग हो सकती है, तो वह जोधपुर की ही है।

अभी जब कि लॉ कमीशन यहां आया तो राजस्थान के बार एशोसियेशन ने और (लेडी) एडवोकेट्स ने, सभी ने, एक मत से यह राय दी थी कि राजस्थान में एक यूनीफाइड हाईकोर्ट होना चाहिए और उसकी सीट कहां हो ? यह कमेटी तय करेगी और उसका निर्णय सब को मान्य होगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जो कल यह कह रहे थे कि यूनिफाइड हाईकोर्ट होना चाहिये वे ही आज राव कमेटी के निर्णय के विपरीत यह कह रहे हैं कि जयपुर में इसकी एक बैन्च रहनी चाहिए। जब बैन्च रखने की बात करते हैं, तो वे जयपुर में ही गरीबों को न्याय दिलाने के नाम पर बैन्च रखने की

(श्री आनन्दसिंह कछावाह)

बात करते हैं। अगर गरीबों को न्याय देने की ही बात है तो मैं कहूंगा कि फिर वह क्यों नहीं कहते कि एक एक बैन्च अजमेर, कोटा, बीकानेर, और उदयपुर में भी रखी जाय। यदि बैन्च रखनी ही है तो सब ही जगह रखें नहीं तो सब जगह से हटा देनी चाहिए। आप यह कहते हैं कि अलवर और भरतपुर को जोधपुर में हाईकोर्ट रखने से तकलीफ हो जावेगी। लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं कि आबादी का १ परसेन्ट लोगों को भी हाईकोर्ट में नहीं जाना पड़ता है। जब कि राजधानी के अन्दर २५ परसेन्ट लोगों को आना जाना पड़ता है जयपुर राजधानी में आने के लिए, जोधपुर के जैसलमेर और बाड़मेर से आने वालों के लिए, २४ घंटे लगते हैं जो उन्हें नज़र नहीं आते हैं। और जब गरीबों की बात करते हैं, उनको न्याय देने की बात करते हैं, उनको सुविधा देने की बात करते हैं तो फिर राजधानी को क्यों नहीं राजस्थान के सेन्टर में लाने की बात करते हैं? हाईकोर्ट में तो १ परसेन्ट भी आदमी नहीं जाते हैं जब कि राजधानी में २५ परसेन्ट से अधिक ही जाते हैं, इसलिए गरीबों के नाम पर बात करना तो बेकार है। अतः यूनिफाईड हाईकोर्ट ही होना चाहिए और जोधपुर में ही होना चाहिये।

इस समय जब कि आप जोधपुर के विरोध की बात करते हैं, जो कसूर हम आपका नहीं बताते। हम तो कहते हैं कि यह जोधपुर का दुर्भाग्य है। दुर्भाग्यहीन होने के कारण उसने उन लोगों का साथ दिया था जो लोगों को सब्ज बाग दिखलाते थे; कहते थे कि तुम्हारी इम्पोर्टेन्श को कायम रखेंगे, यहां औद्योगीकरण होगा, लेकिन अब तक तो दस वर्षों में कुछ हुआ नहीं और जो था, वह भी चला गया। और आगे भी जा रही है। दुर्भाग्य हमारा है कि भगवान् ने जोधपुर को ऐसी जगह बसाया है जहां न पानी आ सकता है, न कहीं से बिजली और न ही कोई औद्योगीकरण हो सकता है और न सरकार के पास ही आगे आने वाले १०. १५ वर्षों में कोई उसके लिए योजना है। दुर्भाग्य से गत दस वर्षों में जोधपुर को नेता भी ऐसे लोग मिले हैं जिनके हाथ में सत्ता होते हुए भी कुछ भी उन्होंने नहीं किया। और आज लम्बी चौड़ी बातें चौराहे पर खड़े होकर करते हैं। मैं कह सकता हूं कि वे अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए भारत सरकार व राजस्थान सरकार में लड़ते रहे और इसके सिवाय उनके सामने कोई और उद्देश्य नहीं था।

(घंटी)

कई माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष।

श्री अध्यक्ष : यह तो पहली घंटी है।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : मुझे दो मिनिट और दिये जांय।

श्री अध्यक्ष : दो मिनिट और बोलिये।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : अध्यक्ष महोदय, कई सदस्य यह कहते हैं कि जोधपुर में हाईकोर्ट को रखा गया और कोई बेन्च जयपुर में नहीं यहां नहीं रखी तो लोगों को (जोधपुर में) आवास नहीं मिलेंगे। लेकिन जब जोधपुर से ए. जी. आफिस हटावेंगे तो ७०० फेमीलीज़ को जयपुर में कहां जगह देंगे। आज जयपुर शहर में

(श्री आनन्दसिंह कछावाह)

७०० फेमिलीज़ जोधपुर से आवेगी तो कोई उनके लिए मकान नहीं है। जबकि जोधपुर में पहले से ही सैकड़ों मकान खाली पड़े हुए हैं और खंडहर हो रहे हैं। उन पर बैठे हुए कौवे बार बार चिल्ला रहे हैं कि कोई आकर उनमें बसे। अध्यक्ष महोदय, आपको सुन कर आश्चर्य होगा कि चिमगादड़ों ने इन खन्डरों में अपना कब्जा करने का पक्का निश्चय कर लिया है बशर्ते कि उनको जयपुर के चिमगादड़ सहयोग करें। मछली को उस तालाब में रहने से क्या लाभ जहां रहने की तो इजाजत है लेकिन पानी पीने की इजाजत नहीं है। हाईकोर्ट के आने से और न जाने से कोई जोधपुर में विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, मैं यह मानता हूं। लेकिन जब जोधपुर के विकास की बात आती है तो लोग सिर हिला देते हैं। अध्यक्ष महोदय, एक बार सांप काट जाय उसकी हमको चिन्ता नहीं मगर चिन्ता है उसके बार बार हमारे घर आने की। जोधपुर के विकास के लिए बार बार आप इन्कार करते हैं, इसकी हमको चिन्ता है। यदि यही हाल रहा तो मैं आपको फिर से बता देता हूं और आपकी याददाश्त ताजा कर दूं कि एक किस्सा महाभारत के युद्ध के बारे में याद आता है। जब युद्ध छिड़ने वाला था, कौरवों ने पाण्डवों से सारा राज्य छीन लिया, भगवान श्री कृष्ण जाकर कौरवों से कह देते हैं कि उनको, पांडवों को, कम से कम पांच गांव तो दे दिए जांय। लेकिन कौरव नहीं मानते हैं और कहते हैं कि पांच गांव तो क्या सूई की नोक के बराबर भी जमीन उनको नहीं दी जा सकती। लेकिन उसका अन्तिम निर्णय महाभारत से हुआ। उस गृह युद्ध का अन्तिम निर्णय क्या हुआ यह आप सबको विदित है। उन्होंने अपना सारा राज्य गंवा दिया, लेकिन पांडवों को पांच गांव नहीं दिये। अजमेर में तीन डिपार्टमेंट जाने का और जोधपुर में सम्पूर्ण हाई कोर्ट रखने का सिर्फ सवाल है। उनको झगड़ा करना मंजूर है, लेकिन महाभारत से सबक लेना मंजूर नहीं और वे चाहते हैं कि जयपुर में ही राजधानी रहे, बैंच रहे और सब कुछ रहे और दूसरी जगह कुछ न रहे। अध्यक्ष महोदय, इस मनोवृत्ति से राजस्थान की एकता खतरे में पड़ जायगी।

कई माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष....

(बोलने का मौका दिया जाय ऐसी आवाजें)

श्री अध्यक्ष : रावल श्री नरेन्द्रसिंह।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की राजधानी और हाई कोर्ट को लेकर दो दिनों से बराबर बहस चल रही है। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस विषय में अपने अपने विचार प्रकट कर दिये हैं। मैं तो समझता हूं जिस प्रकार का यह कठिन प्रश्न समझा जा रहा है, उतना यह प्रश्न कठिन नहीं है इसके तीन चार पहेलू हैं। एक पहेलू है राजधानी का। जहां तक राजधानी का प्रश्न है दोनों कमेटियों ने सब तरह से विचार कर के यह निर्णय दिया है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर ही रहनी चाहिये, इसलिये इस विषय में ज्यादा निवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

जब अजमेर का विलीनीकरण राजस्थान में हुआ उसके बाद अजमेर और जयपुर का

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

प्रश्न सामने उपस्थित हुआ, तो यह काम राव कमेटी को सौंपा गया कि वह राजधानी के सम्बन्ध में जांच करे कि कौन सा स्थान उपयुक्त है। राव कमेटी ने बड़ी मजबूती के साथ यह कहा है कि जयपुर से ज्यादा उपयुक्त स्थान राजधानी के लिये और कोई नहीं है। कल भी जब कुछ माननीय सदस्य इस बारे में बोले उन्होंने यहां तक कहा कि राजस्थान की राजधानी क्या सारे भारत की राजधानी अजमेर किसी समय में थी और उन्होंने पृथ्वीराज के समय का उदाहरण प्रस्तुत किया। उसके बड़प्पन में कोई कसर नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर निवेदन करूंगा कि ऐतिहासिक जो तथ्य हैं, उसे अगर गौर किया जाय, तो यह कम जंचता है। न कभी पृथ्वीराज के समय राजधानी अजमेर थी और न उसके बाद ही। जिस समय पृथ्वीराज था उस समय भी देहली ही राजधानी थी और पृथ्वीराज कोई सम्राट नहीं था। उससे भी ज्यादा ताकतवर जयचन्द और भीमदेव थे। और दूसरे उससे भी ताकतवर सम्राट थे। मेरा तो यही निवेदन है कि जयपुर के वास्ते देखा जाय इसके मुकाबले दूसरा शहर कोई नहीं हो सकता। किले बन्दी के लिये चित्तौड़ रणथम्भोर, उदयपुर आदि सुदृढ़ किले हो सकते हैं, लेकिन जहां तक राजधानी का सवाल है जयपुर के मुकाबले दूसरा कोई स्थान उपयुक्त नहीं है। बहुत से महानुभावों ने ताने बाने के साथ चमकती हुई चीजों और यहां की रंगीन इमारतों को लेकर कुछ फर्मांया था, मैं तो इस बारे में यही निवेदन करूंगा ये चीजें इसके गौरव को बढ़ाती हैं, घटाती नहीं हैं। यहां तक भी बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा था महमूद तुगलक के वक्त में जिस प्रकार से राजधानी को हटाये जाने का प्रश्न था मेरा निवेदन यह है कि उस समय का प्रश्न तो इस प्रश्न को ज्यादा बल देता है। यदि महमूद तुगलक ने यदि अजमेर को ठीक समझा होता देवगिरी और दौलताबाद की उसको खाक छानने की आवश्यकता नहीं रहती। जयपुर नगर केवल ३०० वर्ष पूर्व बसा है, इसकी सुन्दरता और इसके आगे विस्तृत होने की जगह के वास्ते मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, वह तो राव कमेटी ने खुद ने मान लिया है। जिस वक्त उत्तर पश्चिमी देशों से आक्रमणकारी आते थे, तो एक महिने के भीतर भीतर वे लाल किले की दीवारें देख लेते थे, उनको लाल किले की दीवारों तक पहुँचने में आसानी हो जाती थी उस समय अगर जयपुर हो जाता, तो उन लोगों का विचार था इसे ही हिन्दुस्थान की राजधानी बनाया जाता, इसलिये इस विषय में ज्यादा निवेदन करने की आवश्यकता नहीं।

दूसरा प्रश्न जो हमारे सामने आ रहा है, वह हाई कोर्ट के बारे में है। जहां तक हाई कोर्ट का प्रश्न है राव कमेटी ने सिफारिश की है कि वह सारा का सारा जोधपुर में ही रहे। इसमें जयपुर वालों को कोई एतराज नहीं, केवल बात यह है कि जो जयपुर में बेन्च चल रही है, वह यहीं कायम रहे, उसको क्यों हटाया जाय यह जरूर ऐसा प्रश्न है जिस पर माननीय सदस्यों में कुछ मतभेद नज़र आता है। हम तो सिर्फ बेन्च को न हटाये जाने के बारे में कहते हैं हाई कोर्ट जोधपुर में ही रहे हमें इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। यह सब जानते हैं कि इधर के रहने वाले को जोधपुर जाने में कितनी दिक्कतें पैदा होती है। बहुत सी दफा ऐसा होता है हाई कोर्ट में

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

पैरवी करने के वास्ते दूसरे स्थानों से वकीलों को भारी फीस देकर बुलाना पड़ता है। मान लीजिये यू० पी० के किसी वकील को किसी केस में पैरवी करने के लिये जोधपुर जाना पड़ता है, तो उसको पहुंचने में ही दो दिन लग जाते हैं। इसके लिये यह कहना भी अत्युक्ति नहीं होगी धौलपुर के अन्दर होकर अगर किसी को जोधपुर जाना पड़े, तो मेरे ख्याल से धौलपुर से जोधपुर पहुँचने में लन्दन पहुँचने से भी ज्यादा समय लगेगा। इसलिये मेरा निवेदन करना है कि जब इस शहर को राजधानी मान लिया है, तो अरावली का जो पूर्वी हिस्सा है, उसके अन्दर पोपूलेशन भी ज्यादा है, यदि यहां से बेन्च चली जाती है तो लोगों को बहुत दिक्कतें होंगी। ऐसी स्थिति के अन्दर यह सवाल उलझ गया है अगर यहां से बैन्च हटा दी गई, तो यहां के लोग काफी क्षुब्ध होंगे। ऐसी परिस्थिति के अन्दर गवर्नमेन्ट यह क्यों नहीं सोच लेती कि अरावली के उधर एक इसी तरह का हाई कोर्ट हो। इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। मैं यह जानता हूँ कि इस मौके पर यदि मैं अपने कृषि कालेज की बात रखूं तो कोई बेमौका नहीं होगी। भारतवर्ष के किसी भी प्रान्त को ले लीजिये हर जगह ले लीजिये एक के अलावा दूसरा कृषि का डिग्री कालेज एक के सिवाय दूसरा कहीं नहीं है। राजस्थान के अन्दर पहले कृषि का डिग्री कालेज था। फिर कुछ उलझनें पैदा होने की वजह से उदयपुर में भी गवर्नमेन्ट ने कृषि कालेज स्थापित किया है, तो फिर उसी के माफिक बजाय एक हाई कोर्ट के दो हो जाय तो कोई आपत्ति की चीज़ नहीं होनी चाहिये। हमारा तो केवल यही प्रश्न है राजस्थान की राजधानी जयपुर में अगर हाई कोर्ट कायम नहीं किया जाता है, तो कम से कम जो स्टेटस वर्तमान में है वही मेन्टेन रहना चाहिये, यहां बेन्च ही बहुत है। हम लोग बड़े अदब के साथ जोधपुर के भाइयों से निवेदन करेंगे मैं समझता हूं मारवाड़ी भाई बहुत दयालु होते हैं वे ऐसे छोटे मामले में बहुत विचार नहीं करेंगे। मैं देखता हूं ऐसे मामलों के अन्दर देखा जाय तो यह एक ऐसी बात है जैसे एक बालक के हाथ के अन्दर मिठाई का कटोरा दे दिया जाय और वह कटोरा पीतल का या लकड़ी का हो दे दिया जाय या रंगीन खिलौना दे दिया जाता है, तो इसी तरह से मेरे ख्याल में हाई कोर्ट एक रंगीन खिलौना मात्र है इससे ज्यादा लाभप्रद नहीं है, इससे ज्यादा सौ आदमियों से ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे। हमारी दूसरी दूसरी बड़ी स्कीमें और भी आने वाली है उनको लेने के लिये हठ करें। अगर केन्द्रीभूत स्थान का ही प्रश्न है तो हाई कोर्ट आप जोधपुर की बजाय अजमेर ही रखिये यह जयपुर और जोधपुर दोनों से ही ज्यादा केन्द्रीभूत स्थान है। ऐसी हालत के अन्दर इन दोनों स्थानों पर एक बैन्च रहती और हाई कोर्ट अजमेर में रहता रेवेन्यू बोर्ड और दूसरी कोई और चीज़ उनको दे दी जाती। इस हाई कोर्ट के बजाय दूसरे विभाग जोधपुर भेज दिये जाते, तो जोधपुर को ज्यादा लाभ होता। यह प्रश्न जो खड़ा हुआ है और जो माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाया है यह सवाल उठाकर के वातावरण को क्षुब्ध किया है। यह वातावरण क्षुब्ध यहां से नहीं किया गया बल्कि जोधपुर वालों की तरफ से पहले हुआ है। हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री और राजस्थान के सिंह श्री व्यासजी ने इस प्रकार की सिंह गर्जना करके इस प्रश्न को उठाया

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

है। मेरा मस्तिष्क उनके उच्च चरित्र उनकी निस्वार्थ भावना और उनके ऊंचे कारनामों के वास्ते सदा नत मस्तक रहा है। इस प्रकार से जो वातावरण उन्होंने पैदा किया है, यह जो सवाल उठाया बड़ी बड़ी मीटिंग इस बारे में हुई और अखबारों में इस बात के वास्ते सवाल उठाया यह इधर का प्रश्न नहीं था...

तो यह जो सवाल उठाया है वह शायद ऐसा तो न हो कि मन से न उठाया हो। होली के दिन थे और पहली अप्रेल भी, हमारे यहां होली आधी अक्षय तृतीया तक मानी जाती है तो होली के हुडदंग में यह प्रश्न उठा दिया गया हो ऐसा तो कहीं नहीं था।

इसलिये मैं निवेदन कर देना चाहता हूं इस सवाल पर शान्ति से विचार किया जाय। फिर यह भी निवेदन कर दूं कि १०० से ऊपर इस सदन में बैठने वाले माननीय सदस्यों ने दस्तखत भी कर दिये हैं। तो अगर अध्यक्ष महोदय, अगर मुख्य मंत्री और दूसरे उधर वाले यह प्रश्न उठावेंगे तो मुझे अत्यन्त भय है कि कहीं उनके सामने कोई समस्या न उत्पन्न हो जावे, क्योंकि जब दस्तखत एक बात के लिये देकर आये हैं तो फिर वे अपनी दूसरी राय कैसे बदलेंगे। यह एक तरह की विभीषिका है। मुझे भय इस कारण से भी है कि जैसे हिन्दी भाषा के वास्ते उस तरफ बैठे हुए माननीय सदस्यों ने बड़े जोर जोर से स्पीचें दीं और हीयरिंग किया कि हम लोगों को इस बारे में परे रहना चाहिये। पर लॉबी में जाने का वक्त जब आया तो बदल गये। पर यहां यह ध्यान रखना चाहिये कि यहां बदलने का सवाल नहीं है, दस्तखत करके दिये हैं। बहुत से आदमी कह सकते हैं कि हम से धोखे से दस्तखत ले लिये। तो इतने बड़े माननीय सदस्य भी इस प्रकार बच्चों की तरह धोखा खा सकते हैं और लिखी चीज़ को भी इन्कार कर सकते है, यह आश्चर्य की बात है। यह एक अद्भुत परिपाटी हो जावेगी। तो मेरा यह भी निवेदन है कि किसी मामले को उसके सारे मैरिट्स पर देखा जाना चाहिये।

वैसे देखें तो मेरे ख्याल से दिल्ली को भी देखें, अंग्रेजों को अनुकूल नहीं रही तो वहां से राजधानी कलकत्ता ले गये पर वहां से फिर दिल्ली लाये और इसके थोड़े अरसे बाद में ही उनका तख्ता पलट गया। इसी प्रकार कोई ताज्जुब नहीं कि राजस्थान की राजधानी का प्रश्न तो मेरे ख्याल में सैकन्डरी है और गौण है लेकिन शायद भारत की राजधानी भी अगर जयपुर लाने का सवाल हो तो शायद इसमें गौर करने की बात हो सकती है।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल।

श्री मूलचन्द (पाली) : समय कम किया जावे, बहुत बोलने वाले हैं।

अनेक माननीय सदस्य : समय कम किया जावे, साहब।

श्री नारायणसिंह : Sir, I would like to move that the debate may be extended to...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ऑर्डर !! श्री गिरधारीलाल।

श्री गिरधारीलाल : अध्यक्ष महोदय,.

Page No.52

श्री श्री भानसिंह : Sir, I...

श्री अध्यक्ष : Please keep order.

श्री मुक्तिलाल : चूंकि आपने दो दिन का समय दिया था और दो दिन के अन्दर १५ मिनिट में सिर्फ १४ मैम्बर बोल सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : मेरी बात सुन लीजिये, यह कोई आॅर्डर (पोइन्ट आॅफ आॅर्डर) नहीं है।

श्री मुक्तिलाल : १६० मैम्बर्स हैं, उसमें से १४ मैम्बर्स हाई कोर्ट के प्रश्न पर बोलें तो यह कहां तक उचित होगा। या तो टाइम बढ़ा दीजिये या....

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज़ !

श्री मुक्तिलाल : कुछ भी करिये, आगे बढ़ाइये।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज़ ! आर्डर !!

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : अध्यक्ष महोदय,

श्री नरोत्तम लालजोशी (झुंझुनू): Sir, there is one thing.. I do not want to interrupt the proceedings of the House, but we want to know whether the debate would be continued tomorrow and the members of the House from all sections and all districts will be given an opportunity to express their views or not ? This is a point which we want to know, because all the time there has been an insistence to speak, and the Members rise and they do not get time. So we want it to be ascertained whether the debate will be extended tomorrow or it would be closed today.

श्री अध्यक्ष : The position now is that two days were fixed with the concurrence of the Business Advisory Committee. There were some suggestions yesterday to extend the sitting, but I think it was opposed dy major sections of the House and no extension was granted by the House itself. So the decision is that the House will conclude today unless the House decides otherwise.

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : जिन ज़िलों को रिप्रेजेन्टेशन बोलने में नहीं मिला उनको मिलना चाहिये मौका।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज़। This is no time to take up this.

श्री दयाकृष्ण विजय : काफी डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेन्ट नहीं हुए है, साहब अभी।

श्री मुक्तिलाल मोदी : जब तक एक डिस्ट्रिक्ट का एक आदमी नहीं बोले तब तक समय देना चाहिये। कोटा नहीं बोला, अलवर नहीं बोला, सीकर नहीं बोला।

श्री अध्यक्ष : आप दूसरों की वकालत न करें, बैठ जाइये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : आपको फैसला करना पड़ेगा। तो मैं....

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइये, आप बहुत शोर मचाते हैं, हर वक्त बोलने लग जाते है। यह कोई ठीक तरीका नहीं है सदन में इस तरह बोलना।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो दिन से इस रिपोर्ट पर विचार हो रहा है। कई रियासतें बन कर एक राजस्थान बना। जब सारे भारत में प्रान्तों की सीमाओं के बारे में पुनर्विचार किया गया, तो हमारे यहां भी यह हुआ कि अजमेर को राजस्थान में मिलाया गया। जब अजमेर मिला तो प्रश्न उठाया गया कि राजधानी राजस्थान की जयपुर में रक्खी जाय या अजमेर में ? इस सवाल को लेकर एक मन मुटाव होता नज़र आया। अन्य विभागों के बारे में भी प्रश्न आया कि ये या इनमें से कम अधिक विभाग जयपुर में ही रक्खे जावें या अन्य भागों में भी रक्खे जावें। इस विषय में यह सदन उस समय विचार कर सकता था। पर हमने यह देखा कि इस समय यहां क्षेत्रीय भावनाएं बहुत तीव्र हैं। हम इसका उचित निर्णय नहीं कर पावेंगे और यह कहा जावे तो अनुचित नहीं होगा कि सारे देश में यह क्षेत्रीय भावना जोर पकड़ती जा रही है तो इसके डर से हमने यह उचित समझा कि एक कमेटी, एक निष्पक्ष कमेटी नियुक्त कर दी जाय, जो इस पर विचार करके अपना निर्णय दे दे और हमारे यहां का शान्त वातावरण इस क्षेत्रीय भावना से अशान्त न बन जाय।

इसके बाद उस कमेटी ने सारे राजस्थान का दौरा किया, काफी बयान लिये और काफी मेहनत करके उसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के बारे में कोई भी यह नहीं कह सकता कि इसमें पक्षपात से विचार किया गया है। यह निष्पक्ष रिपोर्ट है। आज उस रिपोर्ट के बारे में सदन विचार कर रहा है कि उसको ज्यों का त्यों मान लिया जाय या इसमें कुछ रद्दोबदल किया जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं जहां तक समझ पाया हूं यह उचित होगा और राजस्थान की जनता के हित में उचित होगा कि हम इस रिपोर्ट को तुरन्त से तुरन्त लागू कर दें। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो मुझे भय है कि यह जो जातीयता, क्षेत्रीयता की कलुषित लहरें हमारे में चल रही हैं, उससे देश का हमारे इस प्रान्त का बंटवारा हो सकता है। एकता कायम नहीं रहेगी। मुझे माननीय अध्यक्ष, यह देखकर दुःख होता है कि जो आज शासक पार्टी है उसके जो सदस्य चुनकर आये हैं, उनकी ऐसी विचार धारा है जिससे क्षेत्रीयता की भावना बल पकड़ती है। यह अच्छी बात नहीं है। जब हमने एक निर्णय दे दिया कि कमेटी की नियुक्ति करनी हैं तब हमारा यह भी कर्त्तव्य बन जाता है कि उसकी निष्पक्ष रिपोर्ट को भी हम मान लें। मुझे ताज्जुब यह है कि इसमें किसी को शक नहीं कि रिपोर्ट बिना पक्षपात के लिखी गई हैं तब फिर इसे मानने में क्या आनाकानी है ? अध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैं तो हमारे लिये यही उचित होगा कि हम इस कमेटी की रिपोर्ट को मान लें। अध्यक्ष महोदय, अब सवाल आता है कि आया हम उस रिपोर्ट को नहीं मानें तो कौन सा रास्ता अख्तियार करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं कि कोई दूसरा रास्ता हमारे सामने नहीं है। अब सवाल यह है कि क्यों नहीं दूसरी कमेटी की नियुक्ति कर दें। तो उसके खिलाफ में मैं यह कहना चाहूँगा कि हमारे पास क्या गारन्टी है कि दूसरी कमेटी की रिपोर्ट को मान ही लेंगे। अब दूसरा सवाल यह आता है कि जनमत संग्रह करा लें। तो यह तो ऐसी ही बात है जैसे पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर में जनमत संग्रह करा लिया जाये। यह हाईकोर्ट का और दूसरे डिपार्टमेंटों का प्रश्न इतना

(श्री गिरधारीलाल)

महत्व का नहीं है कि इस प्रकार का वातावरण बना दें। मैं समझता हूं कि यह उचित बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि हमने एक सिद्धान्त को माना है और वह सिद्धान्त यह है कि किस प्रकार से प्रकाशन को उचित ढंग से चलाया जाये और उसका काम निपटाया जाये। इसके लिए हमने विकेन्द्रीकरण की नीति को माना है। अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार ने भी उस नीति को माना हैं और राज्य सरकार भी उस नीति को बहुत हद तक मान चुकी है। लेकिन उसको जहां कार्य रूप में परिणित करने का सवाल आता है, वहां सरकार के नुमाइन्दों के पैर लड़खड़ा जाते हैं। यह अच्छी बात नहीं होगी। हम जिस सिद्धान्त को अपनाते हैं उसके अनुसार काम करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं, तो यह हमारे लिए उचित नहीं है और न राजस्थान की जनता के लिए उचित है।

अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात यह है कि आज दिन तक इस पॉइन्ट को किन माननीय सदस्यों ने उठाया। चीफ मिनिस्टर ने, या वित्त मंत्री महोदय ने या दूसरे सदस्यों ने इसको इतना महत्व दिया है मैं यह नहीं कहना चाहता। लेकिन आज राजस्थान का वातावरण ऐसा है कि राजस्थान के सामने हाईकोर्ट और कैपीटल के सिवाय कोई दूसरी समस्या ही नहीं रह गई है। कल और आज अगर कोई विदेशी आदमी आये जैसे कल कुछ रशिया के आदमी आये थे; कुछ पत्रकार आये थे अगर उन्होंने देखा होगा, तो यही कहा होगा, कि आज राजस्थान के सामने सबसे बड़ी और पहली समस्या हाईकोर्ट की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने यह दलील दी कि यह जनता के हित का सवाल है। मैं समझता हूं कि यह गलत दलील है? जहां तक न्याय का प्रश्न है हाईकोर्ट को जोधपुर में रखें या जयपुर में रखें, न्याय के अन्दर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता को न्याय के अन्दर सुविधा तभी होगी जब कि न्याय के अधिकार ग्राम पंचायतों को दिये जायेंगे और जजों का चुनाव जनता द्वारा होगा। अगर इस प्रकार की व्यवस्था ला सकते हैं, तो जनता का फायदा हो सकता है नहीं तो कहीं भी इसको रखें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम आज दिन बराबर हर पॉइन्ट के पीछे जनता को घसीट लेते हैं। जोधपुर के लोग कहते हैं कि हाईकोर्ट को जोधपुर में रखो इसमें जनता को फायदा है और जयपुर वाले कहते हैं कि हाईकोर्ट को जयपुर में रखो इसमें जनता को फायदा है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार से जनता को बराबर हाईकोर्ट के प्रश्न को लेकर घसीटना ठीक नहीं है। यह ऐसा प्रश्न नहीं है कि जिसको लेकर इतना बड़ा बवण्डर खड़ा कर दें। आज दिन क्या पांच वकीलों को जो जोधपुर में बसते है या जयपुर में बसते हैं उनके हितों की रक्षा करने के लिए आप इस प्रकार से जनता को घसीटते हैं। अध्यक्ष महोदय, जनता मज़दूर है, जनता किसान है। लेकिन मैं समझता हूं कि सौ में से मुश्किल से दस किसान ऐसे होंगे जो हाईकोर्ट पहुँचेंगे और एक मजदूर कभी हाईकोर्ट में नहीं पहुँच सकता क्योंकि न्याय मंहगा है। जो हाईकोर्ट पहुँच सकता है, तो उसके लिए ऐसा समझा जायेगा कि वह जोधपुर भी पहुंच सकता है और जयपुर भी पहुँच सकता है और दिल्ली भी पहुँच सकता है। अध्यक्ष महोदय, क्यों

(श्री गिरधारीलाल)

कि आज की हमारी न्याय व्यवस्था ऐसी मंहगी है कि कोई वहां पहुँच ही नहीं सकता। माननीय सदस्यों ने कहा था कि मेवाड़ के आदमी दानी होते हैं, लेकिन यह दान का प्रश्न नहीं है। यह तो नीति का प्रश्न है। हमने एक कमेटी की नियुक्ति की और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और उसके बाद में यह कहें कि उसको रिपोर्ट को नही मानना चाहिए तो मैं कहता हूँ कि जो जयपुर वाले यह बात करते हैं कि हाईकोर्ट जयपुर में रहना चाहिए वह जयपुर का हित नहीं बल्कि अहित कर रहे हैं। इसके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि राव कमेटी ने इस प्रकार की रिपोर्ट दी है कि जोधपुर के अन्दर हाईकोर्ट रखा जाये, लेकिन जयपुर के माननीय सदस्य इस प्रकार का भय दिखाते हैं कि यहां भी बैंच रखे और इससे जनता का फायदा है। मैं सोचता हूं इसका मतलब यह हुआ कि राव कमेटी की रिपोर्ट को मानने से अस्वीकार करते हैं या उसमें रद्दोबदल करते हैं। अगर ऐसा किया तो कल कैपीटल के लिए झगड़ा खड़ा हो सकता है। बीकानेर वाले कहेंगे कि आपने राव कमेटी के अनुसार काम नहीं किया इसलिए कैपीटल को क्यों नहीं बीकानेर या जोधपुर में रखें। इसलिए यही उचित होगा कि हम रिपोर्ट को मान लें। अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसी बातें भी है जिनको हम यहां सुनते हैं, दो दिन से सुन रहे हैं और इसमें जनता को घसीटा जा रहा है।

(समय सूचक घंटी)

आप यह कह सकते हैं कि इसमें पांच वकीलों का फायदा है, आगे कह सकते हैं कि कुछ बुद्धिजीवी जो शोषण करते हैं उनका हित है। आप यह कह सकते हैं कि इसमें मेरा हित है क्योंकि मेरा गांव नज़दीक पड़ता है। इसलिए इसमें जनता का नाम घसीटना बहुत बुरा होगा। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे और इस सदन से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप इस कमेटी की रिपोर्ट को नहीं मानेंगे तो आगे जाकर इसका बहुत उल्टा असर हो सकता है। राजस्थान का वातावरण आज दिन तक जो शांत है इसको अशांत बनाने में ज्यादातर मेरे माननीय सदस्य जो उधर बैठे हुए हैं उनका हाथ है। जनसंघी लोग जिनका कि क्षेत्रीय, प्रान्तीयता और जातीयता ही आधार है, उनका सिद्धांत ऐसा ही है और यह इस प्रकार की बात कांग्रेस के सदस्य करते हैं, तो मुझे ताज्जुब होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके द्वारा इस सदन को निवेदन करना चाहूंगा कि आप राव कमेटी की रिपोर्ट को जल्दी से जल्दी मान लें, इसी में हमारा हित है।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने हेतु खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : श्री हरिश्चन्द्र।

श्री हरिश्चन्द्र (डग) : अध्यक्ष महोदय, हम एक बड़े गम्भीर विषय पर विचार कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उसका थोड़ा बैकग्राउन्ड मुझे मालूम है जो सदन के सामने मैं पेश करना चाहूंगा। राजस्थान का जब इन्टीग्रेशन हुआ उस समय तीन हिस्सों में इन्टीग्रेशन बंटा था। पहले राजस्थान का इन्टीग्रेशन हुआ उसमें कोटा राजधानी रहा था और उसके बाद में उदयपुर शामिल हुआ और तीसरे इन्टीग्रेशन जाकर जयपुर और जोधपुर शामिल हुए।

(श्री हरिश्चन्द्र)

तो जब जयपुर और जोधपुर शामिल हुए तो मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि चीफ मिनिस्ट्री के साथ कुछ कन्डीशन्स रखे गये थे और वह यह थे कि अगर जयपुर राजस्थान के इन्टीग्रेशन में आया तो जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया जाये और उस कन्डीशन को वी० पी० मेनन ने जो कि चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी थे और सरदार पटेल ने उस बात को माना था। इसी तरह से जोधपुर का जब प्रश्न आया तो उस वक्त उन्होंने इस बात को माना कि जोधपुर में हाईकोर्ट रहना चाहिए। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान का जो इन्टीग्रेशन हुआ उसमें एक सोलम कन्डीशन था कि जयपुर में तो राजधानी बनाई जाय और जोधपुर के यहां हाईकोर्ट एस्टेब्लिश किया जाय, तो इस वक्त हमें यह सोचना पड़ेगा कि क्या यह १० साल के बाद उन कन्डीशन्स को भंग करें या न करें, लेकिन साथ ही साथ हमें यह जरूर देखना पड़ेगा कि राजस्थान एक इतना बड़ा प्रान्त हो गया है और जिसकी सोसाइटी इतनी कानूनी हो गई है कि हम कानून के सिवाय एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते, तो ऐसी सोसाइटी को जब तक स्पीडी, तेज़ी के साथ चीफ जस्टिस न मिले तब तक मैं यह सोचूंगा कि हम जो कि गरीब जनता है, जो कि राजस्थान के एक कोने में रहते है, उनके साथ न्याय नहीं कर रहे है। डेमोक्रेसी का पहला सिद्धांत यह है कि पॉवर जो हो वह डिसेन्ट्रलाइज़ होना चाहिए। अगर हम डिसेन्ट्रेलाइज़ पॉवर नहीं करते हैं, तो जनता जो है वह डेमोक्रेसी का फायदा नहीं उठा सकती। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारा सोलम अन्डरस्टेंडिंग था। सरदार पटेल के साथ और स्टेट्स मिनिस्ट्री के साथ तो मैं जोधपुर की जनता से, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा, निवेदन करना चाहता हूं कि वह एक उदार दिल बने और जो कोनों में रहते हैं जैसी कि हमारी डग और गंगाधार को जनता है, मनोहर थाने की जनता है उनके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह जयपुर आकर अपनी जो कानूनी कार्यवाही हो उसके विषय में रूलिंग लें। तो हाल एक तरफ हम यह देखते है कि इन चीजों से बन्धे हुए हैं और दूसरी तरफ जनता की सुविधा। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि जनता की सुविधा को हमको देखना चाहिए और हमको आगे कदम बढ़ाना चाहिए।

साथ ही साथ मैं इतना और कहना चाहूंगा कि जो पटेल कमेटी की रिपोर्ट हुई है उसमें उन्होंने जयपुर को केपिटल माना है और जोधपुर को हाई कोर्ट के लिए कहा है तो यह कमेटी १९४९ में बनी थी इन्टीग्रेशन के इमीजिएटली बाद तो उस कमेटी के माइन्ड में यह बात थी कि हमने यहां पर सोलम प्लेजेज़ दिये है और उस तरह से उन्होंने उस रिपोर्ट को पेश किया है। तो जहां तक केपीटल का सवाल है, मैं यह मानता हूं कि अब इसमें कोई भी हेरफेर नहीं हो सकता। यह जरूर है कि अजमेर के जहां तक ताल्लुकात हैं, अजमेर उस वक्त वहां पर नहीं था वह सेन्ट्रली एडमिनिस्टर्ड था। इस वास्ते उनका क्लेम जो है उस वक्त सामने नहीं आया। लेकिन अब यह कहना कि जयपुर से केपीटल हटाया जाय, यह मैं सोचता हूं बहुत नामुमकिन सी बात है। वह हो नहीं सकेगा।

आखिर में मैं यह कहना चाहूंगा कि

(श्री हरिश्चन्द्र)

केरल में मैं अभी गया था और वहां पर इसके लिए मैंने कुछ बातचीत भी की थी, तो वहां यह मालूम हुआ कि केरल में भी जो इतनी छोटी सी जगह है वहां पर भी उन्होंने यह डिसाइड किया है वहां के हाउस ने युनेनीमसली कि एक बेन्च ट्रिवेन्द्रम में भी रहना चाहिए, क्योंकि जनता को इससे सुविधा होती है। इसी तरह से मैं यह महसूस करता हू और अपील करूंगा कि एक छोटी सी बात है, जनता की सुविधा की बात है, इसमें जोधपुर छोटा नहीं रहेगा या जयपुर बड़ा नहीं हो जायगा। जब ऐसे विषय की बात है और जनता की सहूलियत की बात है तो हम इस कन्ट्रोवर्सी में पड़ जाय, झगड़े में पड़ जायं, फसाद में पड़ जायं कि क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, मैं यह समझता हूं कि युनेनीमस होकर किसी डिसीजन को जनता का हित में लेंगे और जनता का हित इसी में है कि जयपुर में एक बेन्च कायम हो। इधर की कोटा की जो जनता है, उसके कानून के लाभ से महरूम न रखा जाय और कानून प्राप्त हो सके, हाई कोर्ट की फेसिलिटीज़ प्राप्त हो सके।

दूसरा, आखिर में मैं एक और निवेदन करूंगा कि जब इंटीग्रेशन हुआ तो यह मुझे अच्छी तरह से मालूम कि स्टेट्स मिनिस्ट्री के सामने यह प्रश्न आया था कि छोटी रियासतों का क्या किया जाय तो वी. पी. मेनन ने उस वक्त एश्योरेन्स दिया था कि आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी पहले की रियासतों की राजधानियां हैं उनका डेवलपमेंट जो है वह बराबर होता रहेगा। देखने में यह आता है कि डेवलपमेंट जिस तरह से होना चाहिये वह नहीं हुआ है और जो छोटे रियासतें, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और झालावाड़ ऐसी जो रियासतें हैं उन पर कि छोटी छोटी केपिटल्स हैं और जहां की जनता १० हज़ार, १२ हज़ार और १५ हज़ार की है वहां पर हम यह महसूस करते हैं कि वहां की पापुलेशन जो है इस वक्त वह माइग्रेट करने लग गई है जब तक कि उनको किसी तरह से रोका नहीं जाय, आप देखेंगे कि ५ साल या १० साल के बाद में जो उस वक्त रियासतें थीं और उनकी जो केपिटल्स थीं छोटी छोटी वहां पर एक तरह से बरबादी शुरू हो जायगी और इस सिलसिले में मुझे एक पोएम याद आती है वर्डसवर्थ की जिसका कि नाम 'डेजर्टेड विलेज' तो वह 'डेजर्टेड विलेज' यहां पर हम देखने लग जायेंगे। तो यह मैं मानता हूं कि यह डेवलपमेंट, मैं समझता हूं, उन केपीटल्स में यह कोई हम यहां से गवर्नमेंट शिफ्ट कर दें या कोई डिपार्टमेंट शिफ्ट कर दें उससे नहीं होगा। यह तो इन्डस्ट्रियल प्लान या इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट राजस्थान का उसमें जाकर होगा तभी होगा। तो हम भी जब तक उस प्लान को चालू नहीं करते हैं, उस प्लान को मेटेरियेलाइज़ नहीं कर सकते हैं, तब तक मैं निवेदन करूंगा कि इतने बड़े इस तरह के डिपार्टमेंट्स छोटी छोटी केपीटल्स में जाने चाहिये जिससे कि वहां की जनता का रोजगार लगे। झालावाड़ की पापुलेशन १० हज़ार से ज्यादा थी। इस वक्त अगर आप सेन्सस लें, तो कम से कम दो हज़ार आदमी बाहर गये हैं। जहां की पापुलेशन १० हज़ार की हो वहां से २ हज़ार आदमी बाहर चले जाय तो क्या नतीजा होगा? इसी तरह से दूसरी केपीटल्स की भी यही हालत है। जयपुर एक बड़ी राजधानी है, यहां दो हज़ार आदमी बढ़ जाय या घट जाय इस बात का फर्क नहीं

(श्री हरिश्चन्द्र)

पड़ता है, लेकिन जो छोटी केपीटल्स या छोटी युनिट्स हैं, मैं यह निवेदन करूंगा आपके द्वारा गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उनके लिए ऐसी योजनाएं खोलें ताकि वहां की जनता का पेट भरे और बरबादी की सूरत से दूर रहे।

श्री दयाकृष्ण विजय (हुवड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज राजधानी जांच समिति के प्रतिवेदन पर वाद-विवाद का दूसरा दिन है। सबसे पहली दलील यह दी जाती है कि राव समिति ने जो प्रतिवेदन दिया है उसको उसी रूप में मान लेना चाहिये, यह राय कई सदस्यों की है। मैं भी इसी विचार का हूं कि इसे ज्यों का त्यों मानना चाहिये क्योंकि आखिर कमेटी बैठाने का क्या मतलब है। उसने सारे राजस्थान का दौरा किया, विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया और वहां के विषय में जानकारी प्राप्त की और उसके बाद सर्व समिति से अपनी रिपोर्ट हमारे सामने रखी है। कई माननीय सदस्यों का विचार है कि जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है वह निश्पक्ष भाव से दी है। मैं उन माननीय सदस्यों की, जिन्होंने यह प्रतिवेदन दिया है, सिन्सियेरिटी पर अविश्वास न करता हुआ यह कहूंगा कि आज हम जनतांत्रिक युग में रह रहे हैं और निश्पक्ष रूप से यह प्रतिवेदन हमारे सामने आया है, लेकिन जिस जनतांत्रिक प्रणाली से यह हमारे सामने आता है, लेकिन माननीय सदस्य जो अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से आये है उनका फर्ज है कि अपने विचार इस पर फिर से प्रकट करें, कई माननीय सदस्यों ने कहा कि जो समिति आयी थी उसमें कई माननीय सदस्यों के, लोक सभा के सदस्यों को और पोलिटिकल पार्टीज के सब के विचार सुने हैं और उसके बाद अपनी रिपोर्ट दी है, उस पर भी अब प्रश्न उठाते हैं कि हम इस पर विचार करें या न करें यह उचित नहीं है। मैं तो यह विश्वास लेकर चलता हूं कि हम जनतांत्रिक प्रणाली में रहते हैं और ऐसे युग में रहते हैं, जिसमें हरेक को अपनी इच्छा और मत व्यक्त करने का अधिकार है। इसलिये यदि इस पर फिर से विचार करें, तो बेजा नहीं है। यह दलील भी दी जाती है कि जो प्रतिवेदन आया है उसको पूरी तरह से मानना चाहिये, इस पर विवाद खड़ा नहीं करना चाहिये। और दूसरी तरफ सभी लोग इस प्रकार की दलील देते हैं वे ही लोग किस प्रकार का रुख प्रकट करते हैं यह सामने आता है।

सभी कहते हैं कि क्षेत्रीय भावना से प्रभावित होकर चलते हैं, बोलने वाले यही बता रहे हैं, लेकिन जो लोग इस प्रकार का आरोप लगाते हैं वे ही इससे प्रभावित हैं। जहां तक हाईकोर्ट का प्रश्न है जोधपुर और बीकानेर वाले हाई कोर्ट जोधपुर में रखने का पक्ष लेते है और जयपुर, अलवर, भरतपुर, कोटा आदि से आने वाले माननीय सदस्य जयपुर का पक्ष लेकर बोलते हैं और अजमेर वाले अजमेर की बात कहते हैं। आज हाउस तीन भागों में बटा है। लेकिन जिस प्रकार की विचारधारा सामने आनी चाहिये थी, उस प्रकार की विचार धारा श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखी। इनके द्वारा निश्पक्ष विचार रखा गया। मैं निवेदन करता चाहता हूं कि कि ज्यादातर बोलने वाले माननीय सदस्यों ने क्षेत्रीय भावनाओं की अपनी दलीलें दी। लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि इस चीज़ को निश्पक्ष भाव से देखें,

(श्री दयाकृष्ण विजय)

खुले भाव से देखें। यदि हम क्षेत्रीय भावना से विचार करते हैं, तो जिस समय राज्यों का पुनर्गठन हुआ था उस समय बम्बई, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल बिहार आदि में जो हाल हुआ था उसी तरह का उत्पात और आन्दोलन हमारे यहां भी शुरू हो जायगा इसमें शंका नहीं। इस प्रकार के आन्दोलन की बातें एक मूर्धन्य स्थान पर बैठने वाले सदस्यों ने कही हैं, इस प्रकार के विचार और आशंकाएं उन लोगों ने प्रकट की हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की आशंका पूर्मन्य स्थान पर बैठने वाले व्यक्तियों से आती है, तो परोक्ष रुप से वे इस प्रकार जन भावना को उभाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यह सोचता हूँ कि हमको निश्पक्ष भाव से बात कहनी चाहिये,लेकिन जो लोग शासन चलाने वाले हैं वे जन आन्दोलन के सामने दब जाते हैं और घुटने टेक देते हैं व माथा टेकते हैं। मैं कहूँगा कि यदि निश्पक्ष रूप से कहते हैं तो जयपुर से हाई कोर्ट की बैंच चली जाती है, तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। यही बात अपनी दलील में श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने खुले रूप में कही है। लेकिन केवल भय की आशंका से दलील दी जाती है कि जयपुर से बैंच नहीं हटाई जाय। मेरी समझ में यह कोई तर्क नहीं है।

अब प्रश्न आता है कि राजस्थान की राजधानी कहां रहे। राजस्थान की राजधानी के बारे में जैसा कि पूर्व वक्ता महाराजा झालावाड़ ने बताया, तीन जगह राजस्थान की राजधानी बन चुकी है। कोटा में सबसे पहले राजधानी बनी। उसके बाद उदयपुर में राजस्थान की राजधानी बनी और बाद में जयपुर को राजधानी बनाया गया। आज राजस्थान की विशाल क्षेत्रीय स्थिति है और जब क्षेत्रफल को देखते हैं तो यदि कोटा के सदस्य कहें कि कोटा को राजधानी बनाया जाय तो मैं समझता हूं यह कोटावालों का दिवालियापन होगा। जिस समय राव समिति वहां गई थी, उस समय वहां के कांग्रेस सदस्यों और दूसरे लोगों ने इस प्रकार की मांग उसके सामने रखी थी, लेकिन जन संघ ने खुले मस्तिष्क से विचार कर उनके सामने बातें रखीं थीं हम इस प्रकार की क्षेत्रीय भावना से प्रेरित होकर बात रखेंगे, तो इससे कोटा का हित नहीं होगा। जन संघ की तरफ से मैं भी उनके सामने गया और मैंने समिति से कहा कि कोटा को राजधानी नहीं बनाया जाय, इसको राजधानी बनाना उचित नहीं है, किसी समय राजधानी रह चुका है लेकिन इस समय कोटा में दूसरे विभाग आने चाहिये। मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरह जनसंघ खुले मस्तिष्क से बात करता है उस तरह वे भी सोचें। मुझे दुःख इस बात का है कि उक्त माननीय सदस्य ने कहा कि जनसंघ वाले क्षेत्रीय भावना से बात करते हैं। मैं उनसे खुले दावे के साथ बात कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में कोई दूसरी ऐसी पार्टी नहीं है जिसने जन संघ की तरह खुले मस्तिष्क बात की हो....

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): इस तरह कहने से कोई प्रभावित नहीं होगा।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : मुझे इस बात का गर्व है कि जिस समय राव समिति के सामने अनेक संस्थाओं ने अपने अपने सुझाव रखे थे उनमें से ज्यादा तादाद में जन संघ की बातें मानी गई हैं। जन संघ ने कहा था....

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): I think the date for party member ship is over.

श्री दयाकृष्ण विजय (जारी) : It is my personal question. The party question is with me.

माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जन संघ ने इस प्रकार की मांग रखी थी जो जनतांत्रिक मांगे थीं । जनसंघ ने कहा था कि राजस्थान की कोई राजधानी हो सकती है तो वह जयपुर में ही हो सकती है । इसका कारण यह है कि यह सुन्दर नगर है, मैं इसके बीच में कहना चाहता हूं कि कई माननीय सदस्यों ने कहा कि इसका इतिहास अच्छा नहीं रहा है । लोग बार इतिहास की बात करते हैं । मनुष्य के जीवन में कभी गिरावट आती है तो कभी उत्थान आता है । मनुष्य में हर प्रकार की कमजोरी भी होती है । लेकिन यदि मनुष्य चाहता है कि मैं अपनी कमजोरियों को छिपाता रहूं तो यह सम्भव नहीं हो सकता । हमको जितना गर्व हल्दी घाटी पर है उतना ही गर्व पृथ्वीराज की हार पर भी होना चाहिये क्योंकि पृथ्वीराज ने अपने घुटने नहीं टेके थे इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि मनुष्य के जीवन में कमजोरियां और अच्छाइयां भरी हैं । हमको सब बातों को देखना चाहिये । हो सकता है कि राजस्थान में जयपुर का इतिहास कलंकित हुआ हो, लेकिन आज के जनतंत्रिय युग में हमेशा के लिये उस पर कलंक लगाना अच्छा नहीं है । हो सकता है कि कभी यशस्वी महाराजा पैदा हुए हों और कभी गिरे हुए । इसलिये हमेशा इतिहास को सामने लाना न्यायसंगत बात नहीं है । मैं यह कहना चाहता हूं कि जयपुर नगर के विकास के लिये काफी गुंजायश है । अजमेर का प्रश्न सबसे पहले आया जिस समय इस पर विचार हुआ । आज राजधानी का प्रश्न क्यों हुआ ? केवल इसलिये हुआ कि अजमेर राजस्थान में मिला और यह सेन्टर में पड़ता है वरना पहले यह निर्णय हो चुका था कि जयपुर में केपिटल होगी ।

अब यह प्रश्न सामने आता है कि अजमेर का छोटा सा एरिया राजस्थान में मिलने से राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि परिस्थितियों में कोई परिवर्तन आया है ? मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस दिशा में कोई परिवर्तन नहीं आया है । राजस्थान में जोधपुर और बीकानेर जितने दूर पहले थे उतने ही दूर अब भी हैं उसमें कोई अंतर नहीं आया है । केवल अजमेर का छोटा सा एरिया मिल जाता है या चला जाता है, तो राजस्थान के विशाल क्षेत्र में कोई अंतर नहीं पड़ता है । अजमेर राजस्थान में मिला इससे राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति में कोई अन्तर नहीं आता है । लेकिन एक बात जरूर है कि हमको उन स्टेट्स को जो राजस्थान में मिली हैं, जिनका विलीनीकरण हुआ है उनके उत्थान की ओर जरूर ध्यान देना चाहिये । इसके लिये मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं कि उसने उन पुरानी राजधानियों की बहबूदी पर पूरा ध्यान नहीं दिया । आज प्रश्न आता है कि जयपुर में इतना बड़ा राजस्थान कालेज बनता है उसका विकास कार्यों से क्या सम्बन्ध है । कोटा सबसे पहले राजस्थान की राजधानी बना था, वहां के लिये केवल चंबल का गुणगान हो सकता है लेकिन चम्बल से कोटा का विकास नहीं होगा । जो सबसे पहले राजस्थान की राजधानी बना, उसके विकास के प्रश्न पर विचार नहीं हो सका । मैं कहना

Page No.61

(श्री दयाकृष्ण विजय)

चाहूंगा कि जो राजस्थान कालेज़ यहां खोला गया है, उसे कोटा में खोला जाना चाहिए। इस कालेज़ का राजस्थान के विकास से या राजस्थान के प्रशासन से सम्बन्ध नहीं है । इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि छोटी छोटी जगहों का भी विकास करना चाहिए । आज कोटा के रहने वालों का यह आरोप रहा है कि राजस्थान के अन्दर एक ओर जोधपुर है और दूसरी ओर उदयपुर है और थोड़ी बहुत जयपुर के विकास पर शक्ति लगी हुई है पर इन दोनों स्थानों के विकास पर पूरी शक्ति लगी हुई और कोटा भरतपुर आदि की उपेक्षा की दृष्टि से देखा जा रहा है । मैं जानता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी भी इसे अच्छी तरह से जानते हैं और मैं उनसे आशा करता हूं कि वे कोटा के विकास की ओर ध्यान देंगे । अब एक और प्रश्न खड़ा होता है राजधानी के बाद, राजधानी होने के लिए जयपुर उपयुक्त स्थान है, कोई दूसरा स्थान उपयुक्त नहीं है, अजमेर किसी रूप में भी राजधानी के लिये उपयुक्त नहीं है । अजमेर दो पहाड़ियों के बीच में घिरा तलहटी में बसा हुआ है, न वहां पानी की पूर्ण व्यवस्था है न कुछ और । राजधानी के लिए जोधपुर ने किसी प्रकार की मांग नहीं रखी है, मैं जोधपुर की तारीफ किये बिना नहीं रह सकता, उन्होंने केपिटल के प्रश्न को बिल्कुल छोड़ दिया, केवल एक बात मनवाने के लिए, उनका यह सोचने का तरीका बहुत अच्छा है । अब राजधानी के अतिरिक्त एक प्रश्न खड़ा होता है, हाई कोर्ट का प्रश्न आता है । यह प्रश्न बहुत उलझा हुआ है, सबसे ज्यादा उलझा हुआ यह मसला है । इसके लिए लॉ कमीशन ने कहा है कि हमारे देश में किसी प्रदेश में एक ही हाई कोर्ट होना चाहिए, एक ही न्यायालय होना चाहिए । हम एक ही न्यायालय के पक्ष में हैं और इस बात को स्वीकार करते हैं कि राजस्थान में एक न्यायालय होना चाहिए । इस पर निर्णय हो सकता है । लेकिन इसके साथ ही एक और प्रश्न खड़ा होता है कि राजस्थान के अन्दर अब तक हाई कोर्ट की एक बेंच जयपुर में चली आ रही है और हाई कोर्ट की प्रिन्सीपल सीट जोधपुर में रही है १९४९ के पहले से । जिस समय से राजस्थान का उद्घाटन हुआ, जोधपुर में हाई कोर्ट रही है । सन् १९५६ में दुबारा प्रश्न खड़ा हुआ, और जोधपुर में ही हाई कोर्ट की सीट रह गई । इसके बाद ही १९५६ में अजमेर का मर्जर हुआ और तब भी जोधपुर में हाई कोर्ट की सीट रखी गई । उसकी दफा ५०, ५२, ५३, ५४ जितनी भी रखी गई हैं, उसमें यही है कि जोधपुर में हाई कोर्ट की सीट हो टेम्प्रेरी रूप से । और राज्य के तीन न्यायाधीशों की राय से एक बेंच जयपुर में रखी गई और वह टेम्प्रेरी रूप से काम कर रही है । मैं अध्यक्ष महोदय, एक बात रखना चाहता हूं कि जयपुर में बेंच रखने का निर्णय क्यों लिया गया, जैसा कि माननीय न्यायाधीश श्री वांचू ने कहा है कि जयपुर में कोई स्थान नहीं है और अभी जो हाई कोर्ट की बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, उसमें केवल चार रूम्स बनेंगे, अगर उन कमरों के ऊपर कोई चलेगा तो धड़ाधड़ होगी । मैं समझता हूं यह ऐसी दलील है जिसे किसी प्रकार नहीं माना जा सकता है । जहां तक लिटीगेशन का सम्बन्ध है, ११ ज़िले इसके साथ लगाये गये हैं । इसी सम्बन्ध में मेरे पूर्व वक्ता ने मनोहर थाना आदि जो इलाके हैं, उनकी ओर

(श्री दयाकृष्ण विजय)

किसी का ध्यान नहीं गया है, उनकी जो कठिनाइयां हैं, उन पर विचार नहीं किया जाता। मैं कहना चाहूंगा राजस्थान के हाई कोर्ट का प्रश्न है, उसके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि यद्यपि जन संघ इस बात को मानता है, ऑल इन्डिया पोलिसी को स्वीकार करता है कि यूनीफाइड हाई कोर्ट होने चाहिए, लेकिन राजस्थान की विशेष परिस्थिति है, उनके ऊपर राव कमीशन को गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिए था। अगर राजस्थान में बेंच खोलने की आवश्यकता पड़े तो बेंच खोलनी चाहिए। कमीशन के निर्णय को मानते हुए भी मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता का क्या निर्णय है, उस पर विचार करना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हाई कोर्ट की टेम्प्रेरी बेंच जयपुर में हो और फिलहाल जैसा है वैसा रहने दिया जाय (थम्पिंग) ताकि राजस्थान के सामने जो कठिनाईयां है, वे दूर हो सकें। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि १९४९ से आज तक जोधपुर में हाई कोर्ट की प्रिन्सिपल सीट रही है और वह वहां बराबर रहनी चाहिए।

तीसरा प्रश्न खड़ा होता है कार्यालयों के स्थानान्तरण के बारे में। मैंने जो राजस्थान कॉलेज का प्रश्न किया, वह यहां नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं राजस्थान कॉलेज को कोटा में ट्रान्सफर कर देना चाहिए और कोटा में शिक्षा के विकास का अवसर देना चाहिए। इसमें यह भी सिफारिश है कि तीन कार्यालय अजमेर में भेजे जायं। मैं कहना चाहता हूं कि अजमेर के लोग राजस्थान के साथ मिले हैं, उनकी कुछ ग्रीविऐन्सेज हो सकती हैं। वे चाहते हैं कि अजमेर सेन्ट्रली एडमिनिस्टर्ड एरिया रहा है, उसका जो विकास हुआ है, वह खंडहर न हो जाय, वह किसी प्रकार उजड़ न जाय। इसलिए सभी माननीय सदस्य स्वतन्त्र मस्तिष्क से सोचते हैं कि अजमेर की बेहबूदी के लिए, विकास के लिए ध्यान दिया जाय। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जिन तीन कार्यालयों को स्थानान्तरित करने के लिए प्रस्ताव रखा है, उनका राजस्थान के सचिवालय से या विकास से सम्बन्ध नहीं है, इसलिए एकदम उनको ट्रान्सफर कर दिया जाय, तो न्यायसंगत होगा। इन तीनों कार्यालयों को जल्दी से जल्दी भेज देना चाहिए।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष : श्री भोलानाथ।

श्री भोलानाथ (लक्ष्मणगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आज जो प्रश्न हमारे सामने है, मैं समझता हूं कि बाद में इस प्रकार का प्रश्न खड़ा होने वाला नहीं है, इसलिए मैं आज बड़े गम्भीर वातावरण में अर्ज करना चाहता हूं कि जिस प्रकार मुख्य मन्त्री जी ने कहा, उसी प्रकार से प्रश्न पर विचार करने के लिए पहली बात यह है कि आज इस हाउस में बैठे हैं वह एक ऐतिहासिक घटना का परिणाम है और वह राजस्थान के एकीकरण की व्यवस्था, अब उस एकीकरण का अन्तिम चेप्टर, अजमेर के आने से, समाप्त हुआ है। हमें मौका मिला है कि हम इस सम्बन्ध में अपनी अन्तिम राय दें और अपनी राय देने के लिए यहां ईकट्ठे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, दो सवाल हमारे सामने हैं, पहली बात तो यह है कि कमेटी की जो रिपोर्ट हमारे सामने है, उसके द्वारा हम कोई अच्छा काम करने को जाते हैं, कुछ भाइयों

(श्री भोलानाथ)

को फायदा पहुंचाते हैं, इस राजस्थान में नागरिक बसते हैं, उनके लिए बहबूदी की बात सोचते हैं, यह जांचा गया है। दूसरी बात यह है कि जो अब तक कमियां रही हैं, उनको दूर करने के लिए कोई कदम उठाया है या नहीं। मैं देखता हूं कि कल से यह कहा गया है कि टर्म्स ऑफ रेफरेन्स जो कमेटी के सामने रखे गये हैं, वे ठीक हैं। मैं मानता हूं और जोरदार ढंग से कहना चाहता हूं कि बिल्कुल गलत तरीके से टर्म्स ऑफ रेफरेन्स बनाई गई। पहली टर्म ऑफ रेफरेन्स थी, उसके मुताबिक साफ तौर से कहा गया है, वह है हाई कोर्ट और केपीटल को एडजस्ट करने के बारे में। बाकी डिपार्टमेंट कहां रहे, यह नहीं होना चाहिए था। इसमें दूसरी, तीसरी और चौथी टर्म ऑफ रेफरेन्स खामखां जोड़ कर एक प्रॉबलम खड़ी कर दी कि क्या जोधपुर से हाई कोर्ट को हटाया जाना चाहिए, क्या बैंच को रखना चाहिए? पहली टर्म ऑफ रेफरेन्स में कहा है: "Whether in consequence of the merger of Ajmer with Rajasthan, any change should be made in the existing arrangements as regards the capital or the High Court of Rajasthan..

मैं समझता हूं इसके बाद क्या गुंजाइश रह जाती है कि जोधपुर का बीच में नाम आये, क्यों बैंच का सवाल आये। अगर एडजस्टिंग के बारे में राय लेनी थी, तो हमें कमेटी को एडवाइज़ करना था कि उसके सम्बन्ध में विचार करना चाहिए। एक और बात कही गई: "Whether the capital or any office should be shifted from Jaipur :

यह एक ज़बरदस्त बात थी। केपिटल के सम्बन्ध में उन्होंने राय दी और डिपार्टमेंट्स के बारे में खास कोई राय नहीं दी। मैं अर्ज करना चाहता हूँ आप इस रिपोर्ट को पढ़े, इसमें केपिटल के सम्बन्ध में सिर्फ पांच पेज हैं, हाई कोर्ट के सम्बन्ध में ६० पेज हैं और डिपार्टमेंट्स के सम्बन्ध में डेढ़ दो पेज लिख दिये हैं। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि जिस वक्त इन्टीग्रेशन हुआ, जैसा कि झालावाड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, यह एक जबरदस्त घटना थी। मैं अलवर की तरफ से यहां पर खड़ा हुआ हूं। वहां सबसे पहले इन्टीग्रेशन का काम किया और मतस्य यूनियन बनी। आप हैड ऑफ डिपार्टमेंट की बात छोड़ दीजिये, वहां डिवीज़न का डिपार्टमेंट भी नहीं है। वहां लोग क्या कहते हैं, यह हमें मालूम है। जिस समय राजस्थान का इन्टीग्रेशन किया, अलवर, भरतपुर, करोली और धौलपुर की यूनीयन बनी, उस समय भरतपुर के भाइयों ने उद्घाटन नहीं होने दिया, इतना रोष था। इस बात को हमने दबाया और यह कह कर दबाया कि कुछ सहूलियतें देंगे, राजस्थान की तरक्की करके कुछ काम करें और उसका हिस्सा दिया जायगा, बड़े गांव जायेंगे, बड़े-बड़े लड्डू लायेंगे, इस बात को कह कर उनको दबाया। आज देखते हैं कि, बीकानेर वाले भाषण देते हैं, जोधपुर वाले भाषण देते हैं, उदयपुर वाले भाषण देते हैं; मैं अर्ज़ यह करना चाहता हूं कि जो टे डिसीज़न कर रहे हैं, हाई कोर्ट के बारे में डिसीज़न कीजिए, चाहे रेवेन्यू बोर्ड के बारे में कीजिए, आप देखिए कि इसका असर किस पर पड़ रहा है, क्या इसका असर बीकानेर में असर पड़ रहा है, क्या उदयपुर पर असर पड़ रहा है, ? देखना यह चाहिये था कि ६० लाख की

(श्री भोलानाथ)

जनता, ७० लाख की जनता यहां रह रही हैं, यहां से बैंच हट जाने के बाद उन पर क्या असर पड़ रहा है। आपने यह देखा नहीं। अजमेर में मर्जर के समय तीन चार डिपार्टमेंट रख दिये। आप सेन्टर की बात कहते हैं, वहां आपने डिवीज़नल हैड क्वार्टर, डी. आइ. जी. का आफिस, वीमेन एजूकेशन के असिस्टेन्ट को भेज दिया। आपने कोई विचार नहीं किया और ये डिपार्टमेंट भेज दिये। अभी असिस्टेन्ट कमिश्नर भी अजमेर में जा रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई छोटी सी दर्ख्वास्त देनी होगी, तो अजमेर जाना पड़ेगा।

आप इस रिपोर्ट को पढ़ कर देखिये, यह आपके सामने है, इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज़ केसेज के मामले दिये हैं, अलवर के सबसे ज्यादा केसेज़ हैं। मैं अलवर के बारे में इसलिए कहना चाहता हूं कि स्टेट के ज़माने में वहां पर बाकायदा दो जज रहा करते थे, अजमेर में कभी दो जज नहीं थे, अलवर में दो जज थे हाई कोर्ट के, ऊंचे दर्जे के वे मुकदमों के फैसले किया करते थे, आज आप उनके न्याय हासिल करने के साधन को और भी दूर फैंकना चाहते हैं, कहा जाता है कि १२ रुपये ११ रुपये का खर्चा होगा, सवाल १२, ११ का नहीं है हमारे सामने सवाल जनता की सुख सुविधा और सस्ता न्याय जनता को देने का है।

११ म० पू०

(श्री निरंजन नाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मुझे अफसोस होता है दो जज साहबान की राय पर, एक तो वान्चू साहब ने राय दी है और दूसरे राव साहब ने राय दी है, वान्चू की राय को मैं राय नहीं मानता क्योंकि वे लॉ कमीशन के मेम्बर रह चुके थे और उस हैसियत से वे अपनी राय, अपनी ओपिनियन, अपना ओब्जेक्शन इस बारे में एक दफा दे चुके थे, उसके अगेन्स्ट में वे अपनी राय नहीं दे सकते थे। ऐसे सदस्य के पास यह मामला जाना ही नहीं था क्योंकि वे एक बार इस मामले में राय दे चुके थे। मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि इसमें होम मिनिस्टर की गलती है जो एस. आर. सी. की रिपोर्ट आई और एक एक्ट बना, उसके आधार पर प्रेसिडेन्ट को अधिकार दिये गये, उसमें कहा गया था कि :

"notwithstanding anything contained in sub-section (1) of sub section (2), the Judges in division courts of the High Court for a new State may also sit at such other place or places in that State as the Chief Justice may with approval of the Governor appoint."

इसका मतलब यह था कि जब यह हमारा एक्ट बना था सन् ५६ में कमेटी बनाई जुलाई ५७ में, जब यह एक्ट पार्लियामेंट में पेश हुआ, ला कमीशन की रिपोर्ट उनके सामने थी। तो इस समय बैंच के सवाल को जोधपुर के केस के साथ जोड़ कर इस केस को रीओपन करना होम मिनिस्टर की गलती थी। जो जोधपुर के बारे में बातें की जाती हैं, इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जोधपुर के साथ हमारी सहानुभूति है और हम चाहते हैं कि जोधपुर की तरक्की की जाय, जैसा कि अखबारों में छपा है, उद्योग धंधों से जोधपुर को बढ़ाया

(श्री भोलानाथ)

जाय, उदयपुर के बारे में भी अखबारों में आया है कि एटोमिक इनर्जी से उसकी तरक्की के बारे में सोचना चाहते हैं ।

मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जो डिविज़नल हैड क्वार्टर्स बने हैं, वे अपने आप पहले से बड़े बने हैं, वहां जो डिपार्टमेंट्स भेजने का निर्णय हुआ, राव कमेटी ने खुद ने कहा है कि आज जो डिविज़नल हैड क्वार्टर्स हैं वहां किसी प्रकार के हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट के कार्यालय को भेजने की जरूरत नहीं। डिविज़नल हैड क्वार्टर्स होने के कारण वे पहले जब कि रियासतें थीं उससे बड़े हैं। जोधपुर आज डिविज़नल हैड क्वार्टर है, जैसलमेर और सिरोही ये पुरानी दो रियासतें उसमें मिली हैं और आज वह पहले से बड़ा है, इसी प्रकार उदयपुर डिविज़नल हैड क्वार्टर है उसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और कुंशलगढ़ ये पुरानी रियासतें मिली हैं और वह आज पहले से बहुत बड़ा है और भी जो डिविज़नल हैड क्वार्टर्स बने हैं उनमें कई रियासतें मिली हैं और इस कारण वे पहले से काफी बड़े हैं। डिविज़नल हैड क्वार्टर बनने से वे पहले से बड़े हो गये हैं इसमें लिखा है आपने आखीर में : " their importance is maintained well enough by the very fact of their being divisional headquarters."

अब एक बात साफ तौर से कही है : "for the area of a division is larger in many cases than of the former princely States''''

तो फिर सवाल यह होता है कि यह ओब्जेक्शन्स पक्ष में पड़ते हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष में पड़ते हैं जो डिविज़नल हैड क्वार्टर नहीं बने उनका क्या होगा, उनको क्या सुविधाएं दी जाती हैं। ऐसे स्थान जो डिविज़नल हैड क्वार्टर नहीं बने उनको और सहूलियतें तो देना दूर जो सहूलियतें वे आज तक पाते रहे हैं, उनको भी आप इस तरह छीनना चाहते हैं। मैं जयपुर डिविज़न के बारे में कहना चाहता हूं, अजमेर का राजस्थान में मर्जर हुआ तो हर तरह के डिपार्टमेंटस् जयपुर से अजमेर भेजने की कोशिश की गई, उन क्षेत्रों को जो डिविज़नल हैड क्वार्टर नहीं बने उनको और सुविधाएं देना तो दूर उनको जो सुविधाएं मिली हुई हैं उनको भी आप और ८० मील दूर फेंक देते हैं, यह कोई अच्छी चीज़ नहीं है, अजमेर को बढ़ाना है तो और तरह से बढ़ाइये, जैसा कि अखबारों में छपा है वहां बिजली के लिये और और अन्य कामों को चालू करने के लिये विचार किया जा रहा है और वहां जल्दी ही तरक्की होने वाली है। जोधपुर में न बिजली जाने वाली है न इरिगेशन के साधन हैं और न न कोई प्रोजेक्ट है उनके साथ सहानुभूति है। वहां आप उद्योग धंधे खोल कर तरक्की कीजिये पर महरबानी करके जो गरीब लोगों को थोड़ा बहुत न्याय मिलता था, अब उसे आप हाई कोर्ट के नाम पर २३० मील दूर फैंकने की कोशिश मत कीजिये।

एक बड़ी अजीब चीज़ राव कमेटी ने इसमें लिखी है, दो तरह से कन्डेम किया है, एक तो गवर्नमेंट को कन्डेम किया है और दूसरे वकीलों को कन्डेम किया है, उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट बड़ी एब्नोर्मल फीस चार्ज करती है और वकीलों के लिये कहा है कि वे बड़ी एब्नोर्मल फीस क्लाइन्टस् से वसूल करते हैं, जो हाई कोर्ट के नियमों के खिलाफ

(श्री भोलानाथ)

है। तो इसके लिये आप और दूर क्यों फैंकना चाहते हैं। आज जयपुर में जो दो बैंचेज़ बनी हैं उनमें सन् १६४८ के केसेज़ पड़े हुए हैं उनके फैसले अभी तक नहीं हुए, १६५२ के फैसले अभी तक नहीं हुए हैं, दो की जगह ४ बैंचेज़ बैठती हैं पर वे इन मुकदमों का फैसला नहीं कर सकी हैं, इससे ज़ाहिर होता है कि कितने अधिक केसेज़ हैं। इस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि यहां ४ जज़ बैठते हैं और जोधपुर में ३ जज़ बैठते हैं, तो जहां ज्यादा मुकदमें हैं, ज्यादा जज़ हैं वहां बैंचेज़ को उठा कर आप सेंटीमेंटल बातों के आधार इस तरह के निर्णय करके जनता को आप तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं, यह न्यायसंगत नहीं है। कोर्ट फीस सरकार ज्यादा वसूल करती है, इस कारण सरकार से चिढ़ है, वकील ज्यादा फीस क्लाइन्ट्स से लेते हैं इस कारण वकीलों से चिढ़ है, तो आप उनको दंड दें, अगर आप यह चाहते हैं कि जोधपुर जाने से जनता आन्दोलन खड़ा करे कि कोर्ट फीस ज्यादा हैं, कम करो, तो यह क्या कोई तरीका है फैसला करने का वकीलों को सज़ा देना हैं, इसके लिये हाई कोर्ट जोधपुर में भेजा जाय, यह क्या कोई अच्छा तरीका है, गवर्नमेंट एब्नोर्मल कोर्ट फी लेती है, वकील ज्यादा फीस क्लाइन्टस से लेते हैं, हाई कोर्ट के नियमों के प्रतिकूल है तो इसमें हाई कोर्ट की ज़िम्मेदारी है या जनता को दण्ड देने की बात है।

एक और दयनीय बात है कि जज़ज पर मोरल कन्ट्रोल नहीं रहता चीफ जस्टिस का, क्या ज़ज लोग बच्चे हैं, जो उन पर मोनीटर की आवश्यकता है, आपने जजेज़ को एग्ज़ीक्युटिव से बरी रखा है, उसके बावजूद भी क्या उनके दिमाग बैलैंस्ड नहीं हैं, इनके साथ ही साथ इस तरह की मज़ाकिया सी बातें इसमें कही गई हैं यह मैं समझता हूं जनता की तकलीफों को नहीं समझते हैं इस प्रकार की गई हैं।

महाराजा साहब ने जो झालावाड़ से आये हैं उन्होंने कहा कि आज छोटी छोटी सी बातों के लिये जनता को हाई कोर्ट के पास जाना पड़ता है, पंचायतें ठीक तरह से कान्स्टीट्यूट हुई कि नहीं इसके लिये हाई कोर्ट में जाना पड़ता है, जनता इन नई व्यवस्थाओं से, नये कानून से न्याय चाहती है, उसको सस्ता न्याय देने के लिये आप क्या व्यवस्था करते हैं, आपने पंचायतों का कानून बनाया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का कानून बनाया, लैंड रेवेन्यू बोर्ड का कानून बनाया, आपके कानूनों की वजह से जनता अगर तकलीफ पाती है तो जनता हाई कोर्ट से नज़दीक से नज़दीक से सस्ता न्याय चाहती है, उस सुविधा को आप दूर हटाना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि यह जनता का राज्य है, पोपुलर राज्य है, इसके खिलाफ इस तरह से जनता में असंतोष बढ़े? हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर साहब ने ठीक ही कहा कि हमारे यहां पर जो व्यवस्था चल रही है, उसको चलने देना चाहिए और उनको नहीं छेड़ना चाहिए। इसके सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज केरल की सबसे बड़ी और पोपुलर गवर्नमेंट मानी जाती है मगर वे भी इस प्रकार की हिम्मत नहीं करते कि जो व्यवस्था चल रही है उसको छेड़ें। क्या वे लोग जनता के साथ न्याय नहीं करना चाहते। अवश्य जनता के साथ न्याय करना चाहते हैं। मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे यहां

(श्री भोलानाथ)

आज इन्डिया कांग्रेस कमेटी नागपुर से हाई कोर्ट हटाने की सोचे, तो वह नागपुर से उसे बम्बई गवर्नमेंट हटा कर देखे तो उसको मालूम होगा कि वह नागपुर से हाई कोर्ट नहीं हटा सकेगी और जब नागपुर से हाई कोर्ट नहीं हटाई जा सकती है, तो मैं भी यह दावे के साथ कह सकता हूं कि जयपुर से भी हाई कोर्ट नहीं हटेगी। आप ८० : ९० लाख जनता को न्याय देना नहीं चाहते यह तो ठीक नहीं है। मैं आपसे एक बात और निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि आपने इन्टीग्रेशन के समय जिस समय १९ रियासतों का एकीकरण हुआ था क्या कहा था? उनकी लिस्ट मेरे पास है और मैं उनमें से कुछ के नाम आपको पढ़ कर सुनाता हूं।

"अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, टोंक, बूंदी, झालावाड़, किशनगढ़ आदि आदि" इनके अलावा और भी कई छोटे छोटे युनिट हैं उनको आपने क्या कहा था, आपको उसे याद करना चाहिये। तो इस तरह से १२ युनिट ऐसे हैं, जो इससे फायदा उठावेंगे और इसके अलावा और भी हैं। आपको मालूम ही है कि आपने इन्टीग्रेशन के समय कुछ वायदे किये थे। जनता से आपने वायदे किये थे कि उसका स्टैन्डर्ड ऑफ लीविंग ऊंचा उठाया जायगा, उनको अभी जो ठीक तरह से न्याय नहीं मिल रहा है ठीक तरह से न्याय दिया जाएगा और सस्ता न्याय दिया जाएगा। मगर आज आप उन सब वायदों को भूल रहे हैं।

(घंटी)

राव कमेटी ने कह दिया। उसने कह दिया तो कह दिया मगर मैं आपको जोरदार शब्दों में कहना चाहता हूं कि जो सहूलियतें हमने जनता को पहले से दे रखी हैं उनको कभी भी किसी भी हालत में नहीं हटानी चाहिये; हां यह कहिये कि हम उन्हें और सहूलियतें भी देंगे। इसके अलावा मैं तो यह भी कहूँगा कि आप दूसरे डिपार्टमेंट जैसे रेवेन्यू बोर्ड और दूसरे विभाग भी किसी भी पुरानी रियासतों में मत भेजिये। जो कुछ करना हैं और कहना है आप अभी कर लीजिये और कह दीजिये आगे कोई आपको मौका नहीं मिलेगा। उनके लिये डेवलपमेंट के प्लान बनाइये। उनके लिए डिपार्टमेंट रखने से कोई डेवलपमेंट नहीं होने वाला है। यह मैं आपको कह देना चाहता हूं और उनको मजबूती के साथ यहां पर रखना चाहिये। मैं उम्मीद करता हूं कि यह मन्त्री महोदय इस पर अवश्य ध्यान देंगे और जो प्रोपोज़ल हमने पोपुलर दृष्टि से, हर बात पर विचार करके रखा है उसको मंजूर करेंगे और जो सहूलियतें अभी मौजूद हैं उन्हें ठुकरायेंगे नहीं। बस मुझे इतना ही कहना है।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : श्री नरोत्तमलाल जोशी।

श्री नरोत्तमलाल जोशी (झूंझनू) : उपाध्यक्ष महोदय, राव कमेटी के द्वारा प्रस्तुत इस राजधानी जांच समिति पर माननीय सदस्यों ने, विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार प्रकट किये हैं। कई माननीय सदस्यों ने अपनी भावनाएं रखी और उन भावनाओं से प्रेरित होकर कई तरह की असंगत बातें भी कह डाली। मैं उन सारी बातों पर नहीं जाना चाहूंगा। इस

(श्री नरोत्तमलाल जोशी)

समय मुख्यतः दो मुद्दे हमारे सामने हैं एक तो राजधानी का और दूसरा हाई कोर्ट की मुख्य सीट का प्रश्न है। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता महोदय ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया है कि हमको सारी बातें जनसाधारण की दृष्टिकोण से देखनी होगी। उसमें हमको ठीक तरह से इस बात को देखना होगा कि इस डेमोक्रेसी के युग में जहां हम सार्वजनिक संस्थाओं और स्वायत्त शासन संस्थाओं का विकास कर रहे हैं, सत्ता का विकेन्द्रीयकरण हो रहा है। पंचायतों और म्युनिसिपल बोर्ड की ओर और दूसरी संस्थाओं को जिनको कि हम प्रशासन में और अधिकार दे रहे हैं और जुडिशियल अधिकार दे रहे हैं वह इसीलिये कि जनता को किस प्रकार से सस्ता और अच्छा न्याय जल्दी मिल सके। अच्छे न्याय के बारे में कहना है, वह यह है कि जो लोग सूदूरपूर्व के कोने में रहने वाले हैं, दूर-दूर स्थानों में रहने वाले हैं, यदि उन लोगों को बहुत दूर दूर से हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा तो क्या उनको ठीक तरह से न्याय मिल सकेगा। इसके अलावा इस प्रकार की बातें कही गई कि प्रायः उच्च न्यायालयों में ऐसे ही व्यक्ति जाते हैं जो धनवान होते हैं। माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके जरिये सदन को यह बताना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात नहीं है। हमारी म्युनिसिपेलिटीज़ और पंचायतें और शासन तंत्र में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं कि किसी दृष्टिकोण को ध्यान में रख कर इस प्रकार की आज्ञाएं दे दी जाती है, जिसका संशोधन कराना होता है। न्याय शक्ति का सोधन है और शक्ति का सोधन करने के लिये हमको सस्ता न्याय मिलना चाहिये। इसी तरह से हम हाईकोर्ट के प्रश्न को लें और देखें। यदि हम चाहते हैं कि हाईकोर्ट की बेंच यहां से हटाई जाए, तो हमें देखना होगा कि जयपुर से बेंच हटाने की बात कहां तक उचित है और न्याय की तराजू से तौलने पर कहां तक ठीक होती है। यदि उसे न्याय की तराजू से तोला जाए तो यह ठीक नहीं होता। मैं कहूंगा कि जयपुर से बेंच हटाने के पक्ष में ६ मुद्दे बताये गये हैं। ये अलग अलग कहे हैं। उनको यदि ठीक तरीके से देखें तो हमारे सामने ये व्यक्तिगत दृष्टिकोण से पूरे नहीं उतरते। ६ बातों में से सारी की सारी बातें जिस तरह से कही गई हैं कि चीफ जस्टिस का प्रोपर कन्ट्रोल नहीं होगा और इस वजह से ठीक तरह से लोगों को न्याय नहीं मिलता। इसके अलावा और भी बहुत सी बातों के लिये कहा गया है कि हाईकोर्ट का एफिसियेन्ट वर्किंग नहीं होगा और इसी दृष्टिकोण से यह एकीकरण रखा गया है। मैं समझता हूँ कि यह न्यायमूर्ति के फैसलों के पढ़ने का सवाल है। यदि कोई निर्णय होता है जोधपुर में और दो तीन दिन में जयपुर में आ जाता है और उसको दो तीन दिन में नहीं पढ़ा जाता। और उसकी वजह से इनएफिशियेन्सी या फैसलों में इत्तफाक रहती है तो यह कोई वाजिब बात नहीं है; कि हमारी हाईकोर्ट में ठीक तरह से हमारे सर्वोच्च न्यायालयों के जजमेंट नहीं पढ़े जावें और इसी वजह से बहुत केसेज मैं रूलिंग्ज़ ओवर रूल होती हैं, तो यह कहना कोई युक्ति नहीं है कि जिसके बेसिस पर इस प्रकार की बात कही जावे। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हाईकोर्ट को यहां से हटाया जाता है तो टोंक, सीकर, झुंझुनूं, करौली, भरतपुर, धौलपुर अलवर कोटा आदि के जो लोग रहने वाले हैं और दूसरे भी उसी प्रकार के सुदूर

(श्री नरोत्तमलाल जोशी)

कोने में रहने वालों के लिये बड़ी तकलीफ होगी और उनके हित के लिये यह सार्वजनिक हित की बात होगी कि जयपुर में बैंच रखी जावे। यदि यह मान लिया जावे कि उच्च-न्यायालय की सीट एक जगह रहनी चाहिये तो उसके लिये विचार करना होगा और लोगों की निश्चित राय है कि यह जयपुर में होना चाहिये। जयपुर में सीट रहने से लोगों को ज्यादा सुविधा होगी बनिस्बत उसके कि किसी दूसरी जगह इसकी सीट रखी जावे या जोधपुर में ले जाई जावे। बहुत से लोगों को असुविधा हो सकती है।

बहुत से लोगों ने बातें ऐसी कह डाली हैं जो उनको यहां पर नहीं कहनी चाहिये थी और यहां तक कहा गया कि हमको यदि इस सम्बन्ध से जेल जाने की भी आवश्यकता पड़े तो हम जेल भी जावेंगे। इस प्रकार की बातें उनको नहीं कहनी चाहिये। इसके लिये कारण है। जिन लोगों को लक्ष करके ये बातें कही है वे ऐसे हैं जो सदन के सदस्य नहीं हैं। लेकिन मैं यह स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि जो बातें यहां पर कही गई वे भाषण की स्वतन्त्रता पर कही गई हैं। यह भी कहा गया कि उसके बारे में कोई भी कांग्रेसी सदस्य नहीं बोलेगा। मगर मैं यह कहूंगा कि जिस प्रकार से उस भाषण को तोड़ मरोड़ कर यहां पर रखा है मैं कहता हूं कि इस प्रकार से करना किसी भी प्रकार से शोभा नहीं देता।

एक बात मैं यह कहूंगा कि अजमेर के लिये बहुत सी बातें कही गई और अजमेर से बोलने वाले सदस्य ने कल काफी कहा और आज भी बोले हैं। जिन्होंने रिपोर्ट को पढ़ा है उसके बारे में....

एक माननीय सदस्य : आज नहीं बोले।

श्री नरोत्तमलाल जोशी : नहीं बोले तो आज अब बोल लेंगे।

अजमेर का केस है वह लोस्ट केस है। मैं यह साफ कहना चाहता हूं कि राजधानी के लिये सभी जगहों के व्यक्तियों ने मिल कर जोर लगाया मगर जयपुर में जो सुविधा है, उसको लेकर सारे के सारे लोगों ने अपने दावों को उठा लिया और जयपुर को राजस्थान की राजधानी मान लिया। अब भी वे अगर इस बात के लिए कहना चाहते हैं, ऊंची आवाज से कहना चाहते हैं कि जयपुर के पक्ष में बहुमत नहीं आने वाला है, मैं समझता हूं, इस प्रकार की चुनौतियां न देते तो अच्छा होता। ये तो एक प्रकार से भावनाओं को उभाड़ने की बातें हुई हैं।

एक माननीय सदस्य : चुनौती की बात नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है यहां पर।

श्री नरोत्तमलाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि इस प्रश्न को ठीक तरह से और शान्ति के साथ देखा जाय तो इसका सुलटारा हो सकता है। वह यह हो सकता है कि जयपुर से बैंच हटाने का सवाल नहीं है। जब अजमेर को राजस्थान में इन्टीग्रेट करने का सवाल आया और जो वातावरण होने वाला था, उसको शान्त करने के लिये एक कमेटी का

(श्री नरोत्तमलाल जोशी)

निर्माण किया गया: उस समय बेंच को हटाने का कोई सवाल नहीं था । एक माननीय सदस्य ने यह कह दिया कि जिस कॉन्स्टिट्युएन्सी से भी वे आये हों. उन माननीय सदस्य को यह भ्रम रहा कि वहां डिस्ट्रिक्ट का. हैडक्वार्टर कर दिया जाय या बेंच रख दी जाय, हाईकोर्ट इस भुलावे में आ गई तो उसको निरस्त कर देना चाहिए ।

मैं आपका अधिक समय न लेकर यह स्पष्ट निवेदन कर देना चाहूंगा कि जन साधारण की सुविधा यह है कि जयपुर में हाईकोर्ट का बेंच रखा जाय । इस बात को लेकर बार बार कहा गया कि वकीलों के इन्ट्रेस्ट के लिए है । बार बार वकीलों के स्वार्थ की दुहाई दी जाती हैं । मैं निवेदन करूंगा कि इसमें वकीलों का स्वार्थ नहीं है । जहां भी वे जावेंगे वहां मुकदमों के लिए जनता आवेगी उनके पास । जो लोग प्रशासन से दुखी होकर न्याय की आशा रखते हैं, जो शक्ति शोधन के लिए हाईकोर्ट में जाना चाहते हैं उन नागरिकों के लिए यह आवश्यक है कि उनको सुविधाजनक स्थान मिले और इसलिए भी यह आवश्यक है कि जयपुर में बैंच रख दी जाय । इसमें किसी के वेस्टेड इन्ट्रेस्ट का सवाल नहीं है किन्तु जन साधारण का सवाल है और यह आवश्यक है कि यहां पर बैंच रखी जाय और हाईकोर्ट का सवाल हो, तो जयपुर के साथ न्याय का सवाल रहे ।

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष···

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble Member from Nasirabad.

श्री ज्वाला प्रसाद (नसीराबाद) उपाध्यक्ष महोदय, कल से जो बहस चल रही हैं । उसमें भावुकता को काफी जगह दी गई है । मैं आज आप सदस्यों से अपील करूंगा कि मैं तर्क सम्मत कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं और आप से कहूँगा, जनता के हित का क्वेश्चन हर एक का हो सकता है लेकिन उसके पीछे और बातें कही जाती. हैं, उसके पीछे जनता के कुछ थोड़े से लोगों का हित है, कितना हित है उसके पीछे तर्क अवश्य होना चाहिये । इसके पहलू में कई बातें कही गई । मैं इसका क्रिटिसिज्म आपको बताना चाहता हूं और यह बतलाना चाहता हूं कि किस तरह से यह राव कमेटी बैठी और किस तरह से यह से यह रिपोर्ट प्राप्त हुई । इसके लिए जैसे नेता महोदय ने कहा और रिफरेन्स की बात श्री भोलानाथजी ने उठायी, रेफरेन्स केवल इतना है, जो कि मैं पढ़ कर सुनाता हूँ जिस पर सिग्नेचर है :

"It was unanimously agreed that the question regarding the locoation of Capital of the reorganised State of Rajasthan and of its High Court with other Benches, if any, shall be referred to an expert Committee to be appointed by the Govt. of India which will submit its report by the end of june, 1957.

उपाध्यक्ष महोदय, यह रेफरेन्स था जो कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर और अजमेर के चीफ मिनिस्टर के बीच हुआ । मैं उसे मानता हूं कि रीआॅर्गेनाइज्ड स्टेट बहुत इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट है ।

लेकिन यह चीज़ उठी क्यों? आप जानते

(श्री ज्वालाप्रसाद)

हैं कि एक पटेल कमेटी बैठ चुकी थी जब कि २२ रियासतों को एक किया गया था। लेकिन उसके बाद यह रिओर्गेनाइज्ड स्टेट है, कुछ चीजें जिसके लिए . . . इसके सवाल पर, एग्रीमेन्ट पर दो व्यक्तियों के दस्तखत हुए।

(अंतराय)

जब एग्रीमेन्ट हुआ इस बात के लिए कि रेफर किया जाय यह मसला किसी एक्सपर्ट कमेटी को और फिर होम मिनिस्ट्री अपने हाथ में ले। मैं इसके पहले यह बताऊं यह तर्क की बात है, जोर इसलिए देता हूं क्योंकि हम डिसिजन लेने वाले नहीं, यह तो होम मिनिस्ट्री के पास जाने वाला है, हमारे विचारों में, उत्तेजना में न आकर इस बात को रखें कि जिससे होम मिनिस्ट्री इस मसले पर सही नतीजे पर पहुँच सके जो राजस्थान के हित में हो। इसलिए मैं पहले कहना चाहता हूं, इस रिपोर्ट में भी एडमिट किया है कुछ चीजों को और उसमें से पहली बात यह है कि आज १५० साल के करीब सेन्ट्रल गवर्नमेंट, जिसकी विरासत आज लेकर वयोवृद्ध नेता पंतजी दिल्ली में बैठे है, उनकी विरासत में अजमेर राजस्थान के बीच सेन्ट्रल एडमिनिस्टर्ड एरोया रहा और उस वक्त देश-भक्ति की बात थी, रिपोर्ट में भी आया है, जब राजस्थान बन रहा था उस वक्त की स्थिति देखी जाय, एक नक्शा खींचा गया। उधर जिन्ना। जूनागढ़ वालों से साठ-गांठ कर रहा था, बातें चल रही थीं। इधर पटेल साहब जल्दी में थे, जल्दी में पटेल साहब ने तय किया, अजमेर को अलग रखा राजस्थान से उस समय। उन्होंने एक बात कही जो बड़ी मार्के की थी; कुर्बानी अजमेर को देश के खातिर करनी होगी, देश की जिम्मेदारी उन पर है वरना दुनिया की कोई ताकत नहीं थी। अजमेर का बच्चा बच्चा अजमेर को केपिटल बनाना चाहता है। यह कहना चाहता हूं कि भरतपुर से आने वाले चौधरी साहब, चौबे साहब ने....

(हंसी एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : If you are not definite about the name of Hon'ble Member please be definite and then speak.

श्री ज्वालाप्रसाद : Yes, sir, I have taken a note of it for future.

नेता महोदय ने जब रिओर्गेनाइजेशन रिपोर्ट डिस्कशन में थी इस तरह की बात कही थी और मैं यह कहना चाहता हूं कि उस वक्त सरदार पटेल ने ईश्वर का नाम लेकर कहा अजमेर वाले अलग रहें, क्योंकि यह सारे हिन्दुस्तान का मसला है, यह इस तरह का मसला है जिसमें हिन्दुस्तान की आजादी का सवाल है, अजमेर ने कमाल की कुर्बानियां दीं, वह राजस्थान से उस वक्त अलग रहा, उसको राजस्थान में नहीं मिलने दिया गया। तर्क और लगाया, साधारणतया आपको मालूम नहीं है कि इसमें क्या गूढ़ चाल थी। वह था कि देखा जाय कि ये २२ राजे महाराजे क्या कर रहे हैं, जरा मिल कर चलते हैं या नहीं, इसलिए अजमेर को अलग रखा अजमेर को कुर्बानी देनी पड़ी, उसने देश के हित के लिए कुर्बानी की। जब पंत साहब ने बुलाया, पंडतजी भी वहां मौजूद थे, उनके सामने बातचीत हुई और बताया कि अजमेर की तरफ से यह सवाल उठाना चाहते हैं कि सन् ४९ में अजमेर को राजस्थान में मिलने से रोकने की कोशिश

(श्री ज्वालाप्रसाद)

की गई, सेन्ट्रल गवर्नमेंट द्वारा की गई और जिसकी जिम्मेदारी सेन्ट्रल गवर्नमेंट की है।

इसलिए इस बात को महसूस करके सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने इस कमेटी को बनाया है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यदि इस रिपोर्ट के बारे में यदि मैं एक लब्ज में कहूं तो कह सकता हूं यह रिपोर्ट पटेल कमेटी की कारबन कोपी है ।

तर्क और दलील के आधार हम देखें और इसे समझने की कोशिश करें, इसलिए मैं कुछ हिस्से इस रिपोर्ट के आपके सामने पढ़ कर सुनाऊंगा जहां पर अजमेर और जयपुर के मिलाने का सवाल आया वहां पहले कहा जाता है :

"It was in the heart of the territory of native states and was intended largely to serve as a watch tower, and to keep the Native rulers under control."

ये चीजें कह कर इसको शुरू किया जाता है। उसके बाद मेरा भी नाम लिखा है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मेरा आर्ग्युमेंट पक्ष में रहा है, मेरी राय का वकील की हैसियत से उपयोग किया गया और मेरे खिलाफ ही । लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत पन्त साहब को कहना चाहता हूं कि इसमें मेरी एवीडेन्स जो हुई उस एवीडेन्स को देखा जाय, जिसमें मैंने फैक्ट्स एण्ड फीगर्स सहित बातें रखी थीं। एक तर्क सम्मत बात मैंने अपने एवीडेन्स में रखी थी, इसलिए मैं केन्द्रीय सरकार से आपकी मार्फत यह निवेदन कर देना चाहता हूँ वे इस पर निर्णय लेने से पहले मेरी एवीडेन्स को देखें राजस्थान के लोगों की एवीडेन्सेज को देखेंगे राजस्थान के लोग चाहते क्या हैं। फिर आगे कहा गया है :

"The question of locating the capital and/or the High Court at Ajmer was naturally not reffered to the Patel Committee but it assumed rightly that some day or othet Ajmer should merge with Rajasthan and the question might then crop up for consideration."

इसमें 'इट इज़ एज्यूम्ड' रास्ते चलते ही आ पड़ा। इसके लिए पटेल कमेटी ने कुछ लिखा उनकी कमेन्टस यह है, जो उन्होंने कोट किया है। मैंने भी उनके सामने बातें रखीं। पटेल कमेटी की रिपोर्ट पढ़ते ही वे प्रीजुडिस्ड हो जाते हैं। यही हाल केपीटल वाले इस्यू को लेकर जयपुर और अजमेर के बीच में हुआ गलत ढंग से प्रीजुडिस करने की कोशिश की गई है उन्होंने कहा है :

"Before us it was represented by some of the witnesses that the enquiry by the Committee was not full and that important persons such as Members of the Congress were not consulted. (see the evidence of Shri Jwala Prassad, Chairman, Municipal Committee, Ajmer."

जब उनको कहा गया, यह रिमार्क कब लिखा है :

यहां तो यह माना it is not necessary to express. इसी चेप्टर के आगे जयपुर को केपीटल बनाते हैं वहां पटेल कमेटी की रिपोर्ट को ज्यों का त्यों कोट कर देते हैं . . .

"Our conclusion is also supported

Page No.73

(श्री ज्वालाप्रसाद)

by the view taken by the Patel Committee in 1949. Their decision was influenced by the following circumstances which were in favour of Jaipur for the location of Capital there:--

(1) Jaipur is the oldest planned city in the country with wide roads and fine houses and has also under ground drainage system existing in some parts of the city.

(2) From the point of View of Climate Jaipur in summer is better than Jodhpur, although there is not much to choose between the two."

अजमेर का नाम लिखा। यह तो मैंने बताया यहां पटेल कमेटी के फेक्ट्स को सेप्रेस किया गया। उन्होंने एक हिस्टोरियन के नाम से इस बात के लिए सात क्राइटेरिया नियत किये हैं उनकी स्थिति क्या है, वह भी देख लीजिये।

(१) एडमिनिस्ट्रेटिव कनवीनियेन्स।

(२) बिल्डिंग्ज़।

(३) स्कोप फॉर एक्सपेन्शन ऑफ दी सिटी।

(४) क्लाइमेट कन्डीशन ऑफ दी प्लेस।

(५) वाटर सप्लाई।

(६) एज्युकेशनल और मैडिकल फैसीलिटीज़।

(७) हिस्टोरिकल एण्ड पोलिटिकल इम्पोर्टेन्स।

जब इस शहर को कन्सीडर किया जाता है वहां पांच और चार नम्बर के क्राइटेरिया को यहां लागू नहीं करते। वहां ये सात क्राइटेरिया लागू नहीं करते वहां अपने ढंग के ही क्राइटेरिया बना लेते हैं उनके हैडिंग्ज को देखिये।

हिस्टोरिकल, मेडिकल फेसीलिटीज, एज्युकेशनल फेसीलिटीज, वाटर सप्लाई ड्रेनेज़, इलेक्ट्रिसिटी, बिल्डिंग्ज। आप देखिये जो ये सात हैडिंग्ज दिये गये हैं। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि एक बिल्डिंग्ज के सवाल को छोड़ कर बाकी ऐसी कौन सी बातें थी जिसमें अजमेर को उपयुक्त नहीं समझा गया। केवल बिल्डिंग्ज की बात को लेकर इस मामले को इस प्रकार से रख दिया, यह अजमेर के साथ न्याय नहीं किया। आप इस कमेटी की बातों को गौर से पढ़े चार लाख का शहर जयपुर को लिखा गया और अजमेर को २ लाख १६ हज़ार की आबादी का शहर माना है। अजमेर में पर केपीटा वाटर सप्लाई लिया है उसमें ११ गैलन मिलता है वहां जयपुर में इससे कुछ पोइन्ट ज्यादा पानी मिलता है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

अब मैं इस मसले को यहीं छोड़कर सीधा हाई कोर्ट पर शिफ्ट होता हूं। मुझे इस विषय पर अधिक कुछ कहना नहीं है। मेरी तो यह निवेदन है कि जब एक तरफ केपीटल के सवाल को हल मान लिया जाता है, तो फिर दूसरे इस्यूज़ जो हैं उन्हें मानने से इन्कार क्यों किया जाता है, यह यहां तक न्याय संगत है। सोचने की बात यह है कि कमेटी एक चीज़ पर कुछ विचार प्रगट करें जैसे कि मेरे पूर्व एक वक्ता बोल रहे थे, जो

(श्री ज्वालाप्रसाद)

अपने आपको ६० हज़ार के ठेकेदार मान रहे थे, उन्होंने ऐसा कहा कि यहां बड़ा भारी तूफान होने वाला है। मेरा उनसे निवेदन है आज यह समय ऐसा है जहां हमें इस प्रकार की प्रवृत्ति को रोकना चाहिये और रोकना पड़ेगा। जयपुर की स्थिति का दिग्दर्शन कराते हुए उन्होंने तर्क सम्मत और कानून सम्मत सभी बातों को रखा है। उनकी इसके बारे में कुछ ओपीनियन है, इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि अगर हाईकोर्ट जोधपुर चला जाता है, तो इधर के लोगों को न्याय पाने के लिये बहुत दूर जाना पड़ेगा, तो मेरा उनसे निवेदन है कि डूंगरपुर भीलवाड़ा के जो लोग है उनको भी ८० मील आना पड़ेगा तो फिर अजमेर को ही केपीटल क्यों नहीं बना दी जाती। जिस समय हाई कोर्ट के प्रश्न को लिया गया अजमेर के संबन्ध में विचार नहीं किया गया जो रिपोर्ट के अन्दर बातें लिखी हैं····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रेवेन्यु बोर्ड तो जा रहा है।

श्री ज्वाला प्रसाद (जारी) : अजमेर वालों को कोई चिन्ता नहीं अगर रेवेन्यू बोर्ड भी नहीं जाता है तो वे चिन्ता करने वाले नहीं हैं। चिन्ता तो केवल इस बात की है कि जो प्रवृत्ति आजकल चल पड़ी है उस प्रवृत्ति को हमें रोकना पड़ेगा। जो यह कहते है कि बेंच के हटने से गड़बड़ी होगी, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा राजस्थान के अन्दर आगे ऐसे दिन भी आयेंगे जो न्याय की बात चलेगी। उपाध्यक्ष महोदय, यहां तो पहले ही संघर्ष कमेटी बना ली जाती है किसी भी मामले के तय होने से पहले ही ऐसा जब होता है तो उसका रिएक्शन दूसरी जगह भी होता है केपीटल का। इस्यू बिल्डिंगस् की कमी को बहाना लेकर अजमेर को वंचित रख दिया जाता है। जहा आप यदि इसी मेरिट्स को मान लेते हैं तो आप अजमेर को राजधानी डिक्लेअर कर दीजिये आज नहीं तो पचास साल बाद भी बने कोई फिक्र नहीं लेकिन डिक्लेअर तो कर दीजिये अजमेर ही केपीटल रहेगी......

(घंटी घंटी)

श्री ज्वालाप्रसाद : दो मिनिट में खत्म कर दूंगा ...

श्री उपाध्यक्ष : I won't allow two minutes. (अनेक माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के लिये खड़े होने पर)।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजधानी जांच समिति के प्रतिवेदन पर कल से वाद-विवाद चल रहा है। सदन के अनेकों माननीय सदस्यों ने अपने विचार उसमें प्रकट किये हैं। मैं समझता हूं कि जैसे कल यहां पर हमने आपत्ति की थी कि यह जो कन्ट्रोवर्सी सदन के बाहर दिखाई देती है, राजस्थान के हर हिस्से में दिखाई देती है उस सारी कन्ट्रोवर्सी को हम और अधिक न बढ़ावें तो ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा तो यह होता कि सदन के माननीय नेता सदन के सभी माननीय सदस्यों का विश्वास प्राप्त करके उनसे सलाह मशविरा करके एक इस प्रकार का कोई हल विशेष रूप से जो झगड़े की बातें हैं, उनका हल सदन के सामने कोई

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

विशेष डेफीनेट रेजोल्यूशन के रूप में लाते और उसको हम पास करके राष्ट्रपति महोदय के पास भेजते तो शायद हमारी आवाज में ज्यादा बल होता, उसकी ज्यादा कीमत होती।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केरल के बारे में भी कहा गया। वहां पर भी हाई कोर्ट की बैन्च को लेकर झगड़ा खड़ा हुआ और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां के माननीय मुख्य मंत्री ने इस बारे में एक रेजोल्यूशन मूव किया और उसे सदन के सभी माननीय सदस्यों ने एक स्वर से और हिम्मत से उसे स्वीकार किया कि केरल में दो बैंचें रहनी चाहिये। ऐसी स्थिति में मैं नहीं समझता कि राजस्थान की परिस्थितियां किस तरह से भिन्न हैं जहां तक हाई कोर्ट का प्रश्न है। मसला बड़ा अजीब है। यह बात बड़ी गम्भीर है। आज हम बातें तो कहते हैं कि राजस्थान एक हो गया। नौ साल पहले राजस्थान की २४ रियासतों को एक बना कर एक ऐतिहासिक घटना घटाई। पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान कैपिटल एन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद राजस्थान के भिन्न भिन्न भागों में जो घटनाएं घटी हैं, उससे ऐसा लगता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से भले ही राजस्थान एक हो गया, शरीर के रूप से भले ही वह एक कहलाने लग गया, पर मानसिक दृष्टि से वह एक नहीं हुआ। अगर राजस्थान एक नहीं हुआ तो हाई कोर्ट चाहे जयपुर में रहे चाहे जोधपुर में रहे हमें इससे कोई फायदा नहीं, जोधपुर के लोग आन्दोलन करके, जयपुर के लोग इसके लिये आन्दोलन करके किसी का हित नहीं कर रहे हैं। राजस्थान का हित सर्वोपरि रहेगा। हम राजस्थान के हित की दृष्टि से सोचें। इन आन्दोलनों को इन झगड़ों को दफ्तरों के कार्यालयों के बैन्चों के और कैपिटल के लिये न बढ़ावें। मुझे लगता है कि आज हम कैपिटल के बारे में जब बात करते हैं, तो एक पोलिटिकल कैपिटल बनाने जा रहे हैं। जयपुर में संघर्ष होता है, जोधपुर में संघर्ष की तैयारियां होती हैं, अजमेर में संघर्ष की तैयारियां चलती हैं और दूसरी तरफ हम बात करते हैं राजस्थान की एकता को एक सूत्र में बांधने की। यदि यह संघर्ष चलता रहा, जैसा कि कल जैसा कि माननीय जन संघ के मन्त्री ने कहा कि नाक नहीं कटने देंगे, गर्दन भले ही कटा देंगे, तो गर्दन कटाने की बात करते हैं, नाक रखने के लिये, नाक नहीं कटनी चाहिये, तो मैं समझता हूं यह हमारे दुर्भाग्य की बात है। आज कोई चाहे जोधपुर का हो, जयपुर का हो, चाहे अजमेर का हो, किसी भी राजस्थान के भाग का हो पर इन विभागों, इन कार्यालयों और इन बैन्चों के लिये अपने छोटे मोटे झगड़ों के लिये, यदि नाक और गर्दन कटाने लग जावेंगे तो उन बाह्य शत्रुओं को चुनौती देने वाले, उसकी बात करने वाले, पाकिस्तान के आक्रमण के खिलाफ मोर्चा लेकर गर्दन कटाने वाले कहां चले जावेंगे, उनकी नाक वहां कहां बच जावेगी, यह मैं नहीं समझ पाया, उनको अपनी गर्दनें वहां कटानी चाहिये थीं। अपनी गर्दनें कटाने की और नाक बचाने की बात वहां करनी चाहिये थी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान केपिटल इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आती है। इसी सन्दर्भ में हम देखते हैं स्टेट रिआ-

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

गैनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट भी आती है और और कमेटियों की रिपोर्ट आती हैं और उनका परिणाम हमने देखा हिन्दुस्तान भर में क्या हुआ। महाराष्ट्र और गुजरात में आग धधक उठी, आसाम, बंगाल और बिहार में आग के शोले भड़क उठे और इस तरह सारे देश में हाहाकार मच गया और आज इस रिपोर्ट के आने के बाद हम देखते हैं कि जिस राजस्थान को ६ साल पहले हमने सभी रियासतों को मिलाकर एक किया था, एक ऐतिहासिक घटना घटाई थी आज उसी का बटवारा करने बैठ गये हैं, कोई कहता है, हमें यह मिलना चाहिये, दूसरा कहता है हमें यह मिलना चाहिये। आज वे आन्दोलन की बात करते हैं, प्रान्त के बटवारे की करते बात हैं। यह है इन कमेटियों की रिपोर्टों का परिणाम।

यह सब कुछ देखकर मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूँगा कि जिस प्रकार की स्थिति सारे देश में हुई वह स्थिति हमारे यहां हो जावेगी, अगर सावधानी से इसको नहीं सम्भाला गया। आज दलीलें देते हैं कि हमें यह मिलना चाहिये, वह मिलना चाहिये, अगर यह नहीं मिला तो हम उत्तर प्रदेश में मिल जावेंगे, हाईकोर्ट जोधपुर में नहीं हुआ तो हम आन्दोलन करेंगे और राजस्थान के दो भाग किये जाने की मांग करेंगे। ऐसी आवाजें आज सुनाई देने लगी हैं, तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक छोटी सी घटना याद आती है।

एक कोई व्यक्ति था। उसको कोई नौकरी नहीं मिली। तलाश में था। इतने में एक इन्टरव्यू का कार्ड आया। उसने अपने घर पर माताजी से कहा मेरे पास नौकरी के इन्टरव्यू के लिये कार्ड आया है आज शाम की गाड़ी से नौकरी के इन्टरव्यू के लिये जाने वाला हूं। इसलिये वह जल्दी से बाज़ार गया और चूंकि वह गरीब था, नौकरी लगी थी नहीं, बेकार और बेरोजगार था, उसने कुछ कपड़ा खरीदा और अपने लिए पजामा और कुरता सिलवाया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह सिलवा कर उन्हें घर लाया और उन्हें वहां पहनकर देखा तो पजामा उसे कुछ बड़ा मालूम पड़ा। उसने अपनी माताजी से जाकर कहा कि शाम की गाड़ी से फलां जगह जाने वाला हूं, पी० एस० सी० का इन्टरव्यू होगा। कपड़े सिलवाये हैं जाने के लिये पर उनमें पजामा एक ६ इन्च बड़ा बन गया है सो जाने से पहले पहले तीन बजे तक उसे छः इन्च काटकर तैयार कर दो। मां ने कहा मैं तो काम में व्यस्त हूं, तू यह काम बहन को बता दे। उसने बहन से भी यही बात कही। बहन ने कहा मैं भी काम में लगी हूँ। काम खतम करके कर दूंगी और अगर जल्दी है तुम्हें तो जाकर भाभी को बता दो वह कर देगी। वे श्रीमान्जी भाभी के पास गये और कहा श्रीमतीजी से कि यह मेरा पजामा बड़ा हो गया है। शाम की गाड़ी से मुझे जाना है। दिन अच्छे आवेंगे और नौकरी लग जावेगी तो तुम्हारे लिये चूंदड़ी लाऊंगा, यह पजामा थोड़ा बड़ा हो गया है इसको छः इन्च काट कर तैयार कर दो। उसने कहा अभी तो काम में लगी हूं, फुरसत नहीं है, खूंटी पर रख जाओ, बाद में कर दूंगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वे सज्जन तो चले गये बाज़ार में अपना पजामा खूंटी पर रख कर। इधर माताजी ने काम अपना खतम किया और फिर याद आया रामू कह रहा था कि वह आज शाम की गाड़ी से बाहर जाने वाला है उसका पजामा

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बड़ा हो गया है, उसको छोटा करना है तो चलो उसी को ठीक कर दूँ। वह पांच बजे की गाड़ी से जायगा उससे पहले पहले हो जावेगा। खूंटी से उसने पजामा उतारा और ६ इन्च काटा, ठीक किया, मशीन पर फिर से सीकर उसने उसे वापिस खूंटी पर टांग दिया। कुछ देर बाद बहन को याद आई भय्या कह रहा था शाम की गाड़ी से उसे जाना है, पजामा उसका छः इन्च छोटा करना है, कुछ काम बता गया था उसे छोटा करने का। वह भी आई। उसने खूंटी से पजामा उतरा और उसे काट कर वापिस सीकर टांग दिया। भारत की परम्परा के अनुसार तीन बजे के बाद घर की नारी काम से निवृत हो जाती है। तीन बजने पर उसकी पत्नी को याद आया कि वो मुझे काम बता गये थे। पजामा छोटा करने के लिए कह गये थे तो चलो उसको भी निपटा दूं। उसने भी छः इन्च काट कर और सीकर वापिस खूंटी पर टांग दिया।

अब श्रीमान्‌जी शाम को आये तो क्या देखते हैं कि पायजामे की जगह एक घुटन्ना रह गया है। यह तो एक किस्सा है। समझने की बात है। इसी तरह से आज यह काट छूट इस राजस्थान के जन–जीवन में भी प्रारम्भ करदी गई तो वह दिन दूर नहीं कि जब यह राजस्थान का स्वरूप, यह राजस्थान की एकता पायजामें की तरह एक घुटने के रूप में बन कर रह जावेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो सुरसुराहट सुनाई देती है उससे तो ऐसा लगता है कि शायद लोग यह मांग न करने लग जावें कि जयपुर के नीचे का इलाका एक स्टेट बना दी जावे और जोधपुर का उधर का हिस्सा एक स्टेट बना दी जावे और तीसरी एक स्टेट अजमेर की और निर्माण कर दी जावे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस स्टेटस में यह भी हो सकता है कि अजमेर के केपिटल कासवाल खतम हो और अजमेर केपिटल न बने, नसीराबाद बन जावे।

(हंसी)

पर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सवाल यह खड़ा होता है मूलभूत और मौलिक सवाल कि क्या इन सारी परिथतियों को हम चलने देना चाहते हैं? मैं निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, ये झगड़े जो खड़े हुए मूलभूत रूप से गलत थे। आज विकास के कार्य हमारे सामने हैं। ऐसी स्थिति में इस तरह के काम हमें नहीं करने हैं, जिनसे ऐसी परिस्थितियां पैदा हों। इस प्रकार की कमेटियों का निर्माण करना, उनकी रिपोर्टें लेना, और रोज इस प्रकार के झगड़े खड़े करना और उन रिपोर्टों पर इस तरह से रोज विचार करना और फिर उन रिपोर्टों को लटका देना यह कतई उचित नहीं है। लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई, उसे स्वीकार नहीं किया गया, खर्चे में डाल दिया, क्या हुआ इन रिपोर्टों का। इसलिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन कमेटियों के बारे में और इनकी रिपोर्टों के बारे में मुझे अधिक विश्वास नहीं है। इनसे कुछ होना जाना नहीं है, सिवाय इसके कि हम में झगड़े खड़े हों, व्यर्थ में हमारा ध्यान विकास कार्यों से हटे। इसलिये मैं तो कई बार कहता हूं कि यह कमेटी क्या है। एक तरह का कमोड है। There is a commode, there is a sitting and then the report drops down. यही फेट इन सब कमेटियों की रिपोर्टों का होने वाला है। तो इस तरह से इन बातों

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

को लेकर रोज नये नये झगड़े खड़े करना किसी प्रकार से भी उचित नहीं है और मुझे तो ऐसा लगता है कि कल भी आरोप लगाये, आज भी कुछ कहा गया । तो उपाध्यक्ष महोदय, कमेटियां बनती हैं, रिपोर्टें सामने आती हैं । केन्द्रीय गृहमन्त्री से कुछ लोग जाकर बातें करते हैं, दो चार लोग चले जाते हैं, कहते हैं फलां मामले पर एन्क्वायरी कमेटी बिठाइये । राजस्थान में तूफान खड़ा हो रहा है, कभी राजधानी का मेटर उठा रहे हैं तो कभी हाई कोर्ट का, कभी इसकी बैन्चों का एक बार सारे झगड़े हल कर लेते हैं । पर फिर उनकी तरफ अटेन्शन डाइवर्ट कराया जाता है । एक तरफ विकास की योजनाएं हैं और दूसरी तरफ हम इन झगड़ों में उलझे हुए हैं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूँगा कि इस सारी परिस्थिति पर गंभीरता से विचार करें आपस के इन झगड़ों को छोड़कर । एक राजस्थान होने के नाते विचार करें । यह अजमेर, जयपुर और जोधपुर का संघर्ष, डिविज़न में संघर्ष, प्रान्त के कोने कोने में होने वाले सघर्ष राजस्थान को आगे बढ़ाने वाले नहीं हैं, बल्कि इस प्रकार के संघर्ष तो राजस्थान को गड्ढे में ले जायेंगे । मैं जयपुर के लोगों की ओर से कहता हूं कि अगर जोधपुर का हाई कोर्ट को ले जाने में पेट भर सकता है तो जयपुर कभी झगड़ा नहीं करेगा ले जाओ यहां से केपीटल, ले जाओ यहां से हाई कोर्ट, ले जाओ यहां से और दूसरे आफिसेज़ । लेकिन कम से कम इस बात को तो व्यक्त करो कि राजस्थान एक है, उनका मन एक है, उनका दिमाग एक है, उनका दिल एक है, सिद्धान्त एक है, लक्ष्य एक है और कार्यक्रम एक है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस प्रकार की बातें लेकर हम चले, तो मैं कह सकता हूँ कि कभी संघर्ष की स्थिति नहीं आ सकती । यह नारेबाजी कभी लोगों को बहका नहीं सकती । राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री कहते हैं कि हम आन्दोलन खड़ा कर देंगे । जिनके हाथ में शासन की बागडोर थी मुझे अफसोस होता है कि उस समय उन्होंने जोधपुर का क्यों नहीं भला किया, क्यों नहीं इस प्रकार का कार्यक्रम अपनाया और आज जब इस प्रकार की परिस्थिति खड़ी होती हैं, तो वह इस प्रकार की बातें करते हैं । जब खुद के हाथ में शासन की बागडोर थी उस समय सारे कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं किया । मैं उपाध्यक्ष महोदय, बड़े अदब के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की परिस्थिति से किसी तरह का भला नहीं हो सकता इसलिये यह जो सारा केपीटल का प्रश्न है मैं समझता हूं कि इसको बिल्कुल तय समझना चाहिए । इस केपीटल के सवाल को अब क्लोज़ समझना चाहिये । जहां तक हाई कोर्ट की बैंच का ताल्लुक है इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि लॉ कमीशन की रिपोर्ट को अभी तक सेन्टर ने स्वीकार नहीं किया है और इस राव कमेटी ने जो भी रिकमन्डेशन्स दी हैं वह लॉ कमीशन के आधार पर ही दी हैं । यदि केन्द्रीय सरकार कल यह कह देती है कि लॉ कमीशन की रिपोर्ट को हम स्वीकार नहीं करते और बैंच ज्यों कि त्यों वर्क करेंगी । आज राजस्थान में ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान में बैन्चेज़ काम करेंगी फिर कौन सा न्याय होगा कि लॉ कमीशन की रिपोर्ट को कल सेन्ट्रल गवर्नमेंट अस्वीकार कर देती है, तो जयपुर की बैंच को एबालिश

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कर दी जाये। इसलिये हमने यह दलील रखी है कि जब तक लॉ कमीशन की रिपोर्ट के बारे में सेन्ट्रल गवर्नमेंट आखिरी फैसला नहीं लेती तब तक इस रिपोर्ट के आधार पर बैंच को एबोलिश करना ठीक नहीं है। लोगों को इससे स्वार्थ की दुर्गन्ध आती है कि मगर बीच में वेस्टेड इन्टरेस्ट आ जायें, तो जनता के हित में सभी को, विचार करना होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जयपुर से बैंच के हट जाने से राजस्थान का भला होगा या जोधपुर का होगा। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार ने पिछले दिनों में जोधपुर की तरफ पूरा ध्यान नहीं दिया है। ध्यान देना चाहिये। जोधपुर की तरफ ही नहीं बल्कि सारे हिस्सों की तरफ ध्यान देना चाहिये, ताकि राजस्थान का हर भाग अच्छी तरह से बढ़ सके। यह सारा शरीर स्वस्थ बन सके और एक ही भाग का विकास न हो ऐसी समुचित व्यवस्था राज्य सरकार को करनी चाहिये। अगर इन सारी परिस्थितियों पर विचार करेंगे गंभीरता से और अच्छी भावना से ऊपर उठ कर, तो हम इस एक निश्चित मत पर पहुँचेंगे कि आज को इन सारी परिस्थितियों में जब राजस्थान के सामने इतनी समस्याएं नहीं है, जब कि राजस्थान में इस प्रकार से लोगों का कठिनाइयां हैं, मैं समझता हूं कि जहा तक राजधानी का प्रश्न है वह बिल्कुल साफ प्रश्न मानना चाहिये और इसको ओपिन नहीं करना चाहिये। हाई कोर्ट के सम्बन्ध में मैं कहूँगा

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

कि हाई कोर्ट की प्रमुख सीट जोधपुर में है और इस समय बैंच यहां पर है और जब लॉ कमीशन की रिपोर्ट आयेगी, तब देखा जायगा। साथ ही इन परिस्थितियों को देखते हुए जहां तक अजमेर का प्रश्न है उसके लिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केवल मैं इतना निवेदन करते हुए कि जो आफिसेज़ शिफ्ट करने के बारे में कहा गया है उनको शिफ्ट कर देना चाहिये। बस मुझे इतना ही निवेदन करना है।

श्री मोहब्बत सिंह (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल से इस सदन के अन्दर भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई राजस्थान कैपीटल व High Court location. इन्क्वायरी कमेटी बैठाई थी उसकी रिपोर्ट पर विचार विमर्श हो रहा है। इसके सम्बंध में आज तक दो कमेटियों का निर्माण हुआ। भारत सरकार द्वारा पहली कमेटी बी० आर० पटेल की थी और दूसरी कमेटी राव कमेटी है। राजस्थान का इतिहास इस तरह का रहा है कि पहले मत्स्य union बना फिर बना वह राजस्थान जो आज old Rajasthan के नाम से जाना जाता है फिर ग्रेटर राजस्थान और चौथी stage में जो बना वो सबके सामने है आबू, सुनेल टप्पा और अजमेर में मिलने के बाद में और सिरोंज का हिस्सा मध्य प्रदेश को दे देने के बाद यह आज के राजस्थान का वर्तमान रूप है। अगर मोटे तौर से देखा जाय तो ग्रेटर राजस्थान के बाद ही २७ मार्च १६५० को सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नियुक्त की गई बी० आर० पटेल कमेटी बैठी और उस कमेटी ने अपनी सिफारिश की कि जयपुर राजधानी रहे और जोधपुर में हाईकोर्ट की सीट रखी जाये। जोधपुर के लिए इस कमेटी की यह भी सिफारिश थी कि वहां पर आर्म्ड कान्सटेबुलेरी का हैडक्वार्टर रखा जाये और उदयपुर व अन्य Divisionol Head quarters पर कुछ

Page No.80

(श्री मोहब्बतसिंह)

दूसरे आफिसेज हों । इस तरह की बी० आर० पटेल कमेटी की सिफारिशें थीं और उसके ऊपर सरकार ने स्टेप्स लिए । इसके बाद में जब अजमेर का राज्य विलीनीकरण हुआ और अजमेर वालों ने प्रार्थना की तो केन्द्रीय सरकार ने यह राव कमेटी बनाई और उस राव कमेटी की सिफारिशें इस प्रकार हैं:—

1. The capital should not be shifted from Jaipur;

2. The principal seat of the High Court should continue to be at Jodhpur;

3. The existing Bench at Jaipur should be abolished and there should be no Benches of the High Court,

4. The Public Service Commission, Board of Secondary Education and the Board of Revenue may be shifted to Ajmer मेरी मान्यता यह है कि जिस तरह की राव कमेटी की सिफारिशें हैं, उनको उसी तरह से मान लेना चाहिए। इस सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि राव कमेटी ने बहुत डिटेल में इसको लिया। राव कमेटी ने सात स्थानों का भ्रमण किया। पहले वह बीकानेर गई, अजमेर गई, उदयपुर गई, कोटा गई, जोधपुर गई; आबू गई और जयपुर भी। सातों जगह के बारे में सातों जगह के लोगों ने जो भावनायें व्यक्त की उसके सम्बन्ध में राव कमेटी ने विस्तार पूर्वक यह कहा है जिससे आपको, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह महसूस होगा कि कहां कहां के लोगों का किस किस तरह का एटीट्यूड रहा है। मांउट आबू के लिये कहा है :—

"The people of Mt. Abu were very moderate in their claims."

बीकानेर के सिलसिले में कहा है "The majority of the people were against the change of capital."

उदयपुर के विषय में संक्षेप में कहा है : "There was a sharp difference of opinion among the people."

कोटा के सम्बन्ध में उन्होंने कहा है : "Claims were made by some that Kotah should be selected as the capital on the following grounds."

जोधपुर के सम्बन्ध में कहा है :— "The majority of the people who appeared before us or submitted memoranda adopted a reasonable attitude."

जब कि हमारे दूसरे साथी जोधपुर के लोगों पर आक्षेप करते हुए यह कहते हैं कि उन्हें उदारता रखनी चाहिए। उदारता का प्रमाण जोधपुर वालों ने दिया है और राव कमेटी ने जोधपुर के लिए कहा है ;— "....who appeared before us and sumitted memoranda, adopted a reasonable attitude."

लेकिन जयपुर के मित्रों के विषय में इस राव कमेटी की रिपोर्ट में साफ तौर से यह है 'The spokesman of Jaipur proved to be adamant "no changes."

इससे साफ मालूम होता है कि जयपुर के मित्रों का क्या रुख रहा है। तो इस रुख के सम्बन्ध में मैं निवेदन कर रहा था। इसमें पहला मुद्दा यह है कि केपीटल कहां रखी

(श्री मोहब्बतसिंह)

जाये। केपीटल के सिलसिले में अजमेर का प्रश्न था। अजमेर के लिए यह इन्क्वायरी कमेटी बहुत विस्तार में गई और अन्त में यह कहा कि "We are satisfied that Ajmer does not satisfy the requirements necessary to be chosen as capital."

मैं मानता हूं अगर उस समय प्रश्न यह लिया जाता कुछ साल पहले तो अजमेर इसमें कुछ हॉसिल कर सकता था, लेकिन by now muct water has flown. इसलिए अब जयपुर ही राजधानी रखी जानी चाहिए।

हाई कोर्ट के सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि यह प्रश्न इसलिए पैदा हुआ कि इस दरमियान के बीच में भारत सरकार द्वारा लॉ कमीशन बैठाया गया। मैं समझता हूं कि यह मानकर चलना चाहिए कि लॉ कमीशन ने जो राय दी है उसको मान्यता देनी चाहिए, क्योंकि कायदे और कानून के सिलसिले में लॉ कमीशन जितना समझ सकता है उतना हम नहीं समझ सकते। कानून को दो भागों में बांटा गया है। न्याय सस्ता और अच्छा मिलना चाहिए, ऐसा कहा गया है। जहां तक सस्ते न्याय का सम्बन्ध है सस्ता न्याय ही अच्छा होता है। अच्छा न्याय मिलने के लिए लॉ कमीशन की रिपोर्ट में यह सिफारिश है कि जहां कहीं भी हाईकोर्ट रहे हाईकोर्ट एक यूनीफाइड हाईकोर्ट रहना चाहिए और वह हिस्सों में विभाजित नहीं होना चाहिए। कई हिस्सों में विभाजित रहने के कारण अच्छा न्याय नहीं मिल सकता है यह लॉ कमीशन की सिफारिश रही है। अब प्रश्न यहां पर हाईकोर्ट के लोकेशन का है और वह जयपुर में रखा जाय या जोधपुर में। जोधपुर के सिलसिले में यह है कि जो प्रिन्सिपल सीट है वह अभी वहां है और बेन्च जयपुर में है। ऐसी स्थिति में जब कि प्रिन्सिपल सीट जोधपुर में है और राव कमेटी ने भी यह सिफारिश की है कि वहां पर अकाउन्टेन्ट जनरल का दफ्तर है वह जयपुर में शिफ्ट हो रहा है, उसके बाद में जगह की कमी नहीं रहती है और जयपुर के अन्दर जो १० लाख रुपये की लागत से हाईकोर्ट के लिए भवन बन रहा है उसका उपयोग दूसरे कामों में लिया जा सकता है....

१२ मध्यान्ह

जब कि जयपुर में राजधानी रहे तो जयपुर में हाई कोर्ट के बनने के बाद भी भवनों की बहुत कमी रह जाती है। इससे भवनों की कमी पूर्ति करने में सरकार को कोई अड़चन नहीं होगी और जयपुर का जो हाई कोर्ट का भवन है, वह दूसरे काम में लाया जा सकता है। राव कमेटी की रिपोर्ट को मान्यता देते हुए मेरा यह निवेदन है कि एक ही युनिफाइड हाई कोर्ट रहे और युनिफाइड हाई कोर्ट रहनी चाहिये जोधपुर में। वहां पर प्रिन्सिपल सीट हो, क्योंकि जोधपुर में भवनों की अच्छी सुविधा है। अकाउन्टेन्ट जनरल का आफिस वहां से आ जाने के बाद में हाई कोर्ट भवन के बाद चूंकि यह भवन उसके बिल्कुल एडजेसेन्ट है इसलिए वह दूसरी कोर्ट्स के लिए, जैसे मुन्सिफ कोर्ट है, उन सब आफिसेज़ के लिए वह भवन एकोमोडेशन प्रोवाइड करता है इसलिए इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हाई कोर्ट की प्रिन्सीपल सीट वहां रहे।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

जस्ट ऐ मिनट। उसके बाद में जो दूसरे

(श्री महबूवतसिंह)

ऑफिसेज़ हैं रेवेन्यू बोर्ड, हाइअर सेकेन्डरी एजुकेशन बोर्ड है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, यह सब अजमेर में भेजे जायं, ताकि अजमेर के लोग भी कुछ संतुष्ट हों।

श्री टीकाराम पालीवाल, (महुवा) : उपाध्यक्ष महोदय, कल से केपिटल कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर विचार निमय हो रहा है, और इस विचार विमर्श में काफ़ी भावनाओं का प्रदर्शन और बहुत हद तक वाद-विवाद में गर्मी भी आई। मेरा मानना ऐसा है, उपाध्यक्ष महोदय, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जिन पर विचार करते समय, यदि हम भावनाओं पर काबू रखें, भावनाओं को न बढ़ाकर शान्त मस्तिष्क से उन प्रश्न पर विचार करें तो संभवतः ज्यादा सही नतीजे पर पहुँच सकते हैं। मैं यह नहीं कहता कि मनुष्य भावनाओं का साधारणतया परित्याग कर सकता है...

एक माननीय सदस्य : भावनाओं में आप भी नहीं बहेंगे।

श्री टीकाराम पालीवाल : मैं ऐसा मान सकता हूं कि मेरे मित्र भावनाओं में डूबे हुए हैं।

श्री नरोत्तमलाल जोशी : पत्ता खड़का और नारा भड़का।

श्री टीकाराम पालीवाल : यदि कोई गलत बात कहता हूं जो कि युक्तिसंगत या न्यायसंगत नहीं है तो मुझे पूर्णतः स्वीकार है कि वे अपने मन का प्रतिपादन करें।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि असल में वाद-विवाद में जहां अधिक गर्मी आती है, और गर्मी ही नहीं एक दूसरे के ऊपर संकीर्णता आदि का आरोप और प्रत्यारोप करने लगते हैं, तो यह बात स्पष्ट समझ में आ जाती है कि वाद-विवाद का रुख, उसकी धारा भावनाओं में ज्यादा बह रहा है और विचारों में कम। उपाध्यक्ष महोदय, यह कुछ ऐसे प्रशासनिक प्रश्न हैं कि जिनमें भावनाओं के बजाय विचारों को ज्यादा महत्व देना चाहिए और यदि ऐसा है, तो हम ज्यादा सही नतीजे पर पहुँच सकते हैं। केपिटल कमेटी में उच्च कोटि के व्यक्ति उसके सदस्य थे। उसकी जो सिफारिशें हैं, उसके जो मन्तव्य हैं वे निश्चय ही इस सदन द्वारा आदर सहित विचार करने के योग्य हैं। उनके विषय में हलके तरीके से हममें से कोई भी यह कहे कि अमुक विषय में केपिटल कमेटी ने यह ठीक विचार नहीं किया और दूसरे अल्टीरियर मोटिव से ढुलक गये और न्यायपूर्वक विचार नहीं किया, मैं समझता हूं जिस हैसियत की वह कमेटी है उस हैसियत की कमेटी के बारे में न्याय नहीं होगा और अपने प्रति भी न्याय नहीं होगा। तो यह मानकर चलना चाहिए कि केपिटल कमेटी ने जो कुछ निर्णय दिया, जो कुछ सिफारिशें कीं, निर्णय नहीं दिया है सिफारिशें की हैं, उन्होंने पूर्ण निष्पक्ष भाव से बिना किसी अलटीरियर मोटिव के दिये हैं, लेकिन फिर भी, उपाध्यक्ष महोदय, यह गुन्जायश रहती है कि कोई भी एक या दो कमेटीज़ की राय ईमानदारी के साथ भी भिन्न हो सकती हैं और अच्छे से अच्छे, उच्च से उच्च कोटि के व्यक्तियों से बनी हुई कमेटी की राय को सब लोग ईमानदारी के साथ सहमत हों यह कोई आवश्यक नहीं और सारे उसके निर्णय सही हों यह भी कोई आवश्यक बात नहीं है, क्योंकि ईमानदारी

(श्री टीकाराम पालीवाल)

से उन्होंने जो निर्णय दिये वे ईमानदारी के साथ दिये, सद्भावना के साथ दिये। यह मानकर चलना चाहिए। तरीके का विषय तो वहां आता है जब कि हम ऐसी भाषा का प्रयोग करने लगते हैं जिससे कि उनकी सद्भावना में शक किया जाता हो, वह मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए।

इसमें मुख्यतः दो प्रश्न ऐसे हैं जिनमें सबसे ज्यादा मित्रों का मन आन्दोलित हो रहा है। कुछ मित्रों को केपिटल के सम्बन्ध में, राजधानी के सम्बन्ध में कमेटी ने जो मन्तव्य दिया वह गैर जरूरी, अप्रिय और अन्याय मालूम हुआ है। मुझे पूरी सहानुभूति है उनके साथ, लेकिन साथ में मैं यह भी निवेदन करूंगा कि सारी परिस्थितियों को यदि वे देखें, जैसा कि मैंने कहा कि भावनाओं को अलग रख कर देखें और केवल मेरिट्स पर विचार करें, तो मेरे ख्याल से इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि इस केपिटल कमेटी के पहले पटेल कमेटी ने जो मत दिया, वह कोई गलत नतीजे पर नहीं पहुँचे हैं। हो सकता है कि दूसरा निर्णय भी हो सकता था, यही नहीं, मैं समझता हूं उसमें भी कोई न कोई औचित्य भी हो सकता है, मैं नहीं कहता कि वे सारे आधारशून्य होते, कुल मिलाकर जो कुछ उन्होंने देखा, जो निर्णय दिया, उसमें अधिक औचित्य उन्होंने पाया। मेरी ऐसी मान्यता है और साथियों की भी ऐसी मान्यता होगी। और वह औचित्यपूर्ण चीज़ राजस्थान की सारी परिस्थितियों को देखते हुए ठीक है।

दूसरा प्रश्न जो इस समय ज्यादा महत्व का बन गया है, वह हाई कोर्ट की सीट का मालूम होता है।

हाई कोर्ट की सीट के विषय में भी मैं समझता हूं हाई कोर्ट की सीट कहां हो यह भी एक न्याय का विषय नहीं है, यह प्रशासनिक विषय है और इस प्रशासनिक प्रसंग पर भी थोड़ी गंभीरता से प्रशासनिक दृष्टि से विचार किया जाय तो हम अधिक निकट पहुंच सकते हैं। जैसा दूसरे माननीय सदस्यों ने बताया, इस केपिटल कमेटी के दो सदस्य और दो प्रमुख सदस्य ऐसे थे जो लॉ कमीशन के सदस्य रह चुके हैं और उन्होंने अपनी राय दी है कि हाई कोर्ट की सीट एक ही स्थान पर होनी चाहिये। इन्टीग्रेटेड हाई कोर्ट हो और उसकी बैन्च नहीं होनी चाहिये। यह बात सहज ही समझ में आ सकती है कि जिन व्यक्तियों ने एक राय से बहुत सोच समझ कर जो राय दी है वे अपने मस्तिष्क को उससे बिल्कुल खाली नहीं कर सकते, वे एक ही निर्णय पर आ सकते हैं कि इन्टीग्रेटेड हाई कोर्ट एक ही जगह पर होना चाहिये। कमेटी के सदस्यों का इस निर्णय पर पहुँचना बिल्कुल स्वभाविक था और सर्वथा उचित था। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, कमेटी ने दो एक जगह अपने विचार व्यक्त किये हैं और स्पष्ट कहा है सिद्धान्तः सही मानते हैं कि हाई कोर्ट एक ही जगह पर रहना चाहिये, लेकिन यदि कोई दूसरी बातें हो जिनके कारण संभव नहीं हो, तो उस पर विचार करना हमारा कार्य क्षेत्र नहीं है। इस पर विचार करना होगा, भारत सरकार को या प्रेसिडेन्ट को भारत सरकार के गृह मन्त्रालय को देखना होगा या भारत के प्रेसिडेन्ट को देखना होगा, यह स्पष्ट है। अब प्रश्न यह आता है कि ज

(श्री टीकाराम पालीवाल)

लोग ज्यादा आन्दोलित होते हैं उनमें से एक तरफ़ के लोग कहते हैं कि जो हाई कोर्ट की बैन्च जयपुर में काम कर रही है वह समाप्त होनी चाहिये और दूसरी तरफ़ से यह मांग की जा रही है कि वह जयपुर में ही रहनी चाहिये और इस मामले को लेकर गर्मा गर्मी हो रही है और दोनों तरफ़ से खेंचातानी हो रही है, यह खेद का विषय है। यहां तक की आंख, कान, नाक आदि असंगत बातें थीं वे हुई। इस विषय को भी यदि ठंडे दिमाग से देखें तो बहुत कुछ नाराज़गी की बात नहीं है, न इधर से और न उधर से। ऐसा रूख लिया गया है इस विषय में जैसे जोधपुर और जयपुर के बीच में बंटवारे का झगड़ा हो। जोधपुर शहर और जयपुर शहर में से पूरे हाई कोर्ट की सीट जोधपुर में हो और बैंच जयपुर में हो यह ऐसा प्रतीत होता है और इसलिये मैं कह रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं यह न जोधपुर वालों के झगड़ा करने की चीज़ है और न जयपुर वालों के लिये। कल एक माननीय सदस्य बोल रहे थे, मेरे साथी और उन्होंने ठीक संकेत किया कि जयपुर में कोई आन्दोलन नहीं हुआ, कोई हड़ताल नहीं हुई, कोई जलूस नहीं निकला इससे यह निश्कर्ष पर आना चाहते हैं कि जयपुर वाले इसके कारण बहुत तीखापन महसूस नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूं वे जयपुर शहर वालों की बात कह रहे थे, तो वे ठीक कह रहे थे। जयपुर शहर वालों के लिये महसूस करने की कोई बात नहीं है, ऐसी बात नही है कि जिसकें लिये आन्दोलन किया जाय या संघर्ष समिति बने। कोई विषय ऐसा हो जिसके कारण जनभावना पर बहुत ठेस पहुँचती हो, तब भी संघर्ष का रास्ता नहीं अपनाना चाहिये जब तक कि दूसरे रास्ते खुले हों और यहां पर दूसरे रास्ते खुले हुए हैं। जयपुर शहर के लिये यह कोई बहुत बड़ी हानि या लाभ का प्रश्न नहीं है। जयपुर शहर में बैंच रहती है तो उससे कितना बड़ा लाभ होता है और नहीं रहती है तो कितनी हानि होती है, कुछ जजेज़, कुछ क्लर्कस और थोड़े से वकील यहां से चले जाते हैं, तो जयपुर शहर के लिये कौनसा बड़ा घाटा पड़ जायेगा यह समझ में नहीं आता और दूसरी ओर जोधपुर में थोड़े लोग चले जाते हैं, तो जोधपुर को कौनसी बड़ी निधि मिल जायेगी और नहीं जायेंगे तो कौनसा घाटा होगा, यह समझ में नहीं आता।

दूसरी चीज़ जो है वह आम तरीके से आम लोगों की सुविधा की बात है। जैसा कि रिपोर्ट में कहा है कुछ वकीलों के इधर से उधर जाने की सुविधा पर विचार नहीं किया जा सकता, लेकिन हाई कोर्ट एग्जिस्ट करता है मेनली लिटिगेन्ट पब्लिक की सुविधा के लिये और लिटिगेन्ट पब्लिक की सुविधा के लिये किया जाय तो मुझे माफ़ किया जाय स्पष्ट रूप से मानता हूं कि राजस्थान की परीस्थिति को देखते हुए, यहां के आवागमन के साधनों को देखते हुए और राजस्थान की गरीबी को देखते हुए और जो नये नये झगड़े खड़े हुए हैं जैसे कहीं पंचायतों के झगड़े हैं, कहीं कुछ है, तो कहीं कुछ है इन सब चीज़ों को देखते हुए न्याय सस्ता और सुलभ होना चाहिये। जिस नारे को हमने उठाया है वह सस्ता और सुलभ न्याय देना नितांत आवश्यक है। और सस्ता और सुलभ न्याय देने के लिये भी यह नितान्त आवश्यक है कि हाई कोर्ट

(श्री टीकाराम पालीवाल)

की सीट जयपुर में भी रहे और जोधपुर में भी रहे। हाई कोर्ट की मेन सीट का प्रश्न तय हो चुका है, जोधपुर में रखने के लिये, उस प्रश्न को दुबारा उठाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जयपुर में बैंच रहे इससे दूसरे मित्रों को क्या आपत्ति हो सकती है यह कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यह जयपुर निवासियों के लाभ के लिये नहीं है और न यह किसी भावना के आधार पर है क्योंकि भावना का प्रश्न नहीं उठता, भावना के आधार पर इस प्रश्न को रखना ही नहीं चाहिये। केवल प्रशासनिक सुविधा के लिये इस प्रश्न को देखना चाहिये और सुविधा में लिटिगेन्ट पब्लिक की सुविधा के लिये यह आवश्यक है कि दोनों जगह रहना चाहिये। पहले जो चीज़ चल गई है, राजस्थान का निर्माण हुआ था उस समय जो तय हुआ था कि हाई कोर्ट की सीट जोधपुर में रहेगी। लेकिन सरदार पटेल बड़े अनुभवी प्रशासक थे उन्होंने आवश्यकता समझी कि हाई कोर्ट की मेन सीट जोधपुर में रहते हुए भी प्रशासनिक दृष्टि से, और जनता की सुविधा की दृष्टि से, यह भी मालूम हुआ कि बैंचेज दो जगह ही नहीं बल्कि पांच जगह रखी जायेंगी लेकिन बाद में दो जगह रखी गई और दो जगह की आवश्यकता आज भी अनुभव की जा रही है। जो चीज़ व्यवहारिक दृष्टि से उस समय आवश्यक मानी गई अब भी वह उतनी ही आवश्यक है। उसके लिये झगड़ा करें, भावना उभारी जाय और इतनी गर्मा-गर्म बहस होने लगे, मेरी समझ में हमारे लिये यह इतनी गंभीर चीज़ नहीं है, न उस समय थी और न इस समय है जब कि पूर्ण निर्णय होम मिनिस्ट्री के द्वारा करना बाकी है। मैं समझता हूँ हमें विश्वास रखना चाहिये कि यदि हम एक निर्णय पर नहीं पहुँच सकते, तो फिर हमें गृह मंत्रालय और नेताओं पर, भारत सरकार पर विश्वास रखना चाहिये। सारी परिस्थिति को देखते हुए, सिद्धान्त की बात को देखते हुए जैसा उचित समझेंगे वैसा ही निर्णय वे देंगे। हमको उन पर विश्वास रखना चाहिये और इधर उधर की बातें कह कर वातावरण को गर्म बनाने की बात नहीं कहनी चाहिये। इस तरह से गर्म वातावरण बना कर यह कोशिश करें कि भारत सरकार के निर्णय को भी किसी प्रकार से कम्पेल किया जाय और फोर्स किया जाय; इधर उधर की बातें करके तो इस तरह से कम्पेल करना गलती होगी। एक तरफ़ से कोई बात पैदा की जाती है, तो दूसरी तरफ उसका रिएक्शन दूसरा होगा। इसलिये भारत सरकार पर ही छोड़ना चाहिये। जैसा वे ठीक समझें वैसा करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कमेटी ने इन्फरेन्स निकाला है हाई कोर्ट के बिल्डिंग के बारे में। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जयपुर में हाई कोर्ट के लिये जो बिल्डिंग बन रही है, वह सेक्रेटेरियट के पास बन रही है इसलिये शायद ख्याल था कि हाई कोर्ट की सीट जोधपुर चली जाय, तो यह बिल्डिंग सेक्रेटेरियट के काम आ सकती है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं और अधिकार पूर्ण निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो इन्फरेन्स निकाला जा रहा है, यह बिल्कुल गलत है क्योंकि मुझे मालूम है। यह केवल अनुमान है और अनुमान गलत है। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस समय हाई कोर्ट बिल्डिंग का निर्माण किया गया, उस समय मैं

(श्री टीकाराम पालीवाल)

भी शामिल था और ऐसा कोई विचार नहीं था कि यह बिल्डिंग कभी सेक्रेटेरियट के काम आ सकती है, हाई कोर्ट को रखने का विचार था और यह भी विचार था कि बिल्डिंग बड़ी बनाई जाय, जिससे हाई कोर्ट के अलावा रेवेन्यू बोर्ड को भी हाउस किया जा सके, यह ख्याल था। और कोई ख्याल स्वप्न में भी नहीं था। यह मैं तथ्य के रूप में कह रहा हूं इसमें अनुमान की गुंजाइश नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लच्छूराम।

श्री नारायणसिंह : On a point of clarification, Sir, क्या टाइम कुछ एक्सटेन्ड होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : अगर सदन की इच्छा हो तो मैं विचार कर सकता हूँ।

(है, है की आवाजें)

श्री लच्छूराम आरम्भ रखें। तब तक मैं विचार कर लेता हूँ।

श्री लच्छूराम : उपाध्यक्ष महोदय, राय समिति की रिपोर्ट पर डिस्प्यूट रहा है केवल हाई कोर्ट के मामले पर। इस मामले पर लोगों का डिस्प्यूट है....

श्री उपाध्यक्ष : केवल पांच मिनट।

श्री लच्छूराम (मंडवा) : हाईकोर्ट के मामले को लेकर डिस्प्यूट है, इस पर हम सोच रहे हैं। हमारे सामने इस प्रकार की नीति है कि जनता को सस्ता न्याय मिले। पंचायत शासन का मतलब है कि जनता को सस्ता न्याय मिले और जल्दी पहुंच पाने वाली जगह पर न्याय मिले। इस सस्ते न्याय की बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में एक यूनीफाइड हाई कोर्ट हो, तो यह न्याय संगत नहीं है। जयपुर ऐसा क्षेत्र है जहां सारे राजस्थान से, हर क्षेत्र से १२ घंटे में आ सकते हैं, जब कि जोधपुर में जाने में ४८ घंटे का समय खर्च करना पड़ता है। हमारी पॉलिसी है कि सस्ता न्याय मिले और सस्ते न्याय के लिए बैन्च कायम रहे। हमें इस बात का दुःख नहीं है कि जोधपुर में हाई कोर्ट की प्रिन्सीपल सीट लेकिन साथ ही जयपुर में बैन्च है, उसको हटाया न जाय।

(थम्पिंग)

इस तरह हर आगमी को उदारता की दृष्टि रखनी चाहिए। हर आदमी को सस्ता न्याय मिले, इस दृष्टि से मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वे उदारता से काम करें। जयपुर की बैंच अगर जयपुर के नागरिकों को और जयपुर के आस पास के क्षेत्रों को फायदा पहुँचाती है, तो उससे जोधपुर को रंज नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरी राय है कि जयपुर में बैंच बदस्तूर कायम रखी जाय और राजस्थान के अन्दर जोधपुर में प्रिन्सीपल सीट कायम रखी जाय। अगर आप जोधपुर में हाई कोर्ट यूनीफाइड कायम करते हैं, तो मुहम्मद तुगलक जैसी नीति होगी, जिसने कि दौलताबाद में राजधानी बनाई थी। मैं कहूंगा कि अगर हमारा सदन जोधपुर की तरफ देखता है तो यह मुहम्मद तुगलक की नीति के अलावा और कुछ नहीं होगा। इसलिए मेरा निवेदन है

(घंटी)

कि जयपुर में बैंच कायम रखें और जोधपुर में प्रिन्सीपल सीट रखें, ताकि जनता को सस्ता न्याय मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नारायण सिंह ।

श्री नारायणसिंह : १० मिनट में तो मैं नहीं बोल पाऊंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा निवेदन है कि पांच मिनिट में समाप्त करें । राय ही तो प्रगट करनी है ।

श्री नारायणसिंह : इतना संकुचित नहीं कर सकता । यह अजमेर के लिए आखिरी चान्स है कि उसके लिए यहां कुछ कह सकें ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : और भी चान्सेज़ हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आरम्भ करिये ।

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : उपाध्यक्ष महोदय, राव कमेटी ने आज हमारे समक्ष राजधानी और उससे सम्बन्धित विषय आज फिर खड़े कर दिये हैं और उससे मैं देखता हूं कि जन मानस काफी उभरा है और धारा सभा में भी जन मानस काफी विक्षुब्ध है । एक दूसरे की बात को हम सुनना नहीं चाहते, एक दूसरे की दलील को स्वीकार नहीं करना चाहते । हम संघर्ष कमेटियां बनाते हैं और संघर्ष कमेटियां, हमारे माननीय नेताओं की राय से एक कमेटी ने जो विचार रख दिये हैं, उनके खिलाफ़ भी कुछ आन्दोलन मचाना चाहती हैं, तथा दूसरे दूसरे निश्चय लिवाना चाहती हैं और फिर हम यहां आकर दुहाई देते हैं कि हम क्षेत्रीय भावना में संलग्न न होकर एक दूसरे का ख्याल रखते हैं । वास्तव में वे क्षेत्रीय भावनाओं को उभारते हैं और नेतृत्व कायम करने की कोशिश करते हैं और इस प्रकार राजस्थान की एकता को आघात पहुँचाते हैं और कहते हैं कि क्षेत्रीय भावनाओं को अभिभूत करना चाहते हैं अथवा विचार करना चाहते हैं । अजमेर के नेताओं ने और दूसरे नेताओं ने मिल कर यह निश्चय किया था कि एक कमेटी बनाई जाय और वह कमेटी जो निश्चय दे देगी, वे मान्य होने चाहिए । अजमेर एक प्रकार से १ हज़ार वर्ष से महत्वपूर्ण स्थान रहा है, इसे कोई अमान्य नहीं कर सकता । जैसा कि कहा गया आज से कुछ समय पूर्व अगर यह बात होती, तो बहुत से राजस्थान के लोग अजमेर के पक्ष में रहते, लेकिन अजमेर अलग रहा, अजमेर अपने मत से नहीं रहा, लेकिन केन्द्रीय सरकार की पॉलिसी थी, उसकी कुछ आवश्यकतायें थीं, उनकी वजह से अजमेर अलग रहा । मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं एक दफ़ा डेपूटेशन में गया था, उस समय सरदार पटेल ने कहा था कि एक तो एल्वो डिस्टेन्स है सीमा से, इसलिए वहां डिफेन्स की ताकत बनानी है और दूसरो नव निर्मित राजस्थान बना है, उसके ऊपर हमें चौकसी करने के लिए स्थान चाहिए, इस कारण से अजमेर अलग रहे । अजमेर की एक मांग थी, लेकिन उस पर हट नहीं किया कि यहां राजधानी हो तो मर्ज होंगी । केवल मात्र अपने पुराने हक को देख कर एक मांग की थी, उस मांगे से जयपुर नाराज हुआ । मैं नहीं समझ पाया हूँ कि जयपुर को नाराजगी क्यों होनी चाहिये । एक कमेटी के ऊपर निर्णय छोड़ दिया गया था, और वह निर्णय दे, यह उस पर था । शायद किसी कारण जयपुर ने सोचा कि निर्णय अजमेर के पक्ष में हो सकता है, इसलिये खतरा महसूस हुआ हो और नाराजी हुई हो । हम आज कहना चाहते हैं कि राजधानी को एकदम हम अजमेर में नहीं ले जाना चाहते हैं, यह

(श्री नारायणसिंह)

हमारी मन्शा इससे साफ व्यक्त हो जायगी कि संघर्ष कमेटी जोधपुर में बन रही है, जयपुर में बन रही है, लेकिन अजमेर में नहीं बनी है। अजमेर जिस दृष्टिकोण को लिये हुए है। यद्यपि यह रिपोर्ट हमारे सामने आती है, उसको हम भावावेग में सही, किसी प्रकार सही, एक पक्षीय, एकांगी समझते हैं। हम इसको समझते हैं कि यह एक प्रकार से अजमेर के लिए संवेदना की रिपोर्ट हैं, कंडोलेन्स की रिपोर्ट है। लेकिन हम नहीं कहना चाहते कि हम इसे अमान्य करके बैठ जायेंगे। हम कहना चाहते है कि आज राजस्थान की एकता का प्रश्न है। आज हम चाहतें हैं कि जनता में ऐसा उभार न आवे, कोई आन्दोलन न पैदा हो, जिससे क्षेत्रीय भावनाओं को उभरने का मौका मिले, जिससे अलग अलग वर्ग के जो व्यक्ति हैं, जो अपना नेतृत्व कायम करना चाहते हैं, उनको आन्दोलन की परिस्थिति कायम करनें का मौका मिले, हम आज चाहते हैं कि राजस्थान के टुकड़े टुकड़े न हो। हम अगर चाहते हैं कि राजस्थान की एकता कायम रहे तो यह आवश्यक है और अत्यन्त आवश्यक हैं कि जो कमेटी की रिपोर्ट हैं उसको अक्षरशः कार्यान्वित करना चाहिए, अगर यह रिपोर्ट अक्षरशः कार्यान्वित नहीं की जायगी कोई हेर फेर की जायगी, तो हर जगह से एक एक मांग आ सकती है, और उन मांगों को हल करते करते हमारा दिमाग गर्म हो जायगा। मैं तो यह समझता हूं कि इस निर्णय को हम, हमारे केन्द्रीय सरकार के वयोवृद्ध गृह मन्त्री पर छोड़ दें, और उनको यह बतलाना चाहिये कि आज अगर राजस्थान के अन्दर किसी प्रकार का डिस्प्यूट नहीं होने देना चाहते हैं, तो जो रिपोर्ट है उसको कार्यान्वित कीजिये। अगर इसी प्रकार कार्यान्वित की जाती है तो यह कोई जरूरी नहीं है कि हम आगे कोई रद्दोबदल नहीं कर सकें। अगर जनता की मांग होती है और ऐसी आवश्यकता उत्पन्न होती है, तो उस आवश्यकता के अनुसार नई कमेटियां बना सकते है, देश की राजधानियों को बदल सकते हैं। आपको ज्ञात होगा कि भारतवर्ष की राजधानी कलकत्ता में थी, जब दिल्ली में नहीं थी, जिस समय आवश्यकता हुई, दिल्ली में आई, प्लिन्थ एरिया कुछ भी रहा हो। मेरे पास समय नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ कि पटेल कमेटी के आधार को लेकर इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बनाई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रथम तो पटेल कमेटी के आधार को लेने की आवश्यकता नहीं थीं, क्योंकि यह कमेटी स्वतन्त्र थी, अगर उस कमेटी का आधार भी लिया, तो इस कमेटी ने जो तोड़ मरोड़ की हैं, पटेल कमेटी की रिपोर्ट के तथ्या तथ्य को अलग प्रकार से रखा है, मैं उस ओर सदन की दृष्टि आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं कम से कम थोड़े कोटेशन यहां पर प्रस्तुत करूंगा। पैरा ११५ पटेल कमेटी का और पेरा १०६ इस कमेटी का, कम्पेरिजन किया जाय। इसमें लिखा है : Bhagwandas barracks and the mess have been built by His Highness for the housing of the Secretariat." पैरा १०६ में इस कमेटी ने यह कह दिया है : The P. W. D. Minister says that the Secretariat building is a State-owned building which came into possession of the Government when the personal properties of the Maharaja were separated." अब यह चतुराई की बात हुई,

(श्री नारायणसिंह)

इसमें और इसमें बहुत अन्तर है। इन्हें कोई भी सुने, वह स्वयं सोच सकता है कि यह चतुराई की बात है। पी. डब्ल्यू. डी. सेक्रेटरी सेज, यानि खुद कमिटमेंट नहीं करना चाहते। इसके अलावा पटेल कमेटी की रिपोर्ट के पैरा १६ में लिखा है : Sawai Mansingh Town Hall would do provisionally as Assembly Hall, but the building is not suitable as a permanent Assembly House which will have to be built at later stage." और हमारे इसमें कहा है: "The Town Hall can be utilised by the Government so long as they like." यह एक बड़ी इनडेफिनेट दलील है, तो इस तरह गवाहों और तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया है। पटेल कमेटी के तथ्यों को कैपिटल कमेटी ने क्वोट किया है। पटेल कमेटी की रिपोर्ट के पैरा २१ में जो दलीलें क्वोट की है; केपिटल कमेटी के पैरा १०५ में उन दलीलों को बहुत उत्तम माना है, पैरा १०५ में कहा जाता है...

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : Time is over Sir.

श्री उपाध्यक्ष : I think the debate is also over. कल प्रिविलेजेज़ कमेटी की रिपोर्ट पर डिस्कशन होने के बाद अवशेष समय में इस विषय पर वाद-विवाद चलेगा। अतः सदन की कार्यवाही दिनांक १७ अप्रैल, १९५८ के प्रातः ८ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

श्री नारायण सिंह : और माननीय उपाध्यक्ष, मुझे समय मिलेगा कि नहीं ?

अनेक माननीय सदस्य : सदन की कार्यवाही समाप्त हो गई।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही १२.३१ मध्याहनोत्तर, दिनांक, १७ अप्रैल, १९५८ के प्रातः ८ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

Page No.90

संक्षिप्त–विवरण

(बुद्धवार १६ अप्रेल, १९५८)

	स्तम्भ		स्तम्भ
तारांकित प्रश्नोत्तर	७६९९	सहकारी समितियां, जिला सिरोही ।	
आर्म्स एण्ड अम्युनिशन लाइसेन्स वाले विक्रेता ।		राम स्वरूप के हाथ की भरतपुर अस्पताल में चिकित्सा ।	
अध्यक्ष, नगरपालिका, दौसा ।		केनपुर रांती देसूरी सड़क निर्माण ।	
जल उपभोक्ताओं द्वारा देय धनराशी ।		डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन कोर्ट, पाली ।	
जोधपुर में स्थित आयुर्वेदिक फार्मेसी ।		राजकीय मुद्रणालय के भूतपूर्व सुपरिंटेडेन्ट के विरुद्ध शिकायत ।	
कोटा बारां रोड़ ।		भरतपुर ज़िले के लिये जमना नदी से नहरें निकालने की योजना ।	
सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय ।		ग्राम कुंजेड, तहसील अटरू में चिकित्सालय की स्थापना ।	
श्रमिक की स्थायी नियुक्ति ।		रेन्जर्स, ज़िला पाली ।	
स्वायत्त संस्थाओं द्वारा संपादित पशु मेले ।		झालावाड़ व पाटन में पीने के पानी की व्यवस्था ।	
चिकित्सालय, सीकर ।		नगरपालिका, आबू रोड ।	
सरकार द्वारा बेची जाने वाली बन्दूकों का मुल्य-निरधारण ।		खारी नदी (भीलवाडा) के बांध से मार्गों का अवरोध ।	
रसद विभाग द्वारा दिया जाने वाला बकाया कमीशन ।		दान्तीवाड़ा व पाचलवाड़ा उगटी बांध का सर्वे ।	
बस सर्विस ।			
पुलिस कर्मचारियों का वेतन ।			
जनाना अस्पताल, किशनगढ़ ।			

स्कम्भ स्कम्भ

पंचायतों का पुनर्गठन, सवाई माधोपुर।

क्रय-विक्रय समिति संघ लिमिटेड, अजमेर।

जोधपुर में पीने के पानी की व्यवस्था के लिये जवाई बांध से नहर लाने की योजना।

सरपंच,ग्राम पंचायत, मांडल।

चल-पशु-चिकित्सालय।

मातृ सदन, डीग।

सड़क निर्माण, बाड़मेर।

जल बोर्ड, जालोर।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति। ७७६५

श्री श्रीनिवास शारदा, सदस्य विधान सभा, को दिनांक ११-४ ५८ से १५-४-५८ तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई।

राजस्थान राजधानी जांच समिति के प्रतिवेदन पर अग्रेतर वादविवाद। ७७६६

राजधानी जांच समिति के प्रतिवेदन पर आज भी वाद-विवाद जारी रहा जिसमें निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:—

१. श्री बी.एन. जोशी
२ श्री हरिदेव जोशी
३. श्री आनन्दसिंह कछवाहा
४. रावल श्री नरेन्द्रसिंह
५. श्री गिरधारीलाल
६. श्री हरिश्चन्द्र
७. श्री दयाकृष्ण विजय
८. श्री भोलानाथ
९. श्री नरोत्तमलाल जोशी
१०. श्री ज्वालाप्रसाद
११ श्री सतीशचन्द्र
१२. श्री मोहब्बतसिंह
१३. श्री टीकाराम पालीवाल
१४. श्री लच्छूराम,
१५. श्री नारायणसिंह (मसूदा)

बृहस्पतिवार दिनांक १७ अप्रेल १९५८ की कार्य सूची

विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार (जन सम्पर्क कार्य. सम्बन्धी विशेषाधिकार प्रश्न)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १४२२ का उत्तर देखिये)

क्रम संख्या	नाम समिति	जितना रुपया इन समितियों को दिया गया	वह राशि जिसके लिये उद्योग विभाग की सिफ़ारिश की गई	वह राशि जिसके लिए हैंडलूम बोर्ड को सिफ़ारिश की गई	रिमार्क्स
१	श्री मेघ वंशी चर्म उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड, पींड़वाडा ।	चर्म उत्पादक			जिन समितियों के सामने धन-राशि अंकित नहीं की हुई है
२	श्योगंज बुनकर उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड, श्योगंज ।	बुनकर			उन्होंने ऋण के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किये हैं, अतः
३	कालिन्द्री बुनकर सहकारी समिति लिमिटेड, कालिन्द्री ।	बुनकर			उन्हें ऋण दिलवाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।
४	आबूरोड़ चर्म वस्तु उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड, आबूरोड़ ।	चर्म उत्पादक ५,५००)	३,०००)		

१	२	३	३	४
५	चांदवाल बुनकर उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड, चांदवाल।	बुनकर	१,८२७॥)	
६	मुहब्बतनगर बुनकर उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड, मुहब्बतनगर।	बुनकर	१,९५०)	
७	जवाल वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड, जवाल।	बुनकर		
८	पालड़ी वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड, पालड़ी।	बुनकर		
९	बरलूट वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड, बरलूट।	बुनकर		
१०	भीमेश्वर वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड, भीमाना।	बुनकर	४,२००)	
११	ईसरा चर्म उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड, ईसरा।	चर्म उत्पादक		

१	२	३	४	५
१२	नया सांवरा चर्म उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड, नया सांवरा ।	चर्म उत्पादक २,०८०)		
१३	डनारी वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति, डनारी ।	बुनकर	२,२००)	
१४	लूनियापुरा चर्म व हड्डी सहकारी समिति लिमिटेड, लूनियापुरा ।	चर्म उत्पादक ६,८००) २५,०००)		